

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023

(2023 का अधिनियम संख्यांक 47)

[25 दिसम्बर, 2023]

निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों
और सिद्धांतों को समेकित करने तथा उनका
उपबंध करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :—

भाग 1

अध्याय 1

प्रारंभिक

- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 है ।
- (2) यह किसी न्यायालय में या उसके समक्ष सभी न्यायिक कार्यवाहियों को लागू होता है, जिसके अंतर्गत सेना न्यायालय भी सम्मिलित है, किंतु न तो किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए शपथ-पत्रों को, न ही किसी मध्यस्थ के समक्ष की कार्यवाहियों को लागू होता है ।
- (3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

संक्षिप्त नाम,
लागू होना और
प्रारंभ ।

परिभाषाएं ।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “न्यायालय” के अन्तर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट, तथा मध्यस्थों के सिवाय, साक्ष्य लेने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं ;

(ख) “निश्चायक सबूत” से अभिप्रेत है कि जब इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य को किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया जाता है, वहां न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित हुआ मानेगा, और उसे नासाबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुमति नहीं देगा ;

(ग) तथ्य के संबंध में, “नासाबित” से अभिप्रेत है कि जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात् या तो यह विश्वास करता है कि उसका अस्तित्व नहीं है, या उसके अस्तित्व को इतना अधिसम्भाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है ;

(घ) “दस्तावेज” से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिह्नों के साधन द्वारा या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित या अन्यथा अभिलेखबद्ध किया गया है जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने को आशयित हो या जिसका उपयोग किया जा सके और इसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक और डिजिटल अभिलेख भी सम्मिलित हैं ।

दृष्टांत

(i) लेख दस्तावेज है ।

(ii) मुद्रित, शिलामुद्रित या फोटोचित्रित शब्द दस्तावेज हैं ।

(iii) मानचित्र या रेखांक दस्तावेज है ।

(iv) धातुपट्ट या शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज है ।

(v) व्यंगचित्र दस्तावेज है ।

(vi) ई-मेल, सर्वर लॉग, इलैक्ट्रानिक अभिलेख, कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्ट फोन में दस्तावेज, मैसेज, वेबसाइट, स्थानीय साक्ष्य और डिजिटल डिवाइस में संग्रहित वॉयस मेल मैसेज दस्तावेज हैं ;

(ड) “साक्ष्य” से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत आते हैं—

(i) सभी कथन, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक रूप से दिए गए कथन सम्मिलित हैं, जिसे न्यायालय जांच के अधीन तथ्य के विषयों के संबंध में अपने समक्ष साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुमति देता है या अपेक्षा करता है और ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं ;

(ii) न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज, जिनके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक या डिजिटल अभिलेख भी हैं और ऐसे दस्तावेज दस्तावेजी साक्ष्य कहलाते हैं ;

(च) “तथ्य” से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत आते हैं—

(i) ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध, जो इन्द्रियों द्वारा बोधगम्य हो ;

(ii) कोई मानसिक दशा, जिसका बोध किसी व्यक्ति को हो ।

दृष्टांत

(i) यह कि अमुक स्थान में अमुक क्रम से अमुक पदार्थ व्यवस्थित हैं, एक तथ्य है ।

(ii) यह कि किसी व्यक्ति ने कुछ सुना या देखा, एक तथ्य है ।

(iii) यह कि किसी व्यक्ति ने अमुक शब्द कहा, एक तथ्य है ।

(iv) यह कि कोई मनुष्य अमुक राय रखता है, अमुक आशय रखता है, सद्भावपूर्वक या कपटपूर्वक कार्य करता है, या किसी विशिष्ट शब्द को विशिष्ट भाव में प्रयोग करता है, या उसे किसी विशिष्ट संवेदना का बोध किसी विनिर्दिष्ट समय में है या था, एक तथ्य है ;

(छ) “विवादक तथ्य” से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत ऐसा कोई भी तथ्य आता है, जो स्वयं से, या अन्य तथ्यों के संबंध में किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या नियोग्यता के, जिसका किसी वाद या कार्यवाही में दृढ़कथन किया गया है या उससे इंकार किया गया है, अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अवश्यमेव होती है ।

स्पष्टीकरण—जब कभी, कोई न्यायालय विवादक तथ्य को सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबन्धों के अधीन अभिलिखित करता है, तब ऐसे विवादक के उत्तर में जिस तथ्य का दृढ़कथन किया जाना है या उससे इंकार किया जाना है, वह विवादक तथ्य है ।

दृष्टांत

ख की हत्या का **क** अभियुक्त है । उसके विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवादक हो सकते हैं—

(i) यह कि **क** ने **ख** की मृत्यु कारित की ।

(ii) यह कि **क** का आशय **ख** की मृत्यु कारित करने का था ।

(iii) यह कि **क** को **ख** से गम्भीर और अचानक प्रकोपन मिला था ।

(iv) यह कि **ख** की मृत्यु कारित करते समय **क** चित्त-विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ था ;

(ज) “उपधारणा कर सकेगा”—जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबन्धित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहां न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा, जब तक कि वह नासाबित नहीं किया जाता है, या उसके सबूत की मांग कर सकेगा ;

(झ) “साबित नहीं हुआ”—कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है, जब वह न तो साबित किया गया है और न तो नासाबित ;

(ञ) “साबित”—कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है, जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात् या तो यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसम्भाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है ;

(ट) “सुसंगत”—एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है जब तथ्यों की

सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबन्धों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से संबद्ध हो ;

(ठ) “उपधारणा करेगा”—जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहां न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा जब तक कि वह नासाबित नहीं किया जाता है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनका उक्त अधिनियम और संहिता में है ।

2000 का 21
2023 का 46
2023 का 45

भाग 2

अध्याय 2

तथ्यों की सुसंगति

विवादक तथ्यों
और सुसंगत
तथ्यों का साक्ष्य
दिया जा
सकेगा ।

3. किसी वाद या कार्यवाही में प्रत्येक विवादक तथ्य के और ऐसे अन्य तथ्यों के, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् सुसंगत घोषित किया गया है, अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा, किसी अन्य का नहीं ।

स्पष्टीकरण—यह धारा किसी व्यक्ति को ऐसे तथ्य का साक्ष्य देने हेतु समर्थ नहीं बनाएगी, जिससे सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के किसी उपबन्ध द्वारा वह साबित करने के हक से वंचित कर दिया गया है ।

दृष्टांत

(क) **ख** की मृत्यु कारित करने के आशय से उसे लाठी से मारकर उसकी हत्या कारित करने के लिए **क** का विचारण किया जाता है ।

क के विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवादक हैं :—

क द्वारा **ख** को लाठी से मारना;

क का ऐसी मार द्वारा **ख** की मृत्यु कारित करना;

ख की मृत्यु कारित करने का **क** का आशय ।

(ख) एक वादकर्ता अपने साथ वह बन्धपत्र, जिस पर वह निर्भर करता है, मामले की पहली सुनवाई पर अपने साथ नहीं लाता है और प्रस्तुत करने के लिए तैयार नहीं रखता है । यह धारा उसे समर्थ नहीं बनाती कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा विहित शर्तों के अनुसार से अन्यथा, वह उस कार्यवाही के उत्तरवर्ती प्रक्रम में उस बन्धपत्र को प्रस्तुत कर सके या उसकी अन्तर्वस्तु को साबित कर सके ।

1908 का 5

निकटता से संबद्ध तथ्य

एक ही
संव्यवहार के
भाग होने वाले
तथ्यों की
सुसंगति ।

4. जो तथ्य विवादक न होते हुए भी किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से इस प्रकार संबद्ध है कि वे एक ही संव्यवहार के भाग हैं, वे तथ्य सुसंगत हैं, चाहे वे उसी समय और स्थान पर या विभिन्न समयों और स्थानों पर घटित हुए हों ।

दृष्टांत

(क) **ख** को पीटकर उसकी हत्या करने का **क** अभियुक्त है । **क** या **ख** या पास खड़े लोगों द्वारा जो कुछ भी पिटाई के समय या उससे इतने अल्पकाल पूर्व या पश्चात् कहा गया था या किया गया था कि वह उसी संव्यवहार का भाग बन गया है, वह सुसंगत तथ्य हैं ।

(ख) क एक सशस्त्र विद्रोह में भाग लेकर, जिसमें संपत्ति नष्ट की जाती है, फौज पर आक्रमण किया जाता है और जेलें तोड़ कर खोली जाती हैं, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का अभियुक्त है। इन तथ्यों का घटित होना साधारण संव्यवहार का भाग होने के नाते सुसंगत है, चाहे क उन सभी में उपस्थित न रहा हो।

(ग) क एक पत्र में, जो किसी पत्राचार का भाग है, अन्तर्विष्ट अपमान-लेख के लिए ख पर वाद लाता है। जिस विषय में अपमान-लेख उद्भूत हुआ है, उससे संबंधित पक्षकारों के बीच जितने पत्र उस पत्राचार के भाग हैं जिसमें वह अन्तर्विष्ट है, वे सुसंगत तथ्य हैं, चाहे उनमें वह अपमान-लेख स्वयं अन्तर्विष्ट न हो।

(घ) प्रश्न यह है कि क्या ख से आदेशित अमुक माल क को दिया गया था। वह माल, अनुक्रमशः कई मध्यवर्ती व्यक्तियों को दिया गया था। प्रत्येक परिदान सुसंगत तथ्य है।

5. वे तथ्य सुसंगत हैं, जो सुसंगत तथ्यों के या विवादक तथ्यों के आसन्न या अन्यथा प्रसंग, हेतुक या परिणाम हैं, या जो उस वस्तुस्थिति को गठित करते हैं, जिसके अन्तर्गत वे घटित हुए या जिसने उनके घटित होने या संव्यवहार का अवसर दिया।

दृष्टांत

(क) प्रश्न यह है कि क्या क ने ख को लूटा। ये तथ्य सुसंगत हैं कि लूट के थोड़ी देर पहले ख अपने कब्जे में धन लेकर किसी मेले में गया, और उसने दूसरे व्यक्तियों को उसे दिखाया या उनसे इस तथ्य का कि उसके पास धन है, उल्लेख किया।

(ख) प्रश्न यह है कि क्या क ने ख की हत्या की। उस स्थान पर जहां हत्या की गई थी या उसके समीप भूमि पर गुत्थम-गुत्था होने से बने हुए चिह्न सुसंगत तथ्य हैं।

(ग) प्रश्न यह है कि क्या क ने ख को विष दिया। विष से उत्पन्न कहे जाने वाले लक्षणों के पूर्व ख के स्वास्थ्य की दशा और क को ज्ञात ख की वे आदतें, जिनसे विष देने का अवसर मिला, सुसंगत तथ्य हैं।

6. (1) कोई भी तथ्य, जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का हेतु या तैयारी दर्शित या गठित करता है, सुसंगत है।

(2) किसी वाद या कार्यवाही के किसी पक्षकार या किसी पक्षकार के अभिकर्ता का ऐसे वाद या कार्यवाही के बारे में या उसमें विवादक तथ्य या उससे सुसंगत किसी तथ्य के बारे में आचरण और किसी ऐसे व्यक्ति का आचरण, जिसके विरुद्ध कोई अपराध किसी कार्यवाही का विषय है, सुसंगत है, यदि ऐसा आचरण किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य को प्रभावित करता है या उससे प्रभावित होता है, चाहे वह उससे पूर्व का हो या पश्चात् का।

स्पष्टीकरण 1—इस धारा में “आचरण” शब्द के अन्तर्गत कथन नहीं आते, जब तक कि वे कथन उन कथनों से भिन्न कार्यों के साथ-साथ और उन्हें स्पष्ट करने वाले न हों, किन्तु इस अधिनियम की किसी अन्य धारा के अधीन उन कथनों की सुसंगति पर इस स्पष्टीकरण का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

स्पष्टीकरण 2—जब किसी व्यक्ति का आचरण सुसंगत है, तब उससे, या उसकी उपस्थिति और श्रवणगोचरता में किया गया कोई भी कथन, जो उस आचरण पर प्रभाव डालता है, सुसंगत है।

दृष्टांत

(क) ख की हत्या के लिए क का विचारण किया जाता है। ये तथ्य कि क ने ग की हत्या की, जिसको ख जानता था कि क ने ग की हत्या की है और कि ख ने अपनी

वे तथ्य, जो विवादक तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के प्रसंग, हेतुक या परिणाम हैं।

हेतु, तैयारी और पूर्व का या पश्चात् का आचरण।

इस जानकारी को सार्वजनिक करने की धमकी देकर क से धन उद्घापित करने का प्रयत्न किया था, सुसंगत हैं ।

(ख) क बन्धपत्र के आधार पर धन के संदाय के लिए ख पर वाद लाता है । ख इस बात से इंकार करता है कि उसने बन्धपत्र लिखा । यह तथ्य कि उस समय, जब बन्धपत्र का लिखा जाना अभिकथित है, ख को किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए धन की आवश्यकता थी, सुसंगत है ।

(ग) विष द्वारा ख की हत्या करने के लिए क का विचारण किया जाता है । यह तथ्य सुसंगत है कि ख की मृत्यु के पूर्व क ने ख को दिए गए विष के जैसा विष उपाप्त किया था ।

(घ) प्रश्न यह है कि क्या अमुक दस्तावेज क की वसीयत है । ये तथ्य कि अभिकथित वसीयत की तारीख से थोड़े दिन पहले क ने उन विषयों की जांच की थी, जिनसे अभिकथित वसीयत के उपबन्धों का संबंध है, कि उसने वह वसीयत करने के बारे में अधिवक्ताओं से परामर्श किया और उसने अन्य वसीयतों के प्रारूप बनवाए जिन्हें उसने अनुमोदित नहीं किया, सुसंगत है ।

(ङ) क किसी अपराध का अभियुक्त है । ये तथ्य कि अभिकथित अपराध से पूर्व या अपराध करने के समय या उसके पश्चात् क ने ऐसे साक्ष्य का प्रबंध किया जिसकी प्रवृत्ति ऐसी थी कि मामले के तथ्य उसके अनुकूल प्रतीत हों या उसने साक्ष्य को नष्ट किया या छिपाया या कि उन व्यक्तियों की, जो साक्षी हो सकते थे, उपस्थिति निवारित की या अनुपस्थिति उपाप्त की या लोगों को उसके संबंध में मिथ्या साक्ष्य देने के लिए तैयार किया, सुसंगत है ।

(च) प्रश्न यह है कि क्या क ने ख को लूटा । ये तथ्य कि ख के लूटे जाने के पश्चात् ग ने क की उपस्थिति में कहा कि “ख को लूटने वाले व्यक्ति को खोजने के लिए पुलिस आ रही है,” और यह कि उसके तुरन्त पश्चात् क भाग गया, सुसंगत है ।

(छ) प्रश्न यह है कि क्या ख के प्रति क दस हजार रुपए का देनदार है । यह तथ्य कि क ने ग से धन उधार मांगा और कि घ ने ग से क की उपस्थिति और श्रवणगोचरता में कहा कि “मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम क पर भरोसा मत करो क्योंकि वह ख के प्रति दस हजार रुपए का देनदार है,” और कि क कोई उत्तर दिए बिना चला गया, सुसंगत है ।

(ज) प्रश्न यह है कि क्या क ने अपराध किया । यह तथ्य कि क एक पत्र पाने के पश्चात्, जिसमें क को चेतावनी दी गई थी कि अपराधी के लिए जांच की जा रही है, फरार हो गया और उस पत्र की अन्तर्वस्तु, सुसंगत है ।

(झ) क किसी अपराध का अभियुक्त है । ये तथ्य कि अभिकथित अपराध के किए जाने के पश्चात् क फरार हो गया या कि उस अपराध से अर्जित संपत्ति या संपत्ति के आगम उसके कब्जे में थे या कि उसने उन वस्तुओं को, जिनसे वह अपराध किया गया था, या किया जा सकता था, छिपाने का प्रयत्न किया, सुसंगत हैं ।

(ञ) प्रश्न यह है कि क्या क के साथ बलात्संग किया गया । यह तथ्य कि अभिकथित बलात्संग के अल्पकाल पश्चात् क ने अपराध के बारे में परिवाद किया, वे परिस्थितियां जिनके अधीन और वे शब्द जिनमें वह परिवाद किया गया, सुसंगत हैं । यह तथ्य कि क ने परिवाद किए बिना कहा कि मेरे साथ बलात्संग किया गया है, इस धारा के अधीन आचरण के रूप में सुसंगत नहीं है । यद्यपि वह धारा 26 के खण्ड (क) के अधीन मृत्युकालिक कथन या धारा 160 के अधीन सम्पोषक साक्ष्य के रूप में सुसंगत हो सकता है ।

(ट) प्रश्न यह है कि क्या क को लूटा गया । यह तथ्य कि अभिकथित लूट के तुरन्त पश्चात् क ने अपराध के संबंध में परिवाद किया, वे परिस्थितियां जिनके अधीन और वे शब्द, जिनमें वह परिवाद किया गया, सुसंगत हैं । यह तथ्य कि क ने कोई परिवाद किए बिना कहा कि मुझे लूटा गया है इस धारा के अधीन आचरण के रूप में सुसंगत नहीं है, यद्यपि वह धारा 26 के खण्ड (क) के अधीन मृत्युकालिक कथन या धारा 160 के अधीन सम्पोषक साक्ष्य के रूप में सुसंगत हो सकता है ।

7. वे तथ्य, जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के स्पष्टीकरण या पुरःस्थापन के लिए आवश्यक हैं या जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य द्वारा सुझाए गए अनुमान का समर्थन या खण्डन करते हैं, या जो किसी वस्तु या व्यक्ति की, जिसकी पहचान सुसंगत है, पहचान स्थापित करते हैं, या वह समय या स्थान नियत करते हैं जब या जहां कोई विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य घटित हुआ, या जो उन पक्षकारों का संबंध दर्शित करते हैं जिनके द्वारा ऐसे किसी तथ्य का संव्यवहार किया गया था, वहां तक सुसंगत हैं जहां तक वे उस प्रयोजन के लिए आवश्यक हैं ।

विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुरःस्थापन के लिए आवश्यक तथ्य ।

दृष्टांत

(क) प्रश्न यह है कि क्या कोई विशिष्ट दस्तावेज क की वसीयत है । अभिकथित विल की तारीख पर क की संपत्ति की अवस्था और उसके कुटुम्ब की अवस्था सुसंगत तथ्य हो सकेगी ।

(ख) क पर निकृष्ट आचरण का लांछन लगाने वाले अपमान-लेख के लिए ख पर क वाद लाता है । ख अभिपुष्ट करता है कि वह बात सच है, जिसका अपमान-लेख होना अभिकथित है । पक्षकारों की उस समय की स्थिति और संबंध, जब अपमान-लेख प्रकाशित हुआ था, विवादक तथ्यों की पुरःस्थापना के रूप में सुसंगत तथ्य हो सकेगा । क और ख के बीच किसी ऐसी बात के विषय में विवाद की विशिष्टियां, जो अभिकथित अपमान-लेख से असंबद्ध हैं, विसंगत हैं, यद्यपि यह तथ्य कि कोई विवाद हुआ था, यदि उससे क और ख के बीच सम्बन्धों पर प्रभाव पड़ा है, सुसंगत हो सकेगा ।

(ग) क किसी अपराध का अभियुक्त है । यह तथ्य कि, उस अपराध के किए जाने के तुरन्त पश्चात् क अपने घर से फरार हो गया, धारा 6 के अधीन विवादक तथ्यों के पश्चात्पूर्ती और उनसे प्रभावित आचरण के रूप में सुसंगत है । यह तथ्य कि उस समय, जब वह घर से चला था, क का उस स्थान में, जहां वह गया था, अचानक और अति-आवश्यक कार्य था, उसके अचानक घर से चले जाने के तथ्य के स्पष्टीकरण की प्रवृत्ति रखने के कारण सुसंगत है । जिस काम के लिए वह चला उसका ब्यौरा सुसंगत नहीं है, सिवाय इसके कि जहां तक वह यह दर्शित करने के लिए आवश्यक है कि वह काम अचानक और अति-आवश्यक था ।

(घ) क के साथ की गई सेवा की संविदा को भंग करने के लिए ग को उत्प्रेरित करने के कारण ख पर क वाद लाता है । क की सेवा को छोड़ते समय क से ग कहता है कि “मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं क्योंकि ख ने मुझे तुमसे अधिक अच्छी प्रस्थापना की है ।” यह कथन ग के आचरण को, जो विवादक तथ्य के रूप में सुसंगत है, स्पष्ट करने वाला होने के कारण सुसंगत है ।

(ङ) चोरी का अभियुक्त क चुराई हुई संपत्ति ख को देते हुए देखा जाता है, जो उसे क की पत्नी को देते हुए देखा जाता है । ख उसे परिदान करते हुए कहता है कि “क ने कहा है कि तुम इसे छिपा दो” । ख का कथन उस संव्यवहार का भाग होने वाले तथ्य को स्पष्ट करने वाला होने के कारण सुसंगत है ।

(च) बलवा करने के लिए क का विचारण किया जा रहा है और भीड़ का नेतृत्व करते हुए उसका चलना साबित हो चुका है । भीड़ की आवाजें, इस संव्यवहार की प्रकृति को स्पष्ट करने वाली होने के कारण सुसंगत हैं ।

सामान्य
परिकल्पना के
बारे में
षड्यंत्रकारी द्वारा
कही गई या की
गई बातें।

8. जहां यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि दो या अधिक व्यक्तियों ने कोई अपराध या वादयोग्य दोष करने के लिए मिलकर षड्यंत्र किया है, वहां उनके सामान्य आशय के बारे में उनमें से किसी एक व्यक्ति द्वारा उस समय के पश्चात्, जब ऐसा आशय उनमें से किसी एक ने प्रथम बार मन में धारण किया, कही गई, की गई, या लिखी गई कोई बात उन व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध, जिनके बारे में विश्वास किया जाता है कि उन्होंने इस प्रकार षड्यंत्र किया है, षड्यंत्र का अस्तित्व साबित करने के प्रयोजन के लिए उसी प्रकार सुसंगत तथ्य है जिस प्रकार यह दर्शित करने के प्रयोजन के लिए कि ऐसा कोई व्यक्ति उसका पक्षकार था ।

दृष्टांत

यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि क राज्य के विरुद्ध युद्ध करने के षड्यंत्र में सम्मिलित हुआ है ।

ख ने उस षड्यंत्र के प्रयोजन के लिए यूरोप में आयुध उपाप्त किए, ग ने वैसे ही उद्देश्य से कोलकाता में धन संग्रह किया, घ ने मुम्बई में लोगों को उस षड्यंत्र में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया, ङ ने आगरा में उस उद्देश्य के पक्षपोषण में लेख प्रकाशित किए और ग द्वारा कोलकाता में संग्रहित धन को च ने दिल्ली से छ के पास सिंगापुर भेजा । इन तथ्यों और उस षड्यंत्र का वृत्तान्त देने वाले ज द्वारा लिखित पत्र की अन्तर्वस्तु में से प्रत्येक षड्यंत्र का अस्तित्व साबित करने के लिए और उसमें क की सह-अपराधिता साबित करने के लिए भी सुसंगत है, चाहे वह उन सभी के बारे में अनभिज्ञ रहा हो, तथा चाहे उन्हें करने वाले व्यक्ति उसके लिए अपरिचित रहे हों, तथा चाहे वे उसके षड्यंत्र में सम्मिलित होने से पूर्व या उसके षड्यंत्र से अलग हो जाने के पश्चात् घटित हुए हों ।

वे तथ्य जो
अन्यथा सुसंगत
नहीं हैं कब
सुसंगत हैं।

9. वे तथ्य, जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं, सुसंगत हैं :—

(1) यदि वे किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत हैं ;

(2) यदि वे स्वयंमेव या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का अस्तित्व या अनस्तित्व अत्यन्त अधिसम्भाव्य या अनधिसम्भाव्य बनाते हैं ।

दृष्टांत

(क) प्रश्न यह है कि क्या क ने किसी अमुक दिन चेन्नई में अपराध किया । यह तथ्य कि क उस दिन लद्दाख में था, सुसंगत है । यह तथ्य कि जब अपराध किया गया था उस समय के लगभग क उस स्थान से, जहां कि वह अपराध किया गया था, इतनी दूरी पर था कि क द्वारा उस अपराध का किया जाना यदि असम्भव नहीं, तो अत्यन्त अनधिसम्भाव्य था, सुसंगत है ।

(ख) प्रश्न यह है कि क्या क ने अपराध किया है । परिस्थितियां ऐसी हैं कि वह अपराध क, ख, ग या घ में से किसी एक के द्वारा अवश्य किया गया होगा । वह प्रत्येक तथ्य, जिससे यह दर्शित होता है कि वह अपराध किसी अन्य के द्वारा नहीं किया जा सकता था, और वह ख, ग या घ में से किसी के द्वारा नहीं किया गया था, सुसंगत है ।

10. उन वादों में, जिनमें नुकसानी का दावा किया गया है, कोई भी तथ्य सुसंगत है जिससे न्यायालय नुकसानी की वह रकम अवधारित करने के लिए समर्थ हो जाए, जो अधिनिर्णीत की जानी चाहिए।

रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य नुकसानी के लिए वादों में सुसंगत हैं।

11. जहां किसी अधिकार या रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में प्रश्न है, वहां निम्नलिखित तथ्य सुसंगत हैं—

जब अधिकार या रूढ़ि प्रश्नगत है, तब सुसंगत तथ्य।

(क) कोई संव्यवहार, जिसके द्वारा प्रश्नगत अधिकार या रूढ़ि सृजित, दावाकृत, उपांतरित, मान्यकृत, दृढ़कथित की गई या इंकार की गई थी या जो उसके अस्तित्व से असंगत था ;

(ख) वे विशिष्ट उदाहरण, जिनमें वह अधिकार या रूढ़ि दावाकृत, मान्य या प्रयोग की गई थी, या जिनमें उसका प्रयोग विवादग्रस्त था दृढ़कथन किया गया था या उसका अनुसरण नहीं किया गया था।

दृष्टांत

प्रश्न यह है कि क्या क का एक मत्स्य क्षेत्र पर अधिकार है। क के पूर्वजों को मत्स्य क्षेत्र प्रदान करने वाला विलेख, क के पिता द्वारा उस मत्स्य क्षेत्र का बन्धक, क के पिता द्वारा उस बन्धक से अनमेल मत्स्य क्षेत्र का पश्चातवर्ती अनुदान, विशिष्ट उदाहरण जिनमें क के पिता ने अधिकार का प्रयोग किया, या जिनमें अधिकार का प्रयोग क के पड़ोसियों द्वारा रोका गया था, सुसंगत तथ्य हैं।

12. मन की कोई भी दशा जैसे आशय, ज्ञान, सद्भाव, उपेक्षा, उतावलापन किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति वैमनस्य या सदिच्छा दर्शित करने वाले या शरीर की या शारीरिक संवेदना की किसी दशा का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य तब सुसंगत हैं, जब ऐसे मन की या शरीर की या शारीरिक संवेदना की किसी ऐसी दशा का अस्तित्व विवाद्य या सुसंगत है।

मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य।

स्पष्टीकरण 1—जो तथ्य इस नाते सुसंगत हैं कि वह मन की सुसंगत दशा के अस्तित्व को दर्शित करता है उससे यह दर्शित होना ही चाहिए कि मन की वह दशा साधारणतः नहीं, अपितु प्रश्नगत विशिष्ट विषय के बारे में, अस्तित्व में है।

स्पष्टीकरण 2—किन्तु जहां किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विचारण में इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत उस अभियुक्त द्वारा किसी अपराध का कभी पहले किया जाना सुसंगत हो, तब ऐसे व्यक्ति की पूर्व दोषसिद्धि भी सुसंगत तथ्य होगी।

दृष्टांत

(क) क चुराया हुआ माल यह जानते हुए कि वह चुराया हुआ है, प्राप्त करने का अभियुक्त है। यह साबित कर दिया जाता है कि उसके कब्जे में कोई विशिष्ट चुराई हुई वस्तु थी। यह तथ्य कि उसी समय उसके कब्जे में कई अन्य चुराई हुई वस्तुएं थीं यह दर्शित करने की प्रवृत्ति रखने वाला होने के नाते सुसंगत है कि जो वस्तुएं उसके कब्जे में थीं उनमें से प्रत्येक और सबके बारे में वह जानता था कि वह चुराई हुई हैं।

(ख) क पर किसी अन्य व्यक्ति को कूटकृत मुद्रा के कपटपूर्वक परिदान करने का अभियोग है, जिसे वह परिदान करते समय जानता था कि वह कूटकृत है। यह तथ्य कि उसके परिदान के समय क के कब्जे में वैसे ही दूसरी कूटकृत मुद्रा थी, सुसंगत है। यह तथ्य कि क एक कूटकृत मुद्रा को, यह जानते हुए कि वह मुद्रा कूटकृत है, उसे असली के

रूप में किसी अन्य व्यक्ति को परिदान करने के लिए पहले भी दोषसिद्ध हुआ था, सुसंगत है ।

(ग) ख के कुत्ते द्वारा, जिसका उग्र होना ख जानता था, किए गए नुकसान के लिए ख पर क वाद लाता है । ये तथ्य कि कुत्ते ने पहले भी भ, म और य को काटा था और यह कि उन्होंने ख से शिकायतें की थीं, सुसंगत हैं ।

(घ) प्रश्न यह है कि क्या विनिमयपत्र का प्रतिग्रहीता क यह जानता था कि उसके पाने वाले का नाम काल्पनिक है । यह तथ्य कि क ने उसी प्रकार से लिखित अन्य विनिमयपत्रों को इसके पहले कि वे पाने वाले द्वारा, यदि पाने वाला वास्तविक व्यक्ति होता तो, उसको पारेषित किए जा सकते, स्वीकृत किया था, यह दर्शित करने के नाते सुसंगत है कि क यह जानता था कि पाने वाला व्यक्ति काल्पनिक है ।

(ङ) क पर ख की ख्याति की अपहानि करने के आशय से एक लांछन प्रकाशित करके ख की मानहानि करने का अभियोग है । यह तथ्य कि ख के बारे में क ने पूर्व प्रकाशन किए, जिनसे ख के प्रति क का वैमनस्य दर्शित होता है, इस कारण सुसंगत है कि उससे प्रश्नगत विशिष्ट प्रकाशन द्वारा ख की ख्याति की अपहानि करने का क का आशय साबित होता है । ये तथ्य कि क और ख के बीच पहले कोई झगड़ा नहीं हुआ और कि क ने परिवादगत बात को जैसा सुना था वैसा ही दुहरा दिया था, यह दर्शित करने के नाते कि क का आशय ख की ख्याति की अपहानि करना नहीं था, सुसंगत हैं ।

(च) क पर ख द्वारा यह वाद लाया जाता है कि ग के बारे में क ने ख से यह कपटपूर्वक निरूपण किया कि ग ऋण चुकाने में समर्थ है जिससे उत्प्रेरित होकर ख ने ग का, जो दिवालिया था, भरोसा किया और हानि उठाई । यह तथ्य कि जब क ने ग को ऋण चुकाने में समर्थ निरूपित किया था, तब ग को उसके पड़ोसी और उससे व्यौहार करने वाले व्यक्ति ऋण चुकाने में समर्थ समझते थे, यह दर्शित करने के नाते कि क ने ऐसा निरूपण सद्भावपूर्वक किया था, सुसंगत है ।

(छ) क पर ख द्वारा उस काम की कीमत के लिए वाद लाया जाता है जो ठेकेदार ग के आदेश से किसी घर पर, जिसका क स्वामी है, ख ने काम किया था । क का प्रतिवाद है कि ख का ठेका ग के साथ था । यह तथ्य कि क ने प्रश्नगत काम के लिए ग को कीमत दे दी इसलिए सुसंगत है कि उससे यह साबित होता है कि क ने सद्भावपूर्वक ग को प्रश्नगत काम का प्रबन्ध दे दिया था, जिससे कि ख के साथ ग अपने ही निमित्त, न कि क के अभिकर्ता के रूप में, संविदा करने की स्थिति में था ।

(ज) क ऐसी संपत्ति का, जो उसने पड़ी पाई थी, बेईमानी से दुर्विनियोग करने का अभियुक्त है और प्रश्न यह है कि क्या जब उसने उसका विनियोग किया उसे सद्भावपूर्वक विश्वास था कि वास्तविक स्वामी मिल नहीं सकता । यह तथ्य कि संपत्ति के खो जाने की सार्वजनिक सूचना उस स्थान में, जहां क था, दी जा चुकी थी, यह दर्शित करने के नाते सुसंगत है कि क को सद्भावपूर्वक यह विश्वास नहीं था कि उस संपत्ति का वास्तविक स्वामी मिल नहीं सकता । यह तथ्य कि क यह जानता था या उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि सूचना कपटपूर्वक ग द्वारा दी गई थी जिसने संपत्ति की हानि के बारे में सुन रखा था और जो उस पर मिथ्या दावा करने का इच्छुक था यह दर्शित करने के नाते सुसंगत है कि क का सूचना के बारे में ज्ञान क के सद्भाव को नासाबित नहीं करता ।

(झ) क पर ख को मार डालने के आशय से उस पर गोली मारने करने का अभियोग है । क का आशय दर्शित करने के लिए यह तथ्य साबित किया जा सकेगा कि क ने पहले भी ख को गोली मारी थी ।

(ज) क पर ख को धमकी भरे पत्र भेजने का आरोप है । इन पत्रों का आशय दर्शित करने के नाते क द्वारा ख को पहले भेजे गए धमकी भरे पत्र साबित किए जा सकेंगे ।

(ट) प्रश्न यह है कि क्या क अपनी पत्नी ख के प्रति क्रूरता का दोषी रहा है । अभिकथित क्रूरता के थोड़ी देर पहले या पीछे उनके एक दूसरे के प्रति भावना की अभिव्यक्तियां सुसंगत तथ्य हैं ।

(ठ) प्रश्न यह है कि क्या क की मृत्यु विष से कारित की गई थी । अपनी बीमारी के दौरान क द्वारा अपने लक्षणों के बारे में किए हुए कथन सुसंगत तथ्य हैं ।

(ड) प्रश्न यह है कि क के स्वास्थ्य की दशा उस समय कैसी थी जिस समय उसके जीवन का बीमा कराया गया था । प्रश्नगत समय पर या उसके लगभग अपने स्वास्थ्य की दशा के बारे में क द्वारा किए गए कथन सुसंगत तथ्य हैं ।

(ढ) क ऐसी उपेक्षा के लिए ख पर वाद लाता है जिसने उसे ऐसी कार भाड़े पर दी, जो युक्तियुक्त रूप से उपयोग के लिए ठीक नहीं थी, जिससे क को क्षति हुई । यह तथ्य कि उस विशिष्ट कार की त्रुटि की ओर अन्य अवसरों पर भी ख का ध्यान आकृष्ट किया गया था, सुसंगत है । यह तथ्य कि ख उन कारों के बारे में, जिन्हें वह भाड़े पर देता था, अभ्यासतः उपेक्षावान था, विसंगत है ।

(ण) क साशय गोली मार कर ख की मृत्यु करने के कारण हत्या के लिए विचारित है । यह तथ्य कि क ने अन्य अवसरों पर ख को गोली मारी थी, क का ख को गोली मारने का आशय दर्शित करने के नाते सुसंगत है । यह तथ्य कि क लोगों पर उनकी हत्या करने के आशय से गोली मारने का अभ्यासी था, विसंगत है ।

(त) क का किसी अपराध के लिए विचारण किया जाता है । यह तथ्य कि उसने कोई बात कही जिससे उस विशिष्ट अपराध के करने का आशय उपदर्शित होता है, सुसंगत है । यह तथ्य कि उसने कोई बात कही जिससे उस प्रकार के अपराध करने की उसकी साधारण प्रवृत्ति उपदर्शित होती है, विसंगत है ।

13. जब प्रश्न यह है कि कार्य आकस्मिक या साशय था, या किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से किया गया था, तब यह तथ्य कि ऐसा कार्य समरूप घटनाओं की आवली का भाग था जिनमें से प्रत्येक घटना के साथ वह कार्य करने वाला व्यक्ति संबद्ध था, सुसंगत है ।

दृष्टांत

(क) क पर यह अभियोग है कि अपने घर के बीमे का धन अभिप्राप्त करने के लिए उसने उसे जला दिया । ये तथ्य कि क कई घरों में एक के पश्चात् दूसरे में रहा, जिनमें से प्रत्येक का उसने बीमा कराया, जिनमें से प्रत्येक में आग लगी और जिन अग्निकांडों में से प्रत्येक के उपरान्त क को किसी भिन्न बीमा कंपनी से बीमा धन मिला, इस नाते सुसंगत है कि उनसे यह दर्शित होता है कि वे अग्निकांड आकस्मिक नहीं थे ।

(ख) ख के ऋणियों से धन प्राप्त करने के लिए क नियोजित है । क का यह कर्तव्य है कि बही में अपने द्वारा प्राप्त रकमों को दर्शित करने वाली प्रविष्टियां करे । वह एक प्रविष्टि करता है जिससे यह दर्शित होता है कि किसी विशिष्ट अवसर पर उसे वास्तव में प्राप्त राशि से कम रकम प्राप्त हुई । प्रश्न यह है कि क्या यह मिथ्या प्रविष्टि आकस्मिक थी या साशय । ये तथ्य कि उसी बही में क द्वारा की हुई अन्य प्रविष्टियां मिथ्या हैं और कि प्रत्येक अवस्था में मिथ्या प्रविष्टि क के पक्ष में हैं, सुसंगत है ।

(ग) ख को कपटपूर्वक कूटकृत करेंसी का परिदान करने का क अभियुक्त है । प्रश्न यह है कि क्या करेंसी का परिदान आकस्मिक था । यह तथ्य कि ख को परिदान के

कार्य
आकस्मिक या
साशय था इस
प्रश्न पर प्रकाश
डालने वाले
तथ्य।

तुरन्त पहले या तुरन्त पश्चात् क ने ग, घ और ङ को कूटकृत करेंसी का परिदान किया था इस नाते सुसंगत हैं कि उनसे यह दर्शित होता है कि ख को किया गया परिदान आकस्मिक नहीं था ।

कारबार के
अनुक्रम का
अस्तित्व कब
सुसंगत है।

14. जब प्रश्न यह है कि क्या कोई विशिष्ट कार्य किया गया था, तब कारबार के ऐसे किसी भी अनुक्रम का अस्तित्व, जिसके अनुसार वह कार्य स्वभावतः किया जाता, सुसंगत तथ्य है ।

दृष्टांत

(क) प्रश्न यह है कि क्या एक विशिष्ट पत्र प्रेषित किया गया था । ये तथ्य कि कारबार का यह साधारण अनुक्रम था कि वे सभी पत्र, जो किसी अमुक स्थान में रख दिए जाते थे, डाक में डाले जाने के लिए ले जाए जाते थे और कि वह पत्र उस स्थान में रख दिया गया था, सुसंगत हैं ।

(ख) प्रश्न यह है कि क्या कोई विशिष्ट पत्र क को मिला । ये तथ्य कि वह सम्यक् अनुक्रम में डाक में डाला गया था, और कि वह पुनः प्रेषण केन्द्र द्वारा लौटाया नहीं गया था, सुसंगत है ।

स्वीकृतियां

स्वीकृति की
परिभाषा ।

15. स्वीकृति वह मौखिक या दस्तावेजी या इलैक्ट्रानिक प्ररूप में अंतर्विष्ट कथन है, जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है और जो ऐसे व्यक्तियों में से किसी के द्वारा और ऐसी परिस्थितियों में किया गया है जो इसमें इसके पश्चात् वर्णित हैं ।

कार्यवाही के
पक्षकार या
उसके अभिकर्ता
द्वारा स्वीकृति ।

16. (1) वे कथन स्वीकृतियां हैं, जिन्हें कार्यवाही के किसी पक्षकार ने किया है, या ऐसे किसी पक्षकार के ऐसे किसी अभिकर्ता द्वारा किया गया है, जिसे न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उन कथनों को करने के लिए उस पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से प्राधिकृत किया हुआ मानता है ।

(2) वे कथन स्वीकृतियां हैं, जो—

(i) वाद के ऐसे पक्षकारों द्वारा, जो प्रतिनिधि की हैसियत में वाद ला रहे हैं या जिन पर प्रतिनिधि की हैसियत में वाद लाया जा रहा है, तब तक स्वीकृतियां नहीं हैं, जब तक कि वे उस समय न किए गए हों जबकि उनको करने वाला पक्षकार वैसी हैसियत धारण करता था ; या

(ii) (क) ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं, जिनका कार्यवाही की विषय-वस्तु में कोई साम्पत्तिक या धन संबंधी हित है और जो इस प्रकार हितबद्ध व्यक्तियों की हैसियत में वह कथन करते हैं ; या

(ख) ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं, जिनसे वाद के पक्षकारों का वाद की विषय-वस्तु में अपना हित व्युत्पन्न हुआ है,

यदि वे कथन उन्हें करने वाले व्यक्तियों के हित के बने रहने के दौरान किए गए हैं ।

उन व्यक्तियों
द्वारा स्वीकृतियां
जिनकी स्थिति वाद
के पक्षकारों के
विरुद्ध साबित की
जानी चाहिए ।

17. वे कथन, जो उन व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं जिनकी स्थिति या दायित्व, वाद के किसी पक्षकार के विरुद्ध साबित करना आवश्यक है, स्वीकृतियां हैं, यदि ऐसे कथन ऐसे व्यक्तियों द्वारा, या उन पर लाए गए वाद में ऐसी स्थिति या दायित्व के संबंध में ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत होते और यदि वे उस समय किए गए हैं जबकि उन्हें करने वाला व्यक्ति ऐसी स्थिति ग्रहण किए हुए हैं या ऐसे दायित्व के अधीन हैं ।

दृष्टांत

ख के लिए किराया संग्रह करने का दायित्व क लेता है । ग द्वारा ख को देय किराया संग्रह न करने के लिए क पर ख वाद लाता है । क इस बात से इंकार करता है कि ग से ख को किराया देय था । ग द्वारा यह कथन कि उस पर ख को किराया देय है स्वीकृति है, और यदि क इस बात से इंकार करता है कि ग द्वारा ख को किराया देय था तो वह क के विरुद्ध सुसंगत तथ्य है ।

18. वे कथन, जो उन व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं जिनको वाद के किसी पक्षकार ने किसी विवादग्रस्त विषय के बारे में जानकारी के लिए अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट किया है, स्वीकृतियां हैं ।

वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां।

दृष्टांत

यह प्रश्न है कि क्या क द्वारा ख को बेचा गया घोड़ा अच्छा है ।

ख से क कहता है कि “जा कर ग से पूछ लो, ग इस बारे में सब कुछ जानता है”। ग का कथन स्वीकृति है ।

19. स्वीकृतियां, उन्हें करने वाले व्यक्ति के या उसके हित प्रतिनिधि के विरुद्ध सुसंगत हैं और साबित की जा सकेंगी, किन्तु उन्हें करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से या उसके हित प्रतिनिधि द्वारा, निम्नलिखित अवस्थाओं में के सिवाय, वे साबित नहीं की जा सकेंगी, अर्थात् :—

स्वीकृतियों का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना।

(1) कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से तब साबित की जा सकेगी, जब वह इस प्रकृति की है कि यदि उसे करने वाला व्यक्ति मर गया होता, तो वह अन्य व्यक्तियों के बीच धारा 26 के अधीन सुसंगत होती ।

(2) कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से तब साबित की जा सकेगी, जब वह मन या शरीर की सुसंगत या विवाद्य किसी दशा के अस्तित्व का ऐसा कथन है जो उस समय या उसके लगभग किया गया था जब मन या शरीर की ऐसी दशा विद्यमान थी और ऐसे आचरण के साथ है जो उसकी असत्यता को अनधिसम्भाव्य कर देता है ।

(3) कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से साबित की जा सकेगी, यदि वह स्वीकृति के रूप में नहीं किन्तु अन्यथा सुसंगत है ।

दृष्टांत

(क) क और ख के बीच प्रश्न यह है कि अमुक विलेख कूटरचित है या नहीं । क अभिपुष्ट करता है कि वह असली है, ख अभिपुष्ट करता है कि वह कूटरचित है । ख का कोई कथन कि विलेख असली है, क साबित कर सकेगा तथा क का कोई कथन कि विलेख कूटरचित है, ख साबित कर सकेगा, किन्तु क अपना यह कथन कि विलेख असली है, साबित नहीं कर सकेगा और न ख ही अपना यह कथन कि विलेख कूटरचित है, साबित कर सकेगा ।

(ख) किसी पोत के कप्तान क का विचारण, उस पोत को संत्यक्त करने के लिए किया जाता है । यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जाता है कि पोत अपने उचित मार्ग से बाहर ले जाया गया था । क अपने कारबार के साधारण अनुक्रम में अपने द्वारा रखी जाने वाली वह पुस्तक प्रस्तुत करता है जिसमें वे टिप्पणियां दर्शित हैं, जिनके बारे में यह अभिकथित है कि वे दिन-प्रतिदिन किए गए थे और जिनसे यह उपदर्शित है कि

पोत अपने उचित मार्ग से बाहर नहीं ले जाया गया था । क इन कथनों को साबित कर सकेगा क्योंकि, यदि उसकी मृत्यु हो गई होती तो वे कथन अन्य व्यक्तियों के बीच धारा 26 के खंड (ख) के अधीन ग्राह्य होते ।

(ग) क कोलकाता में किए गए अपराध का अभियुक्त है । वह अपने द्वारा लिखित और उसी दिन चेन्नई में दिनांकित और उसी दिन का चेन्नई का डाक चिह्न धारण करने वाला एक पत्र प्रस्तुत करता है । पत्र की तारीख में, का कथन ग्राह्य है क्योंकि, यदि क की मृत्यु हो गई होती, तो वह धारा 26 के खंड (ख) के अधीन ग्राह्य होता ।

(घ) क चुराए हुए माल को यह जानते हुए कि वह चुराया हुआ है प्राप्त करने का अभियुक्त है । वह यह साबित करने की प्रस्थापना करता है कि उसने उसे उसके मूल्य से कम दाम में बेचने से इंकार किया था । क इन कथनों को साबित कर सकेगा, यद्यपि ये स्वीकृतियां हैं क्योंकि ये विवादक तथ्यों से प्रभावित उसके आचरण के स्पष्टीकारक हैं ।

(ङ) क अपने कब्जे में कूटकृत मुद्रा, कपटपूर्वक रखने का अभियुक्त है, जिसका कूटकृत होना वह जानता था । वह यह साबित करने की प्रस्थापना करता है कि उसने एक कुशल व्यक्ति से उस मुद्रा की जांच करने को कहा था, क्योंकि उसे इस बात का संदेह था कि वह कूटकृत है या नहीं और उस व्यक्ति ने उसकी जांच की तथा उससे कहा कि वह असली है । क इन तथ्यों को साबित कर सकेगा ।

दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं।

20. किसी दस्तावेज की अन्तर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां तब तक सुसंगत नहीं होती, जब तक कि उन्हें साबित करने की प्रस्थापना करने वाला पक्षकार यह दर्शित न कर दे कि ऐसे दस्तावेज की अन्तर्वस्तुओं का द्वितीयक साक्ष्य देने का वह इसमें इसके पश्चात् अन्तर्विष्ट नियमों के अधीन हकदार है या जब तक प्रस्तुत किए गए दस्तावेज का असली होना प्रश्नगत न हो ।

सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं।

21. सिविल मामलों में कोई भी स्वीकृति सुसंगत नहीं है, यदि वह या तो इस अभिव्यक्त शर्त पर की गई है कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, या ऐसी परिस्थितियों के अधीन दी गई है जिनसे न्यायालय यह अनुमान कर सके कि पक्षकार इस बात पर परस्पर सहमत हो गए थे कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाना चाहिए ।

स्पष्टीकरण—इस धारा की कोई भी बात, किसी अधिवक्ता को किसी ऐसी बात का साक्ष्य देने से छूट देने वाली नहीं मानी जाएगी जिसका साक्ष्य देने के लिए धारा 132 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन उसे विवश किया जा सकेगा ।

उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति, दाण्डिक कार्यवाही में कब विसंगत होती है।

22. अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई संस्वीकृति दाण्डिक कार्यवाही में विसंगत होती है, यदि उसके किए जाने के बारे में न्यायालय को प्रतीत होता है कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में वह ऐसी उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन द्वारा कराई गई है जो प्राधिकारवान् व्यक्ति की ओर से दिया गया है और जो न्यायालय की राय में इसके लिए पर्याप्त है कि वह अभियुक्त व्यक्ति को यह अनुमान करने के लिए उसे युक्तियुक्त प्रतीत होने वाले आधार देती है कि उसके करने से वह अपने विरुद्ध कार्यवाहियों के बारे में लौकिक रूप का कोई फायदा उठाएगा या किसी बुराई का परिवर्जन कर लेगा :

परंतु यदि संस्वीकृति ऐसी किसी उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन से कारित प्रभाव के पूर्णतः दूर हो जाने के पश्चात् की गई है, तो वह सुसंगत है :

परंतु यह और कि यदि ऐसी संस्वीकृति अन्यथा सुसंगत है, तो वह केवल इसलिए

विसंगत नहीं हो जाती कि वह गुप्त रखने के वचन के अधीन या उसे अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए अभियुक्त व्यक्ति से की गई प्रवचना के परिणामस्वरूप, या उस समय जब कि वह मदोन्मत्त था, की गई थी या इसलिए कि वह ऐसे प्रश्नों के, चाहे उनका रूप कैसा ही क्यों न रहा हो, उत्तर में की गई थी जिनका उत्तर देना उसके लिए आवश्यक नहीं था, या केवल इसलिए कि उसे यह चेतावनी नहीं दी गई थी कि वह ऐसी संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं था और उसके विरुद्ध उसका साक्ष्य दिया जा सकेगा ।

23. (1) किसी पुलिस अधिकारी से की गई कोई भी संस्वीकृति, किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी ।

पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति ।

(2) कोई भी संस्वीकृति, जो किसी व्यक्ति ने उस समय की हो जब वह पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में है, उसके विरुद्ध तब तक साबित नहीं की जाएगी, जब तक कि वह मजिस्ट्रेट की साक्षात् उपस्थिति में न की गई हो :

परन्तु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से, जो पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में है, प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप उसका पता चला है, तब ऐसी जानकारी में से, उतनी चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित है, साबित की जा सकेगी ।

24. जब एक से अधिक व्यक्ति एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित हैं और ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा, अपने को और ऐसे व्यक्तियों में से किसी अन्य को प्रभावित करने वाली की गई संस्वीकृति को साबित किया जाता है, तब न्यायालय ऐसी संस्वीकृति को ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध तथा ऐसे संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विचार में ले सकेगा ।

साबित संस्वीकृति को, जो उसे करने वाले व्यक्ति और एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है, विचार में लेना ।

स्पष्टीकरण 1—इस धारा में प्रयुक्त “अपराध” शब्द के अन्तर्गत, उस अपराध का दुष्प्रेरण या उसे करने का प्रयत्न आता है ।

स्पष्टीकरण 2—एक से अधिक व्यक्तियों का विचारण किसी ऐसे अभियुक्त की अनुपस्थिति में किया जाता है, जो भगौड़ा है या जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 84 के अधीन जारी उद्घोषणा का अनुपालन करने में असफल रहता है, इस धारा के प्रयोजन के लिए संयुक्त विचारण समझा जाएगा ।

2023 का 46

दृष्टांत

(क) क और ख को ग की हत्या के लिए संयुक्ततः विचारण किया जाता है । यह साबित किया जाता है कि क ने कहा कि “ख और मैंने ग की हत्या की है ।” ख के विरुद्ध इस संस्वीकृति के प्रभाव पर न्यायालय विचार कर सकेगा ।

(ख) ग की हत्या करने के लिए क का विचारण हो रहा है । यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य है कि ग की हत्या क और ख द्वारा की गई थी और यह कि ख ने कहा था कि “क और मैंने ग की हत्या की है” । न्यायालय इस कथन को क के विरुद्ध विचार में नहीं ले सकेगा, क्योंकि ख का संयुक्ततः विचारण नहीं हो रहा है ।

25. स्वीकृतियां, स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत नहीं हैं, किन्तु वे इसमें इसके पश्चात् अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन विबंध के रूप में प्रवर्तित हो सकेंगी ।

स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं हैं, किन्तु विबंध कर सकेंगी ।

उन व्यक्तियों के कथन, जिन्हें साक्षी के रूप में बुलाया नहीं जा सकता

वे दशाएँ जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है, जो मर गया है या मिल नहीं सकता, आदि ।

26. सुसंगत तथ्यों के लिखित या मौखिक कथन, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए थे, जो मर गया है या मिल नहीं सकता है या जो साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है या जिसकी उपस्थिति इतने विलम्ब या व्यय के बिना उपाप्त नहीं की जा सकती, जितना मामले की परिस्थितियों में न्यायालय को अयुक्तियुक्त प्रतीत होता है, निम्नलिखित दशाओं में स्वयंमेव सुसंगत तथ्य हैं, अर्थात् :—

(क) जब वह कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में या उस संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया है जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, तब उन मामलों में, जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत है । ऐसे कथन सुसंगत हैं चाहे उस व्यक्ति को, जिसने उन्हें किया है, उस समय जब वे किए गए थे मृत्यु की प्रत्याशंका थी या नहीं और चाहे उस कार्यवाही की, जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत होता है, प्रकृति कैसी ही क्यों न हो ;

(ख) जब वह कथन ऐसे व्यक्ति द्वारा कारबार के साधारण अनुक्रम में किया गया था और विशेषतः जब वह, उसके द्वारा कारबार के साधारण अनुक्रम में या वृत्तिक कर्तव्य के निर्वहन में रखी जाने वाली पुस्तकों में उसके द्वारा की गई किसी प्रविष्टि या किए गए जापन के रूप में है; या उसके द्वारा धन, माल, प्रतिभूति या किसी भी किस्म की सम्पत्ति की प्राप्ति की लिखित या हस्ताक्षरित अभिस्वीकृति है; या वाणिज्य में उपयोग में आने वाले उसके द्वारा लिखित या हस्ताक्षरित किसी दस्तावेज के रूप में है; या किसी पत्र या अन्य दस्तावेज की तारीख के रूप में है, जो उसके द्वारा प्रायः दिनांकित, लिखित या हस्ताक्षरित की जाती थी ;

(ग) जब वह कथन उसे करने वाले व्यक्ति के धन सम्बन्धी या साम्प्रतिक हित के विरुद्ध है या जब, यदि वह सत्य है, तो उसके कारण उस पर दाण्डिक अभियोजन या नुकसानी का वाद लाया जा सकता है या लाया जा सकता था ;

(घ) जब उस कथन में ऐसे किसी व्यक्ति की राय किसी ऐसे लोक अधिकार या रूढ़ि या लोक या साधारण हित के विषयों के अस्तित्व के बारे में है, जिसके अस्तित्व से, यदि वह अस्तित्व में होता तो, उससे उस व्यक्ति का अवगत होना सम्भाव्य होता और जब ऐसा कथन ऐसे किसी अधिकार, रूढ़ि या बात के बारे में किसी विवाद के उत्पन्न होने से पहले किया गया था ;

(ङ) जब वह कथन किन्हीं ऐसे व्यक्तियों के बीच रक्त, विवाह या दत्तकग्रहण पर आधारित किसी नातेदारी के अस्तित्व के सम्बन्ध में है, जिन व्यक्तियों की रक्त, विवाह या दत्तकग्रहण पर आधारित नातेदारी के बारे में उस व्यक्ति के पास, जिसने वह कथन किया है, ज्ञान के विशेष साधन थे और जब वह कथन विवादग्रस्त प्रश्न के उठाए जाने से पूर्व किया गया था ।

(च) जब वह कथन मृत व्यक्तियों के बीच रक्त, विवाह या दत्तकग्रहण पर आधारित किसी नातेदारी के अस्तित्व के सम्बन्ध में है और उस कुटुम्ब की बातों से, जिसका ऐसा मृत व्यक्ति संबंधित था, संबंधित किसी वसीयत या विलेख में या किसी कुटुम्ब-वंशावली में या किसी समाधि-पत्थर, कुटुम्ब-चित्र या अन्य चीजों पर जिन पर ऐसे कथन प्रायः किए जाते हैं, किया गया है, तथा जब ऐसा कथन विवादग्रस्त प्रश्न के उठाए जाने से पूर्व किया गया था ।

(छ) जब वह कथन किसी ऐसे विलेख, वसीयत या अन्य दस्तावेज में अन्तर्विष्ट है, जो किसी ऐसे संव्यवहार से संबंधित है जैसा धारा 11 के खण्ड (क)

में विनिर्दिष्ट है ।

(ज) जब वह कथन कई व्यक्तियों द्वारा किया गया था और प्रश्नगत बात से सुसंगत उनकी भावनाओं या धारणाओं को अभिव्यक्त करता है ।

दृष्टांत

(क) प्रश्न यह है कि क्या **क** की हत्या **ख** द्वारा की गई थी ; या **क** की मृत्यु किसी संव्यवहार में हुई क्षतियों से हो जाती है, जिसके अनुक्रम में उससे बलात्संग किया गया था । प्रश्न यह है कि क्या उससे **ख** द्वारा बलात्संग किया गया था, या प्रश्न यह है कि क्या **क**, **ख** द्वारा ऐसी परिस्थितियों में मारा गया था कि **क** की विधवा द्वारा **ख** के विरुद्ध वाद लाया जा सकता है । अपनी मृत्यु के कारण के बारे में **क** द्वारा किए गए वे कथन, जो उसने क्रमशः विचाराधीन हत्या, बलात्संग और वादयोग्य दोष को निर्देशित करते हुए किए हैं, सुसंगत तथ्य हैं ।

(ख) प्रश्न **क** के जन्म की तारीख के बारे में है । एक मृत शल्य चिकित्सक की अपने कारबार के साधारण अनुक्रम में नियमित रूप से रखी जाने वाली डायरी में इस कथन की प्रविष्टि, कि अमुक दिन उसने **क** की माता की परिचर्या की और उसे पुत्र का प्रसव कराया, सुसंगत तथ्य है ।

(ग) प्रश्न यह है कि क्या **क** अमुक दिन नागपुर में था । कारबार के साधारण अनुक्रम में नियमित रूप से रखी गई एक मृत सालिसिटर की डायरी में यह कथन, कि अमुक दिन वह सालिसिटर नागपुर में एक वर्णित स्थान पर विनिर्दिष्ट कारबार के बारे में विचार-विमर्श करने के प्रयोजन के लिए **क** के पास रहा, सुसंगत तथ्य है ।

(घ) प्रश्न यह है कि क्या कोई पोत मुम्बई बन्दरगाह से अमुक दिन रवाना हुआ । किसी वाणिज्यिक फर्म के, जिसके द्वारा वह पोत भाड़े पर लिया गया था, मृत सदस्य द्वारा चेन्नई स्थित अपने सम्पर्कों को, जिन्हें वह स्थोरा परेषित किया गया था, यह कथन करने वाला पत्र कि पोत मुम्बई पतन से अमुक दिन चल दिया, सुसंगत तथ्य है ।

(ङ) प्रश्न यह कि क्या **क** को अमुक भूमि का किराया दिया गया था । **क** के मृत अभिकर्ता का **क** के नाम पत्र जिसमें यह कथन है कि उसने **क** के निमित्त किराया प्राप्त किया है और वह उसे **क** के आदेश के अधीन रखे हुए है, सुसंगत तथ्य है ।

(च) प्रश्न यह है कि क्या **क** और **ख** का विवाह वैध रूप से हुआ था । एक मृत पादरी का यह कथन कि उसने उनका विवाह ऐसी परिस्थितियों में कराया था, जिनमें उसका कराया जाना अपराध होता, सुसंगत है ।

(छ) प्रश्न यह है कि क्या एक व्यक्ति **क** ने, जो मिल नहीं सकता अमुक दिन एक पत्र लिखा था । यह तथ्य कि उसके द्वारा लिखित एक पत्र पर उस दिन की तारीख दिनांकित है, सुसंगत है ।

(ज) प्रश्न यह है कि किसी पोत के ध्वंस का कारण क्या है । कप्तान द्वारा, जिसकी उपस्थिति उपाप्त नहीं की जा सकती, किया गया ऐसा प्रतिवाद, सुसंगत तथ्य है ।

(झ) प्रश्न यह है कि क्या अमुक सड़क लोक-मार्ग है । ग्राम के मृत प्रधान **क** द्वारा किया गया कथन कि वह सड़क लोक-मार्ग है, सुसंगत तथ्य है ।

(ञ) प्रश्न यह है कि विशिष्ट बाजार में अमुक दिन अनाज की क्या कीमत थी । एक मृत व्यवसायी द्वारा अपने कारबार के साधारण अनुक्रम में किया गया कीमत का कथन सुसंगत तथ्य है ।

(ट) प्रश्न यह है कि क्या **क**, जो मर चुका है, **ख** का पिता था । **क** द्वारा किया

गया यह कथन कि **ख** उसका पुत्र है, सुसंगत तथ्य है ।

(ठ) प्रश्न यह है कि **क** के जन्म की तारीख क्या है । **क** के मृत पिता द्वारा किसी मित्र को लिखा हुआ पत्र, जिसमें यह बताया गया है कि **क** का जन्म अमुक दिन हुआ, सुसंगत तथ्य है ।

(ड) प्रश्न यह है कि क्या और कब **क** और **ख** का विवाह हुआ था । **ख** के मृत पिता **ग** द्वारा किसी याददाश्त-पुस्तिका में अपनी पुत्री का **क** के साथ अमुक तारीख को विवाह होने की प्रविष्टि सुसंगत तथ्य है ।

(ढ) दुकान की खिड़की में अभिदर्शित रंगित व्यंगचित्र में अभिव्यक्त अपमान-लेख के लिए **ख** पर **क** वाद लाता है । प्रश्न व्यंगचित्र की समरूपता और उसके अपमान-लेखीय प्रकृति के बारे में है । इन बातों पर दर्शकों की भीड़ की टिप्पणियां साबित की जा सकेंगी ।

किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चातवर्ती कार्यवाही में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति ।

27. वह साक्ष्य, जो किसी साक्षी ने किसी न्यायिक कार्यवाही में, या विधि द्वारा उसे लेने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष दिया है, उन तथ्यों की सत्यता को, जो उस साक्ष्य में कथित है, किसी पश्चातवर्ती न्यायिक कार्यवाही में या उसी न्यायिक कार्यवाही के आगामी प्रक्रम में साबित करने के प्रयोजन के लिए तब सुसंगत है, जब वह साक्षी मर गया है या मिल नहीं सकता है या वह साक्ष्य देने के लिए असमर्थ है या प्रतिपक्षी द्वारा उसे पहुंच के बाहर कर दिया गया है या यदि उसकी उपस्थिति इतने विलम्ब या व्यय के बिना, अभिप्राप्त नहीं की जा सकती, जितना कि मामले की परिस्थितियों में न्यायालय अयुक्तियुक्त समझता है :

परन्तु वह तब जब कि वह कार्यवाही उन्हीं पक्षकारों या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच में थी, प्रथम कार्यवाही में प्रतिपक्षी को प्रतिपरीक्षा का अधिकार और अवसर था, तथा विवाद प्रश्न प्रथम कार्यवाही में सारतः वही थे, जो द्वितीय कार्यवाही में हैं ।

स्पष्टीकरण—दाण्डिक विचारण या जांच, इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत अभियोजक और अभियुक्त के बीच की कार्यवाही समझी जाएगी ।

विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन

लेखा-पुस्तकों की प्रविष्टियां कब सुसंगत हैं ।

28. कारबार के अनुक्रम में नियमित रूप से रखी गई लेखा-पुस्तकों की प्रविष्टियां, जिनके अन्तर्गत वे भी हैं जो इलैक्ट्रानिक प्ररूप में रखी गई हैं, जब कभी वे ऐसे विषय का निर्देश करती हैं जिसमें न्यायालय को जांच करनी है, सुसंगत हैं, किन्तु अकेले ऐसे कथन ही किसी व्यक्ति को दायित्व से भारित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं होंगे ।

दृष्टांत

ख पर **क** एक हजार रुपए के लिए वाद लाता है और अपनी लेखा बहियों की वे प्रविष्टियां दर्शित करता है, जिनमें **ख** को इस रकम के लिए उसका ऋणी दर्शित किया गया है । ये प्रविष्टियां सुसंगत हैं किन्तु ऋण साबित करने के लिए अन्य साक्ष्य के बिना पर्याप्त नहीं हैं ।

कर्तव्य-पालन में की गई लोक अभिलेख या इलैक्ट्रानिक अभिलेख की प्रविष्टि की सुसंगति ।

29. किसी लोक या अन्य राजकीय पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख या इलैक्ट्रानिक अभिलेख में की गई प्रविष्टि, जो किसी विवादक या सुसंगत तथ्य का कथन करती है और किसी लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में या उस देश की, जिसमें ऐसी पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख या इलैक्ट्रानिक अभिलेख रखा जाता है, विधि द्वारा विशेष रूप से व्यादेशित कर्तव्य के पालन में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई है, स्वयं सुसंगत तथ्य है ।

30. विवादक तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के वे कथन, जो प्रकाशित मानचित्रों या चार्टों में, जो लोक विक्रय के लिए साधारणतः प्रस्थापित किए जाते हैं या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों में किए गए हैं, उन विषयों के बारे में जो ऐसे मानचित्रों, चार्टों या रेखांकों में प्रायः निरूपित या कथित होते हैं, स्वयं सुसंगत तथ्य हैं ।

31. जब न्यायालय को किसी लोक प्रकृति के किसी तथ्य के अस्तित्व के बारे में राय बनानी है तब किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम में या संबंधित राजपत्र में वर्णित केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा की गई अधिसूचना में तात्पर्यित होने वाले किसी मुद्रित पत्र या इलैक्ट्रानिक या डिजिटल प्ररूप में अन्तर्विष्ट वृत्तांत में किया गया, उसका कोई कथन सुसंगत तथ्य है ।

32. जब न्यायालय को किसी देश की विधि के बारे में राय बनानी है, तब ऐसी विधि का कोई भी कथन, जो ऐसी किसी पुस्तक में अन्तर्विष्ट है जो ऐसे देश की सरकार के प्राधिकार के अधीन मुद्रित या प्रकाशित है, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक या डिजिटल प्ररूप भी है और ऐसी किसी विधि को अन्तर्विष्ट करने वाली तात्पर्यित है, तथा ऐसे देश के न्यायालयों के किसी विनिर्णय की कोई रिपोर्ट, जो ऐसे विनिर्णयों की रिपोर्ट से तात्पर्यित होने वाली किसी पुस्तक, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक या डिजिटल प्ररूप भी है, में अन्तर्विष्ट है, सुसंगत है ।

किसी कथन में से कितना साबित किया जाए

33. जब कोई कथन, जिसका साक्ष्य दिया जाता है, किसी वृहत्तर कथन का या किसी बातचीत का भाग है या किसी एकल दस्तावेज का भाग है या किसी ऐसे दस्तावेज में अन्तर्विष्ट है जो किसी पुस्तक का या पत्रों या कागज-पत्रों की संसक्त आवली का भाग है या इलैक्ट्रानिक अभिलेख के भाग में अंतर्विष्ट है तब उस कथन, बातचीत, दस्तावेज, इलैक्ट्रानिक अभिलेख, पुस्तक या पत्रों या कागज-पत्रों की आवली के उतने का ही, न कि उतने से अधिक का साक्ष्य दिया जाएगा, जितना न्यायालय उस कथन की प्रकृति और प्रभाव को तथा उन परिस्थितियों को, जिनके अधीन वह किया गया था, पूर्णतः समझने के लिए उस विशिष्ट मामले में आवश्यक विचार करता है ।

न्यायालयों के निर्णय कब सुसंगत हैं

34. किसी ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री का अस्तित्व, जो किसी न्यायालय को किसी वाद के संज्ञान से या कोई विचारण करने से विधि द्वारा निवारित करता है, सुसंगत तथ्य है जब प्रश्न यह हो कि क्या ऐसे न्यायालय को ऐसे वाद का संज्ञान या ऐसा विचारण करना चाहिए ।

35. (1) किसी सक्षम न्यायालय या अधिकरण के संप्रमाण-विषयक, विवाह-विषयक, नावधिकरण-विषयक या दिवाला-विषयक अधिकारिता के प्रयोग में दिया हुआ अन्तिम निर्णय, आदेश या डिक्री, जो किसी व्यक्ति को, कोई विधिक हैसियत प्रदान करती है या उससे ले लेती है या जो पूर्ण रूप से न कि किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध किसी व्यक्ति को ऐसी किसी हैसियत का हकदार या किसी विनिर्दिष्ट चीज का हकदार घोषित करती है, तब सुसंगत है जब किसी ऐसी विधिक हैसियत, या किसी ऐसी चीज पर किसी ऐसे व्यक्ति के हक का अस्तित्व सुसंगत है ।

(2) ऐसा निर्णय, आदेश या डिक्री इस बात का निश्चयक सबूत है कि—

(i) कोई विधिक हैसियत, जो वह प्रदत्त करती है, उस समय प्रोद्भूत हुई जब

मानचित्रों, चार्टों और रेखांकों के कथनों की सुसंगति।

कतिपय अधिनियमों या अधिसूचनाओं में अन्तर्विष्ट लोक प्रकृति के तथ्य के बारे में कथन की सुसंगति ।

विधि की पुस्तकों में अन्तर्विष्ट किसी विधि के कथनों की सुसंगति, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक या डिजिटल प्ररूप भी है ।

जब कथन किसी बातचीत, दस्तावेज, इलैक्ट्रानिक अभिलेख, पुस्तक या पत्रों या कागज-पत्रों की आवली का भाग है, तब क्या साक्ष्य दिया जाए।

द्वितीय वाद या विचारण के वर्जन के लिए पूर्व निर्णय सुसंगत हैं ।

संप्रमाण, आदि विषयक अधिकारिता के कतिपय निर्णयों की सुसंगति ।

ऐसा निर्णय, आदेश या डिक्री प्रवर्तन में आई ;

(ii) कोई विधिक हैसियत, जिसके लिए वह किसी व्यक्ति को हकदार घोषित करती है, उस व्यक्ति को उस समय प्रोद्भूत हुई जब ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री द्वारा घोषित है कि उस समय यह उस व्यक्ति को प्रोद्भूत हुई ;

(iii) कोई विधिक हैसियत, जिसे वह किसी ऐसे व्यक्ति से ले लेती है उस समय खत्म हुई जिस समय ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री द्वारा घोषित है कि उस समय से वह हैसियत खत्म हो गई थी या खत्म हो जानी चाहिए थी ; और

(iv) कोई चीज जिसके लिए वह किसी व्यक्ति को ऐसा हकदार घोषित करती है उस व्यक्ति की उस समय सम्पत्ति थी जो उस समय ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री द्वारा घोषित है कि उस समय से वह चीज उसकी सम्पत्ति थी या होनी चाहिए थी ।

धारा 35 में वर्णित से भिन्न निर्णयों, आदेशों या डिक्रियों की सुसंगति और उसका प्रभाव ।

36. वे निर्णय, आदेश या डिक्रियां, जो धारा 35 में वर्णित से भिन्न हैं, यदि वे जांच में सुसंगत लोक प्रकृति की बातों से संबंधित हैं, तो वे सुसंगत हैं, किन्तु ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्रियां उन बातों का निश्चायक सबूत नहीं हैं जिनका वे कथन करती हैं ।

दृष्टांत

क अपनी भूमि पर अतिचार के लिए ख पर वाद लाता है । ख उस भूमि पर मार्ग के लोक अधिकार का अस्तित्व अभिकथित करता है जिसे क इंकार करता है । क द्वारा ग के विरुद्ध उसी भूमि पर अतिचार के लिए किसी वाद में, जिसमें ग ने उसी मार्ग के अधिकार का अस्तित्व अभिकथित किया था, प्रतिवादी के पक्ष में डिक्री का अस्तित्व सुसंगत है, किन्तु वह इस बात का निश्चायक सबूत नहीं है कि वह मार्ग का अधिकार अस्तित्व में है ।

धारा 34, धारा 35 और धारा 36 में वर्णित से भिन्न निर्णय, आदि कब सुसंगत हैं ।

37. धारा 34, धारा 35 और धारा 36 में वर्णित से भिन्न निर्णय, आदेश या डिक्रियां विसंगत हैं जब तक कि ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री का अस्तित्व विवादक तथ्य न हो या वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अन्तर्गत सुसंगत न हो ।

दृष्टांत

(क) क और ख किसी अपमान-लेख के लिए, जो उनमें से प्रत्येक पर लांछन लगाता है, ग पर पृथक्-पृथक् वाद लाते हैं । प्रत्येक मामले में ग कहता है कि वह बात, जिसका अपमान-लेखीय होना अभिकथित है, सत्य है और परिस्थितियां ऐसी हैं कि वह अधिसम्भाव्यतः या तो प्रत्येक मामले में सत्य है या किसी में नहीं । ग के विरुद्ध क इस आधार पर नुकसानी की डिक्री अभिप्राप्त करता है कि ग अपना न्यायोचित्य साबित करने में असफल रहा है । यह तथ्य ख और ग के बीच विसंगत है ।

(ख) ख का अभियोजन क इसलिए करता है कि उसने क की गाय चुराई है । ख दोषसिद्ध किया जाता है । तत्पश्चात् क उस गाय के लिए, ग पर वाद लाता है जिसे ख ने दोषसिद्धि होने से पूर्व ग को बेच दिया था । ख के विरुद्ध वह निर्णय क और ग के बीच विसंगत है ।

(ग) क ने ख के विरुद्ध भूमि के कब्जे की डिक्री अभिप्राप्त की है । ख का पुत्र ग परिणामस्वरूप क की हत्या करता है । उस निर्णय का अस्तित्व अपराध का हेतु दर्शित करने के नाते सुसंगत है ।

(घ) क पर चोरी और चोरी के लिए पहले से ही दोषसिद्धि का आरोप है । पूर्व दोषसिद्धि विवादक तथ्य होने के नाते सुसंगत है ।

(ड) ख की हत्या के लिए क विचारित किया जाता है। यह तथ्य कि ख ने क पर अपमान-लेख के लिए अभियोजन चलाया था और क दोषसिद्ध और दण्डित किया गया था, धारा 6 के अधीन विवादक तथ्य का हेतु दर्शित करने के नाते सुसंगत है।

38. वाद या अन्य कार्यवाही का कोई भी पक्षकार यह दर्शित कर सकेगा कि कोई निर्णय, आदेश या डिक्री, जो धारा 34, धारा 35 या धारा 36 के अधीन सुसंगत है और जो प्रतिपक्षी द्वारा साबित की जा चुकी है, ऐसे न्यायालय द्वारा दी गई थी जो उसे देने के लिए अक्षम था या जिसे कपट या सांठ-गांठ द्वारा अभिप्राप्त की गई थी।

निर्णय अभिप्राप्त करने में कपट या सांठ-गांठ या न्यायालय की अक्षमता साबित की जा सकेगी।

अन्य व्यक्तियों की रायें कब सुसंगत होती हैं

39. (1) जब न्यायालय को, विदेशी विधि की या विज्ञान की या कला या किसी अन्य क्षेत्र की किसी बात पर या हस्तलेख या अंगुली-चिह्नों की पहचान के बारे में राय बनानी है तब उस बात पर ऐसी विदेशी विधि, विज्ञान या कला या किसी अन्य क्षेत्र में या हस्तलेख या अंगुली-चिह्नों की पहचान विषयक प्रश्नों में, विशेष कुशल व्यक्तियों की रायें सुसंगत तथ्य हैं और ऐसे व्यक्तियों को विशेषज्ञ कहा जाता है।

विशेषज्ञों की रायें।

दृष्टांत

(क) प्रश्न यह है कि क्या क की मृत्यु विष द्वारा कारित हुई। जिस विष के बारे में यह अनुमान है कि उससे क की मृत्यु हुई है, उस विष से पैदा हुए लक्षणों के बारे में विशेषज्ञों की रायें सुसंगत हैं।

(ख) प्रश्न यह है कि क्या क अमुक कार्य करने के समय चित्त-विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति, या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह या तो दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ था। इस प्रश्न पर विशेषज्ञों की रायें सुसंगत हैं कि क्या क द्वारा प्रदर्शित लक्षणों से चित्त-विकृति सामान्यतः दर्शित होती है और क्या ऐसी चित्त-विकृति व्यक्तियों को उन कार्यों की प्रकृति, जिन्हें वे करते हैं, या वह कि जो कुछ वे करते हैं वह या तो दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में प्रायः असमर्थ बना देती है।

(ग) प्रश्न यह है कि क्या अमुक दस्तावेज क द्वारा लिखा गया था। एक अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है जिसका क द्वारा लिखा जाना साबित या स्वीकृत है। इस प्रश्न पर विशेषज्ञों की रायें सुसंगत हैं कि क्या दोनों दस्तावेज एक ही व्यक्ति द्वारा या विभिन्न व्यक्तियों द्वारा लिखे गए थे।

(2) जब न्यायालय को किसी कार्यवाही में किसी कंप्यूटर संसाधन या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक या डिजिटल रूप में पारेषित या संग्रहीत किसी सूचना के संबंध में कोई राय बनानी हो तब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79क में निर्दिष्ट इलैक्ट्रानिक साक्ष्य के परीक्षक की राय एक सुसंगत तथ्य है।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, इलैक्ट्रानिक साक्ष्य का परीक्षक एक विशेषज्ञ होगा।

40. वे तथ्य, जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं, सुसंगत होते हैं यदि वे विशेषज्ञों की रायों का तब समर्थन करते हों या उनसे असंगत हों जब उनकी ऐसी रायें सुसंगत हैं।

विशेषज्ञों की रायों से संबंधित तथ्य।

दृष्टांत

(क) प्रश्न यह है कि क्या क को अमुक विष दिया गया था। यह तथ्य सुसंगत है कि अन्य व्यक्तियों में भी, जिन्हें वह विष दिया गया था, अमुक लक्षण प्रकट हुए थे, जिनका उस विष के लक्षण होने के बारे में विशेषज्ञ अभिपुष्टि करते हैं या उससे इंकार करते हैं।

(ख) प्रश्न यह है कि क्या किसी बन्दरगाह में कोई बाधा अमुक समुद्र-भित्ति से कारित हुई है। यह तथ्य कि अन्य बन्दरगाह, जो अन्य दृष्टियों से वैसे ही स्थित थे, किन्तु जहां ऐसी समुद्र-भित्तियां नहीं थीं, लगभग उसी समय बाधित होने लगे थे, सुसंगत है।

हस्तलेख और
हस्ताक्षर के बारे
में राय कब
सुसंगत है।

41. (1) जब न्यायालय को किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में राय बनानी हो जिसके द्वारा कोई दस्तावेज लिखा या हस्ताक्षरित किया गया था, तब उस व्यक्ति के हस्तलेख से, जिसके द्वारा वह लिखा या हस्ताक्षरित किया गया अनुमानित किया जाता है, किसी परिचित व्यक्ति की यह राय कि वह उस व्यक्ति द्वारा लिखा या हस्ताक्षरित किया गया था अथवा लिखा या हस्ताक्षरित नहीं किया गया था, सुसंगत तथ्य है।

स्पष्टीकरण—कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के हस्तलेख से परिचित हुआ तब कहा जाता है, जब उसने उस व्यक्ति को लिखते देखा है या जब उसने स्वयं अपने द्वारा या अपने प्राधिकार के अधीन लिखित और उस व्यक्ति को संबोधित दस्तावेजों के उत्तर में उस व्यक्ति द्वारा लिखे जाने के लिए तात्पर्यित होने वाले दस्तावेज प्राप्त किए हैं, या जब कारबार के साधारण अनुक्रम में उस व्यक्ति द्वारा लिखे जाने के लिए तात्पर्यित होने वाले दस्तावेज उसके समक्ष प्रायः रखे जाते हैं।

दृष्टांत

प्रश्न यह है कि क्या अमुक पत्र ईटानगर के एक व्यापारी क द्वारा लिखा गया है। ख बंगलूर में एक व्यापारी है, जिसने क को संबोधित पत्र लिखे हैं और उसके द्वारा लिखे जाने के लिए तात्पर्यित होने वाले पत्र प्राप्त किए हैं। ग, ख का लिपिक है, जिसका कर्तव्य ख के पत्र-व्यवहार को देखना और फाइल करना था। ख का दलाल घ है जिसके समक्ष क द्वारा लिखे जाने के लिए तात्पर्यित होने वाले पत्रों को उनके बारे में उससे सलाह देने के प्रयोजन के लिए ख प्रायः प्रस्तुत करता था। ख, ग और घ की इस प्रश्न पर ये रायें कि क्या वह पत्र क के हस्तलेख में है, सुसंगत हैं, यद्यपि न तो ख ने, न ग ने, न घ ने इसे क को लिखते हुए कभी देखा था।

(2) जब न्यायालय को किसी व्यक्ति के इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर के बारे में राय बनानी हो तो प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की राय में, जिसने इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जारी किया है, सुसंगत तथ्य है।

साधारण रूढ़ि या
अधिकार के
अस्तित्व के बारे
में राय कब
सुसंगत है।

42. जब न्यायालय को किसी साधारण रूढ़ि या अधिकार के अस्तित्व के बारे में राय बनानी हो, तब ऐसी रूढ़ि या अधिकार के अस्तित्व के बारे में उन व्यक्तियों की रायें सुसंगत हैं, जो यदि उसका अस्तित्व होता तो संभाव्यतः उसे जानते होते।

स्पष्टीकरण—“साधारण रूढ़ि या अधिकार” पद के अन्तर्गत ऐसी रूढ़ियां या अधिकार आते हैं जो व्यक्तियों के किसी काफी बड़े वर्ग के लिए सामान्य हैं।

दृष्टांत

किसी विशिष्ट ग्राम के ग्रामीणों का विशिष्ट कूप के पानी का उपयोग करने का अधिकार इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत साधारण अधिकार है।

43. जब न्यायालय को—

प्रथाओं,
सिद्धान्तों, आदि
के बारे में राय
कब सुसंगत है।

(i) मनुष्यों के किसी निकाय या कुटुम्ब की प्रथाओं और सिद्धांतों के ;

(ii) किसी धार्मिक या पूर्त प्रतिष्ठान के गठन और शासन के ;

(iii) विशिष्ट जिलों या विशिष्ट वर्गों के लोगों द्वारा प्रयुक्त शब्दों या पदों के अर्थ के बारे में राय बनानी हो, तब उनके संबंध में, ज्ञान के विशेष साधन रखने वाले व्यक्तियों की रायें, सुसंगत तथ्य हैं।

44. जब न्यायालय को एक व्यक्ति की किसी अन्य के साथ नातेदारी के बारे में राय बनानी हो, तब ऐसी नातेदारी के अस्तित्व के बारे में ऐसे किसी व्यक्ति के आचरण द्वारा अभिव्यक्त राय, जिसके पास कुटुम्ब के सदस्य के रूप में या अन्यथा उस विषय के संबंध में ज्ञान के विशेष साधन हैं, सुसंगत तथ्य है :

1869 का 4
2023 का 45

परन्तु भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 के अधीन कार्यवाहियों में या भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 82 और धारा 84 के अधीन अभियोजन में ऐसी राय विवाह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी ।

दृष्टांत

(क) प्रश्न यह है कि क्या क और ख विवाहित थे । यह तथ्य कि उनको अपने मित्रों द्वारा पति और पत्नी के रूप में प्रायः स्वीकार किया जाता था और उन्हें उसी रूप में माना जाता था, सुसंगत है ।

(ख) प्रश्न यह है कि क्या क, ख का धर्मज पुत्र है। यह तथ्य कि कुटुम्ब के सदस्यों द्वारा क को सदैव उस रूप में माना जाता था, सुसंगत है ।

45. जब कभी किसी जीवित व्यक्ति की राय सुसंगत है, तब वे आधार, जिन पर वह आधारित है, भी सुसंगत हैं ।

दृष्टांत

कोई विशेषज्ञ अपनी राय बनाने के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा किए हुए प्रयोगों का विवरण दे सकता है ।

शील कब सुसंगत है

46. सिविल मामलों में यह तथ्य कि किसी संबंधित व्यक्ति का शील ऐसा है जो उस पर लांछित किसी आचरण को अधिसंभाव्य या अनधिसंभाव्य बना देता है, वहां तक के सिवाय विसंगत है, जहां तक कि ऐसा शील अन्यथा सुसंगत तथ्यों से प्रकट होता है ।

47. दाण्डिक कार्यवाहियों में यह तथ्य कि अभियुक्त व्यक्ति अच्छे शील का है, सुसंगत है ।

2023 का 45

48. भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 69, धारा 70, धारा 71, धारा 74, धारा 75, धारा 76, धारा 77 या धारा 78 के अधीन किसी अपराध के लिए या किसी ऐसे अपराध के किए जाने का प्रयत्न करने के लिए, किसी अभियोजन में जहां सम्मति का प्रश्न विवाद है, वहां पीड़ित के शील या ऐसे व्यक्ति का किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य ऐसी सम्मति या सम्मति की गुणवत्ता के मुद्दे पर सुसंगत नहीं होगा ।

49. दाण्डिक कार्यवाहियों में, यह तथ्य कि अभियुक्त व्यक्ति बुरे शील का है, तब तक विसंगत है, जब तक कि इस बात का साक्ष्य न दिया गया हो कि वह अच्छे शील का है, जिस मामले में वह सुसंगत हो जाता है ।

स्पष्टीकरण 1—यह धारा उन मामलों के संबंध में लागू नहीं होती है जिनमें किसी व्यक्ति का बुरा शील स्वयं विवादक तथ्य है ।

स्पष्टीकरण 2—पूर्व दोषसिद्ध बुरे शील के साक्ष्य के रूप में सुसंगत है ।

50. सिविल मामलों में, यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का शील ऐसा है जिससे नुकसानी की रकम पर, जो उसे मिलनी चाहिए, प्रभाव पड़ता है, सुसंगत है ।

नातेदारी के बारे में राय कब सुसंगत है।

राय के आधार कब सुसंगत हैं ।

सिविल मामलों में लांछित आचरण साबित करने वाला शील विसंगत है ।

दाण्डिक मामलों में पूर्वतन अच्छा शील सुसंगत है ।

कतिपय मामलों में शील या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य का सुसंगत न होना ।

उत्तर में होने के सिवाय पूर्वतन बुरा शील सुसंगत नहीं है ।

नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला शील ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में और धारा 46, धारा 47 तथा धारा 49 में “शील” शब्द के अन्तर्गत ख्याति और स्वभाव दोनों आते हैं, किन्तु धारा 49 में यथा उपबंधित के सिवाय केवल साधारण ख्याति और साधारण स्वभाव का ही साक्ष्य दिया जा सकेगा न कि ऐसे विशिष्ट कार्यों का, जिनके द्वारा, ख्याति या स्वभाव को दर्शाया गया है ।

भाग 3

सबूत के विषय

अध्याय 3

तथ्य, जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है

न्यायिक रूप से अवलोकनीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है ।

वे तथ्य, जिनका न्यायालय न्यायिक अवलोकन करेगा ।

51. जिस तथ्य का न्यायालय न्यायिक अवलोकन करेगा, उसे साबित करना आवश्यक नहीं है ।

52. (1) न्यायालय निम्नलिखित तथ्यों का न्यायिक अवलोकन करेगा, अर्थात्:—

(क) भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त समस्त विधियाँ, जिनके अंतर्गत वे विधियाँ सम्मिलित हैं जिनका राज्यक्षेत्रातीत प्रवर्तन है ;

(ख) भारत द्वारा किसी देश या देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संधि, करार या अभिसमय या अंतर्राष्ट्रीय संगमों या अन्य निकायों में भारत द्वारा किए गए विनिश्चय ;

(ग) भारत की संविधान सभा, भारत की संसद् और राज्य विधानमंडलों की कार्यवाही का अनुक्रम ;

(घ) सभी न्यायालयों और अधिकरणों की मुद्राएं ;

(ङ) नावधिकरण और समुद्रीय अधिकारिता वाले न्यायालयों की, नोटेरी पब्लिक की मुद्राएं और वे सब मुद्राएं, जिनका कोई व्यक्ति संविधान या संसद् या राज्य विधान-मंडलों के किसी अधिनियम या भारत में विधि का बल रखने वाले विनियम द्वारा उपयोग करने के लिए प्राधिकृत है ;

(च) किसी राज्य में किसी लोक पद को तत्समय भरने वाले व्यक्तियों का पदारोहण, उनके नाम, उपाधियाँ, कृत्य और हस्ताक्षर, यदि ऐसे पद पर उनकी नियुक्ति का तथ्य किसी राजपत्र में अधिसूचित किया गया हो ;

(छ) भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त प्रत्येक देश या संप्रभु का अस्तित्व, उपाधि और राष्ट्रीय ध्वज ;

(ज) समय का अन्तराल, विश्व का भौगोलिक विभाजन और राजपत्र में अधिसूचित लोक उत्सव, उपवास और अवकाश दिन ;

(झ) भारत का राज्यक्षेत्र ;

(ञ) भारत सरकार और किसी अन्य देश या व्यक्तियों के निकाय के बीच संघर्ष का प्रारम्भ, चालू रहना और पर्यवसान ;

(ट) न्यायालय के सदस्यों और अधिकारियों के तथा उनके उप-पदियों और अधीनस्थ अधिकारियों और सहायकों के और अपनी आदेशिका का निष्पादन करते हुए कार्य करने वाले सब अधिकारियों के भी, तथा सभी अधिवक्ताओं और उनके समक्ष उपस्थित होने या कार्य करने के लिए किसी विधि द्वारा प्राधिकृत अन्य व्यक्तियों के नाम ;

(ठ) भूमि पर या समुद्र में मार्ग का नियम ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट मामलों में, और लोक इतिहास, साहित्य, विज्ञान या कला के सब विषयों में भी, न्यायालय समुचित निर्देश पुस्तकों या दस्तावेजों की सहायता ले सकेगा और यदि न्यायालय से किसी तथ्य का न्यायिक अवलोकन करने की किसी व्यक्ति द्वारा अपेक्षा की जाती है, तो यदि और जब तक वह व्यक्ति कोई ऐसी पुस्तक या दस्तावेज प्रस्तुत न कर दे, जिसे ऐसा न्यायालय अपने को ऐसा करने को समर्थ बनाने के लिए आवश्यक समझता है, न्यायालय ऐसा करने से इंकार कर सकेगा ।

53. किसी ऐसे तथ्य को किसी कार्यवाही में साबित करना आवश्यक नहीं है, जिसे उस कार्यवाही के पक्षकार या उनके अभिकर्ता सुनवाई पर स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं, या जिसे वे सुनवाई के पूर्व किसी स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं या जिसके बारे में अभिवचन संबंधी किसी तत्समय प्रवृत्त नियम के अधीन यह समझ लिया जाता है कि उन्होंने उसे अपने अभिवचनों द्वारा स्वीकार कर लिया है :

परन्तु न्यायालय अपने विवेकानुसार स्वीकृत तथ्यों का ऐसी स्वीकृतियों द्वारा साबित किए जाने से अन्यथा साबित किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा ।

अध्याय 4

मौखिक साक्ष्य के विषय में

54. दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु के सिवाय, सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकेंगे ।

55. मौखिक साक्ष्य, सभी मामलों में चाहे वह कैसा भी हो, प्रत्यक्ष ही होगा, यदि वह—

(i) किसी देखे जा सकने वाले तथ्य के बारे में है, तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने उसे देखा;

(ii) किसी सुने जा सकने वाले तथ्य के बारे में है, तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने उसे सुना;

(iii) किसी ऐसे तथ्य के बारे में है जिसका किसी अन्य इंद्रिय द्वारा या किसी अन्य रीति से बोध हो सकता था, तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने उसका बोध उस इंद्रिय द्वारा या उस रीति से किया;

(iv) किसी राय के, या उन आधारों के, बारे में है, जिन पर वह राय धारित है, तो वह उस व्यक्ति का ही साक्ष्य होगा जो वह उन आधारों पर राय धारण करता है :

परन्तु विशेषज्ञों की रायें, जो सामान्यतः विक्रय के लिए प्रस्तावित की जाने वाली किसी पुस्तक में अभिव्यक्त हैं, और वे आधार, जिन पर ऐसी रायें धारित हैं, यदि लेखक मर गया है, या वह मिल नहीं सकता है या वह साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है, या उसे इतने विलम्ब या व्यय के बिना जितना न्यायालय अयुक्तियुक्त समझता है, साक्षी के रूप में बुलाया नहीं जा सकता है, ऐसी पुस्तकों को प्रस्तुत करके साबित किए जा सकेंगे :

परन्तु यह और कि यदि मौखिक साक्ष्य, दस्तावेज से भिन्न किसी भौतिक चीज के अस्तित्व या दशा के बारे में है, तो न्यायालय, यदि वह ठीक समझे तो ऐसी भौतिक चीज का अपने निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा ।

स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है ।

मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना।

मौखिक साक्ष्य का प्रत्यक्ष होना ।

अध्याय 5

दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में

दस्तावेजों की
अन्तर्वस्तु का
सबूत।
प्राथमिक
साक्ष्य ।

56. दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु या तो प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकेगी ।

57. प्राथमिक साक्ष्य से न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया दस्तावेज स्वयं अभिप्रेत है ।

स्पष्टीकरण 1—जहां कोई दस्तावेज कई मूल प्रतियों में निष्पादित है वहां प्रत्येक मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य है ।

स्पष्टीकरण 2—जहां कोई दस्तावेज प्रतिलेख में निष्पादित है और प्रत्येक प्रतिलेख पक्षकारों में से केवल एक पक्षकार या कुछ पक्षकारों द्वारा निष्पादित किया गया है, वहां प्रत्येक प्रतिलेख उन पक्षकारों के विरुद्ध, जिन्होंने उसका निष्पादन किया है, प्राथमिक साक्ष्य है ।

स्पष्टीकरण 3—जहां अनेक दस्तावेज एकरूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाए गए हैं जैसा कि मुद्रण, शिला मुद्रण या फोटो चित्रण में होता है, वहां उनमें से प्रत्येक शेष सबकी अन्तर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है, किन्तु जहां वे सब किसी एक ही मूल की प्रतियां हैं वहां वे मूल की अन्तर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं हैं ।

स्पष्टीकरण 4—जहां कोई इलैक्ट्रानिक या डिजिटल अभिलेख सृजित या संग्रहित किया जाता है और ऐसा संग्रह एक साथ या पश्चातवर्ती रूप से अनेक फाइलों में किया जाता है, उनमें से प्रत्येक फाइल प्राथमिक साक्ष्य है ।

स्पष्टीकरण 5—जहां कोई इलैक्ट्रानिक या डिजिटल अभिलेख समुचित अभिरक्षा में प्रस्तुत किया जाता है, ऐसा इलैक्ट्रानिक और डिजिटल अभिलेख प्राथमिक साक्ष्य है, जब तक कि वह विवादग्रस्त नहीं है ।

स्पष्टीकरण 6—जहां किसी वीडियो रिकार्डिंग को इलैक्ट्रानिक प्ररूप में एक साथ संग्रहित किया जाता है और किसी अन्य व्यक्ति को पारेषित या प्रसारित या अंतरित किया जाता है तो प्रत्येक संग्रहित रिकार्डिंग प्राथमिक साक्ष्य है ।

स्पष्टीकरण 7—जहां किसी इलैक्ट्रानिक या डिजिटल अभिलेख को किसी कंप्यूटर संसाधन में एक से अधिक संग्रहण स्थान में संग्रहित किया जाता है, ऐसा प्रत्येक स्वचालित संग्रहण, जिसके अंतर्गत अस्थायी फाइलें भी हैं, प्राथमिक साक्ष्य हैं ।

दृष्टांत

यह दर्शित किया जाता है कि एक ही समय एक ही मूल से मुद्रित अनेक प्लेकार्ड किसी व्यक्ति के कब्जे में रखे हैं । इन प्लेकार्डों में से कोई भी एक अन्य किसी की भी अन्तर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है किन्तु उनमें से कोई भी मूल की अन्तर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं है ।

द्वितीयक साक्ष्य ।

58. द्वितीयक साक्ष्य के अन्तर्गत निम्नलिखित आते हैं—

(i) इसमें इसके पश्चात् अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन दी हुई प्रमाणित प्रतियां;

(ii) मूल से ऐसी यान्त्रिक प्रक्रियाओं द्वारा, जो प्रक्रियाएं स्वयं ही प्रति की शुद्धता सुनिश्चित करती हैं, बनाई गई प्रतियां और ऐसी प्रतियों से तुलना की हुई प्रतिलिपियां;

- (iii) मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रतियां;
- (iv) उन पक्षकारों के विरुद्ध, जिन्होंने उन्हें निष्पादित नहीं किया है, दस्तावेजों के प्रतिलेख;
- (v) किसी दस्तावेज की अन्तर्वस्तु का उस व्यक्ति द्वारा, जिसने स्वयं उसे देखा है, दिया हुआ मौखिक वृत्तांत ;
- (vi) मौखिक स्वीकृतियां ;
- (vii) लिखित स्वीकृतियां ;
- (viii) किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य, जिसने किसी दस्तावेज की जांच की है, जिसके मूल में अनेक लेखें या अन्य दस्तावेज अंतर्विष्ट हैं, जिनकी सुविधाजनक रूप से न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती है और जो ऐसे दस्तावेजों की जांच करने में कुशल है ।

दृष्टांत

(क) किसी मूल का फोटोचित्र, यद्यपि दोनों की तुलना न की गई हो तथापि यदि यह साबित किया जाता है कि फोटोचित्रित वस्तु मूल थी, उस मूल की अन्तर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य है ।

(ख) किसी पत्र की वह प्रति, जिसकी तुलना उस पत्र की, उस प्रति से कर ली गई है जो प्रतिलिपि यंत्र द्वारा तैयार की गई है, उस पत्र की अन्तर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य है, यदि यह दर्शित कर दिया जाता है कि प्रतिलिपि यंत्र द्वारा तैयार की गई प्रति मूल से बनाई गई थी ।

(ग) किसी प्रति की नकल करके तैयार की गई किन्तु तत्पश्चात् मूल से तुलना की हुई प्रतिलिपि द्वितीयक साक्ष्य है ; किन्तु इस प्रकार तुलना नहीं की हुई प्रति मूल का द्वितीयक साक्ष्य नहीं है, यद्यपि उस प्रति की, जिससे वह नकल की गई है, मूल से तुलना की गई थी ।

(घ) न तो मूल से तुलना की हुई प्रति का मौखिक वृत्तान्त और न मूल के किसी फोटोचित्र या यंत्रकृत प्रति का मौखिक वृत्तान्त मूल का द्वितीयक साक्ष्य है ।

59. इसमें इसके पश्चात् वर्णित दशाओं के सिवाय, दस्तावेजों को प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित करना होगा ।

60. किसी दस्तावेज के अस्तित्व, परिस्थिति या अन्तर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य निम्नलिखित दशाओं में दिया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) जब यह दर्शित कर दिया जाता है या प्रतीत होता है कि मूल ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है या उसके अधिकार में है—

(i) जिसके विरुद्ध उस दस्तावेज का साबित किया जाना वांछनीय है ; या

(ii) जो न्यायालय की आदेशिका की पहुंच से बाहर है, या ऐसी आदेशिका के अधीन नहीं है ; या

(iii) जो उसे प्रस्तुत करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है,

और जब ऐसा व्यक्ति धारा 64 में वर्णित सूचना के पश्चात्, उसे प्रस्तुत नहीं करता है ;

(ख) जब मूल के अस्तित्व, परिस्थिति या अन्तर्वस्तु को उस व्यक्ति द्वारा,

प्राथमिक साक्ष्य द्वारा दस्तावेजों का साबित किया जाना ।

वे दशाएं, जिनमें दस्तावेजों के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा ।

जिसके विरुद्ध उसे साबित किया जाना है या उसके हित प्रतिनिधि द्वारा लिखित रूप में स्वीकृत किया जाना साबित कर दिया गया है ;

(ग) जब मूल नष्ट हो गया है, या खो गया है, या जबकि उसकी अन्तर्वस्तु का साक्ष्य देने की प्रस्थापना करने वाला पक्षकार अपने स्वयं के व्यतिक्रम या उपेक्षा से उद्भूत न होने वाले अन्य किसी कारण से उसे युक्तियुक्त समय में प्रस्तुत नहीं कर सकता है ;

(घ) जब मूल इस प्रकृति का है कि उसे आसानी से स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता है ;

(ङ) जब मूल धारा 74 के अर्थ के अन्तर्गत एक लोक दस्तावेज है ;

(च) जब मूल ऐसा दस्तावेज है जिसकी प्रमाणित प्रति का साक्ष्य में दिया जाना इस अधिनियम द्वारा या भारत में प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अनुज्ञात है ;

(छ) जब मूल ऐसे अनेक लेखाओं या अन्य दस्तावेजों से गठित है जिनकी न्यायालय में सुविधापूर्वक परीक्षा नहीं की जा सकती और वह तथ्य जिसे साबित किया जाना है, सम्पूर्ण संग्रह का साधारण परिणाम है ।

स्पष्टीकरण—(i) खंड (क), खंड (ग) और खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए, दस्तावेज की अन्तर्वस्तु का कोई भी द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य है ;

(ii) खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए लिखित स्वीकृति ग्राह्य है ;

(iii) खंड (ङ) या खंड (च) के प्रयोजनों के लिए, दस्तावेज की प्रमाणित प्रति ग्राह्य है, किन्तु अन्य किसी भी प्रकार का द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य नहीं है ;

(iv) खंड (छ) के प्रयोजनों के लिए, दस्तावेजों के साधारण परिणाम का साक्ष्य ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा दिया जा सकेगा जिसने उनकी परीक्षा की है और जो ऐसे दस्तावेज की परीक्षा करने में कुशल है ।

इलैक्ट्रानिक या डिजिटल अभिलेख ।

61. इस अधिनियम की कोई बात इस आधार पर साक्ष्य में किसी इलैक्ट्रानिक या डिजिटल साक्ष्य की ग्राह्यता से इंकार नहीं करेगी कि यह कोई इलैक्ट्रानिक या डिजिटल अभिलेख है और धारा 63 के अधीन रहते हुए ऐसे अभिलेख का वही विधिक प्रभाव, विधिमान्यता और प्रवर्तनशीलता होगी, जो किसी अन्य अभिलेख की होती है ।

इलैक्ट्रानिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के बारे में विशेष उपबंध ।

62. इलैक्ट्रानिक अभिलेख की अंतर्वस्तु धारा 63 के उपबंधों के अनुसार साबित की जा सकेगी ।

इलैक्ट्रानिक अभिलेखों की ग्राह्यता ।

63. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख में अंतर्विष्ट किसी सूचना को भी, जो कंप्यूटर या किसी संसूचना डिवाइस या अन्यथा द्वारा संग्रहित, अभिलिखित या किसी इलैक्ट्रानिक प्ररूप द्वारा उत्पादित और किसी कागज पर मुद्रित, प्रकाशीय या चुंबकीय मीडिया या अर्ध-चालक मेमोरी में संग्रहित, अभिलिखित या नकल की गई है (जिसे इसमें इसके पश्चात् कंप्यूटर आउटपुट कहा गया है), तब कोई दस्तावेज समझा जाएगा, यदि प्रश्नगत सूचना और कंप्यूटर के संबंध में, इस धारा में उल्लिखित शर्तें पूरी कर दी जाती हैं और वह मूल की किसी अंतर्वस्तु या उसमें कथित किसी तथ्य के साक्ष्य के रूप में, जिसका प्रत्यक्ष साक्ष्य ग्राह्य होता, अतिरिक्त सबूत या मूल को प्रस्तुत किए बिना ही किन्हीं कार्यवाहियों में ग्राह्य होगा ।

(2) कंप्यूटर आउटपुट के संबंध में, उपधारा (1) में निर्दिष्ट शर्तें निम्नलिखित होंगी, अर्थात् :—

(क) सूचना से युक्त कंप्यूटर आउटपुट, कंप्यूटर या संसूचना डिवाइस द्वारा उस अवधि के दौरान उत्पादित किया गया था जिसमें उस व्यक्ति द्वारा, जिसका कंप्यूटर के उपयोग पर विधिपूर्ण नियंत्रण था, उस अवधि में नियमित रूप से किए गए किसी क्रियाकलाप के प्रयोजन के लिए सृजन, सूचना संग्रह करने या प्रोसेस करने के लिए नियमित रूप से कंप्यूटर या संसूचना डिवाइस का उपयोग किया गया था ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान, इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख में अन्तर्विष्ट किस्म की सूचना या उस किस्म की, जिससे इस प्रकार अन्तर्विष्ट सूचना व्युत्पन्न की जाती है, उक्त क्रियाकलापों के साधारण अनुक्रम में कंप्यूटर या संसूचना डिवाइस में नियमित रूप से भरी गई थी ;

(ग) उक्त अवधि के महत्वपूर्ण भाग में सर्वत्र, कंप्यूटर या संसूचना डिवाइस समुचित रूप से कार्य कर रही थी या नहीं तो, उस अवधि के संबंध में, जिसमें कंप्यूटर समुचित रूप से कार्य नहीं कर रहा था या वह उस अवधि के भाग के दौरान प्रचालन में नहीं था, ऐसी अवधि नहीं थी जिससे इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख या उसकी अंतर्वस्तु की शुद्धता प्रभावित होती हो ; और

(घ) इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख में अन्तर्विष्ट सूचना ऐसी सूचना से पुनः उत्पादित या व्युत्पन्न की जाती है, जिसे उक्त क्रियाकलापों के साधारण अनुक्रम में कंप्यूटर या संसूचना डिवाइस में भरा गया था ।

(3) जहां किसी अवधि में, उपधारा (2) के खंड (क) में यथा उल्लिखित, उस अवधि के दौरान नियमित रूप से किए गए किन्हीं क्रियाकलापों के प्रयोजनों के लिए सूचना के सृजन, संग्रह या प्रोसेस का कार्य एक या अधिक कंप्यूटरों या संसूचना डिवाइस द्वारा नियमित रूप से किया गया था, चाहे वह—

(क) एकल ढंग में ; या

(ख) किसी कंप्यूटर प्रणाली पर ; या

(ग) किसी कंप्यूटर नेटवर्क पर ; या

(घ) सूचना को समर्थ बनाने, सूचना का सृजन या उपलब्ध कराने वाले, प्रोसेस और संग्रह करने वाले किसी कंप्यूटर साधन पर ; और

(ङ) किसी मध्यवर्ती के माध्यम से,

उस अवधि के दौरान उस प्रयोजन के लिए उपयोग किए गए सभी कंप्यूटरों या संसूचना डिवाइस को इस धारा के प्रयोजनों के लिए एकल कंप्यूटर या संसूचना डिवाइस समझा जाएगा ; और इस धारा में किसी कंप्यूटर या संसूचना डिवाइस के प्रति निर्देशों का अर्थ तदनुसार किया जाएगा ।

(4) किसी कार्यवाही में, जहां इस धारा के आधार पर साक्ष्य में विवरण दिया जाना वांछित है, निम्नलिखित बातों में से किसी बात को पूरा करते हुए प्रमाणपत्र को प्रत्येक बार इलैक्ट्रॉनिकी अभिलेख के साथ वहां प्रस्तुत किया जाएगा जहां इसे स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया है, अर्थात् :—

(क) विवरण से युक्त इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख की पहचान करना और उस रीति का वर्णन करना जिससे इसका उत्पादन किया गया था ;

(ख) उस इलैक्ट्रानिक अभिलेख के उत्पादन में अन्तर्वलित किसी डिवाइस को ऐसी विशिष्टियां देना, जो यह दर्शित करने के प्रयोजन के लिए समुचित हों कि इलैक्ट्रानिक अभिलेख का कंप्यूटर या उपधारा (3) के खंड (क) से खंड (ड) में निर्दिष्ट किसी संसूचना डिवाइस द्वारा उत्पादन किया गया था ;

(ग) ऐसे विषयों में से किसी पर कार्रवाई करना, जिससे उपधारा (2) में उल्लिखित शर्तें संबंधित हैं,

और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के लिए तात्पर्यित होना, जो कंप्यूटर या संसूचना डिवाइस या सुसंगत क्रियाकलाप के प्रबंध (जो भी समुचित हो) का भारसाधक है तथा कोई विशेषज्ञ है, अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्र में कथित किसी विषय का साक्ष्य होगा ; और इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए किसी ऐसे विषय के बारे में यह कथन पर्याप्त होगा कि कथन करने वाले व्यक्ति के सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर कहा गया है ।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) सूचना किसी कंप्यूटर या संसूचना डिवाइस को प्रदाय की गई समझी जाएगी यदि यह किसी समुचित रूप में प्रदाय की गई है, चाहे इस प्रकार किया गया प्रदाय सीधे (मानव मध्यक्षेप सहित या रहित) या किसी समुचित उपस्कर के माध्यम द्वारा किया गया हो ;

(ख) कंप्यूटर उत्पाद को कंप्यूटर या संसूचना डिवाइस द्वारा उत्पादित समझा जाएगा, चाहे यह इसके द्वारा सीधे उत्पादित हो (मानव मध्यक्षेप सहित या रहित) या उपधारा (3) के खंड (क) से खंड (ड) में यथानिर्दिष्ट किसी समुचित उपस्कर या अन्य इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से हो ।

प्रस्तुत करने की सूचना के बारे में नियम ।

64. धारा 60 के खंड (क) में निर्दिष्ट दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य तब तक न दिया जा सकेगा, जब तक ऐसे द्वितीयक साक्ष्य देने की प्रस्थापना करने वाले पक्षकार ने उस पक्षकार को, जिसके कब्जे में या अधिकार में वह दस्तावेज है या उसके अधिवक्ता या प्रतिनिधि को, उसे प्रस्तुत करने के लिए ऐसी सूचना, जैसा विधि द्वारा विहित है, और यदि विधि द्वारा कोई सूचना विहित नहीं हो तो ऐसी सूचना, जैसा न्यायालय मामले की परिस्थितियों के अधीन युक्तियुक्त समझता है, न दे दिया हो :

परन्तु ऐसी सूचना निम्नलिखित दशाओं में से किसी में या किसी भी अन्य दशा में, जिसमें न्यायालय उसके दिए जाने से अभिमुक्ति प्रदान करना उचित समझता है, द्वितीयक साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए अपेक्षित नहीं किया जाएगा,—

(क) जब साबित किया जाने वाला दस्तावेज स्वयं एक सूचना है ;

(ख) जब प्रतिपक्षी को मामले की प्रकृति से यह जानना ही होगा कि उसे प्रस्तुत करने की उससे अपेक्षा की जाएगी ;

(ग) जब यह प्रतीत होता है या साबित किया जाता है कि प्रतिपक्षी ने मूल पर कब्जा कपट या बल द्वारा अभिप्राप्त कर लिया है ;

(घ) जब मूल, प्रतिपक्षी या उसके अभिकर्ता के पास न्यायालय में है ;

(ड) जब प्रतिपक्षी या उसके अभिकर्ता ने दस्तावेज का खो जाना स्वीकार कर लिया है ;

(च) जब दस्तावेज पर कब्जा रखने वाला व्यक्ति न्यायालय की आदेशिका की

पहुंच के बाहर है या ऐसी आदेशिका के अध्यक्षीन नहीं है ।

65. यदि कोई दस्तावेज, किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित या पूर्णतः या भागतः लिखा गया अभिकथित है, तो यह साबित करना होगा कि वह हस्ताक्षर या उस दस्तावेज के उतने का हस्तलेख, जितने के बारे में यह अभिकथित है कि वह उस व्यक्ति के हस्तलेख में है, उसके हस्तलेख में है ।

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या हस्तलेख का साबित किया जाना जिसके बारे में अभिकथित है कि उसने प्रस्तुत किए गए दस्तावेज को हस्ताक्षरित किया था या लिखा था ।

66. सुरक्षित इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर के मामले के सिवाय, यदि यह अभिकथित है कि किसी हस्ताक्षरकर्ता का इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर इलैक्ट्रानिक अभिलेख में नियत किया गया है तो यह तथ्य साबित किया जाना चाहिए कि ऐसा इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर, हस्ताक्षरकर्ता का इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर है ।

इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर के बारे में सबूत ।

67. यदि किसी दस्तावेज का अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है, तो उसे साक्ष्य के रूप में उपयोग में नहीं लाया जाएगा, जब तक कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी, यदि कोई अनुप्रमाणक साक्षी जीवित हो और न्यायालय की आदेशिका के अध्यक्षीन हो तथा साक्ष्य देने में समर्थ हो, उसका निष्पादन साबित करने के प्रयोजन से न बुलाया गया हो :

ऐसे दस्तावेज के निष्पादन का साबित किया जाना, जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है ।

1908 का 16

परन्तु ऐसे किसी दस्तावेज के निष्पादन को साबित करने के लिए, जो वसीयत नहीं है, और जो भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के उपबन्धों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत है, किसी अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाना आवश्यक नहीं होगा, जब तक उसका निष्पादन, उस व्यक्ति द्वारा जिसके द्वारा उसका निष्पादित होना तात्पर्यित है विनिर्दिष्ट रूप से इंकार न किया गया हो ।

68. यदि ऐसे किसी अनुप्रमाणक साक्षी का पता न चल सके तो यह साबित करना होगा कि कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी का अनुप्रमाण उसी के हस्तलेख में है, और यह कि दस्तावेज का निष्पादन करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर उसी व्यक्ति के हस्तलेख में है ।

जब किसी भी अनुप्रमाणक साक्षी का पता न चले, तब सबूत ।

69. अनुप्रमाणित दस्तावेज के किसी पक्षकार की अपने द्वारा उसका निष्पादन करने की स्वीकृति उस दस्तावेज के निष्पादन का उसके विरुद्ध पर्याप्त सबूत होगा, यद्यपि वह ऐसा दस्तावेज हो जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है ।

अनुप्रमाणित दस्तावेज के पक्षकार द्वारा निष्पादन की स्वीकृति ।

70. यदि अनुप्रमाणक साक्षी दस्तावेज के निष्पादन से इंकार करे या उसे उसके निष्पादन का स्मरण न हो, तो उसका निष्पादन अन्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकेगा ।

जब अनुप्रमाणक साक्षी निष्पादन से इंकार करता है, तब सबूत ।

71. कोई अनुप्रमाणित दस्तावेज, जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है, ऐसे साबित किया जा सकेगा, मानो वह अनुप्रमाणित नहीं है ।

उस दस्तावेज का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है ।

हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा की तुलना अन्य से करना जो स्वीकृत या साबित हैं।

72. (1) यह अभिनिश्चित करने के लिए कि क्या कोई हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा उस व्यक्ति की है, जिसके द्वारा उसका लिखा जाना या किया जाना तात्पर्यित है किसी हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा की, जिसके बारे में यह स्वीकृत है या न्यायालय को समाधानप्रद रूप में साबित कर दिया गया है कि वह उस व्यक्ति द्वारा लिखा गया या किया गया था, उससे तुलना की जा सकेगी, जिसे साबित किया जाना है, यद्यपि वह हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रस्तुत या साबित नहीं की गई हो।

(2) न्यायालय में उपस्थित किसी व्यक्ति को किन्हीं शब्दों या अंकों के लिखने का निदेश न्यायालय इस प्रयोजन से दे सकेगा कि ऐसे लिखे गए शब्दों या अंकों की किन्हीं ऐसे शब्दों या अंकों से तुलना करने के लिए न्यायालय समर्थ हो सके जिनके बारे में अभिकथित है कि वे उस व्यक्ति द्वारा लिखे गए थे।

(3) यह धारा किन्हीं आवश्यक परिवर्तनों के साथ अंगुली छापों को भी लागू होती है।

डिजिटल हस्ताक्षर के सत्यापन के बारे में सबूत।

73. यह अभिनिश्चित करने के लिए कि क्या कोई डिजिटल हस्ताक्षर उस व्यक्ति का है जिसके द्वारा उसका किया जाना तात्पर्यित है, न्यायालय यह निदेश दे सकेगा कि,—

(क) वह व्यक्ति या नियंत्रक या प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे ;

(ख) कोई अन्य व्यक्ति डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र में सूचीबद्ध लोक कुंजी के लिए आवेदन करे और उस डिजिटल हस्ताक्षर को, जिसका उस व्यक्ति द्वारा किया जाना तात्पर्यित है, सत्यापित करे।

लोक दस्तावेज

लोक और प्राइवेट दस्तावेज।

74. (1) निम्नलिखित दस्तावेज, लोक दस्तावेज हैं—

(क) वे दस्तावेज, जो—

(i) प्रभुतासम्पन्न प्राधिकारी के ;

(ii) शासकीय निकायों और अधिकरणों के ; और

(iii) भारत के या किसी विदेश के विधायी, न्यायिक और कार्यपालक लोक अधिकारियों के,

कार्यों के रूप में या कार्यों के अभिलेख के रूप में हैं;

(ख) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में रखे गए प्राइवेट दस्तावेजों के लोक अभिलेख।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के सिवाय, अन्य सभी दस्तावेज प्राइवेट हैं।

लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां।

75. प्रत्येक लोक अधिकारी, जिसकी अभिरक्षा में कोई ऐसा लोक दस्तावेज है, जिसका निरीक्षण करने का किसी भी व्यक्ति को अधिकार है, मांग किए जाने पर उस व्यक्ति को उसकी प्रति उसके लिए विधिक फीस के संदाय पर ऐसी प्रति के नीचे इस लिखित प्रमाणपत्र के सहित देगा कि वह, यथास्थिति, ऐसे दस्तावेज की या उसके भाग की शुद्ध प्रति है तथा ऐसा प्रमाणपत्र ऐसे अधिकारी द्वारा दिनांकित किया जाएगा और उसके नाम और पदाभिधान से हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा जब कभी ऐसा अधिकारी विधि द्वारा किसी मुद्रा का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत है तब मुद्रायुक्त किया जाएगा, तथा इस प्रकार प्रमाणित ऐसी प्रतियां प्रमाणित प्रतियां कहलाएंगी।

स्पष्टीकरण—कोई अधिकारी, जो पदीय कर्तव्य के साधारण अनुक्रम में ऐसी प्रतियां परिदान करने के लिए प्राधिकृत है, वह इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत ऐसे दस्तावेजों की अभिरक्षा रखता है, यह समझा जाएगा।

76. ऐसी प्रमाणित प्रतियां, उन लोक दस्तावेजों की या उन लोक दस्तावेजों के भागों की अन्तर्वस्तु के सबूत में प्रस्तुत की जा सकेंगी जिनकी वे प्रतियां होना तात्पर्यित हैं ।

प्रमाणित प्रतियों को प्रस्तुत करने के द्वारा दस्तावेजों का सबूत ।

77. निम्नलिखित लोक दस्तावेज, निम्नलिखित रूप से साबित किए जा सकेंगे,—

अन्य शासकीय दस्तावेजों का सबूत ।

(क) केन्द्रीय सरकार के किसी मंत्रालय और विभाग के, या किसी राज्य सरकार के, या किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के किसी विभाग के अधिनियम, आदेश या अधिसूचनाएं,—

(i) उन विभागों के अभिलेखों द्वारा, जो क्रमशः उन विभागों के प्रमुख द्वारा प्रमाणित हैं ; या

(ii) किसी दस्तावेज द्वारा, जिसका ऐसी किसी सरकार के आदेश द्वारा मुद्रित होना तात्पर्यित है ;

(ख) संसद् या किसी राज्य विधान मंडल की कार्यवाहियां, क्रमशः इन निकायों के जर्नलों द्वारा या प्रकाशित अधिनियमों या सारांशों द्वारा, या संबद्ध सरकार के आदेश द्वारा मुद्रित होना तात्पर्यित होने वाली प्रतियों द्वारा ;

(ग) भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक या उपराज्यपाल द्वारा निकाली गई उद्घोषणाएं, आदेश या विनियम, राजपत्र में अंतर्विष्ट प्रतियों या उद्धरणों द्वारा ;

(घ) किसी विदेश की कार्यपालिका के कार्य या विधान-मंडल की कार्यवाहियां, उनके प्राधिकार से प्रकाशित, या उस देश में सामान्यतः इस रूप में सामान्यतः प्राप्त, जर्नलों द्वारा, या उस देश या प्रभुत्वसंपन्न की मुद्रा के अधीन प्रमाणित प्रति द्वारा, या किसी केन्द्रीय अधिनियम में उनकी मान्यता द्वारा ;

(ङ) किसी राज्य के नगरपालिका या स्थानीय निकाय की कार्यवाहियां, ऐसी कार्यवाहियों की ऐसी प्रति द्वारा, जो उनके विधिक पालक द्वारा प्रमाणित हैं, या ऐसे निकाय के प्राधिकार से प्रकाशित हुई तात्पर्यित होने वाली किसी मुद्रित पुस्तक द्वारा ;

(च) किसी विदेश का किसी अन्य प्रकार का लोक दस्तावेज, जो मूल द्वारा या उसके विधिक पालक द्वारा प्रमाणित किसी प्रति द्वारा, जिस प्रति के साथ किसी नोटरी पब्लिक की, या भारतीय कौंसल या राजनयिक अभिकर्ता की मुद्रा के अधीन यह प्रमाणपत्र है कि वह प्रति मूल की विधिक अभिरक्षा रखने वाले अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित है, तथा उस दस्तावेज की प्रकृति उस विदेश की विधि के अनुसार साबित किए जाने के द्वारा ।

दस्तावेजों के बारे में उपधारणाएं

78. (1) न्यायालय प्रत्येक ऐसा दस्तावेज का असली होना उपधारित करेगा, जो ऐसा प्रमाणपत्र, प्रमाणित प्रति या अन्य दस्तावेज होना तात्पर्यित है, जिसका किसी विशिष्ट तथ्य के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होना विधि द्वारा घोषित है और जिसका केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित होना तात्पर्यित है :

प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणा ।

परन्तु यह तब जबकि ऐसा दस्तावेज सारतः उस प्ररूप में हो और ऐसी रीति से निष्पादित हुआ तात्पर्यित हो जो विधि द्वारा उस निमित्त निदेशित है ।

(2) न्यायालय यह भी उपधारित करेगा कि कोई अधिकारी, जिसके द्वारा ऐसे दस्तावेज का हस्ताक्षरित या प्रमाणित होना तात्पर्यित है, वह पदीय हैसियत, जिसका वह ऐसे कागज में दावा करता है, उस समय रखता था, जब उसने उसे हस्ताक्षरित किया था ।

साक्ष्य, आदि के अभिलेख के रूप में प्रस्तुत दस्तावेजों के बारे में उपधारणा ।

79. जब कभी किसी न्यायालय के समक्ष कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है, जिसका किसी न्यायिक कार्यवाही में, या विधि द्वारा ऐसा साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष, किसी साक्षी द्वारा दिए गए साक्ष्य या साक्ष्य के किसी भाग का अभिलेख या जापन होना या किसी बंदी या अभियुक्त का विधि के अनुसार लिया गया कथन या संस्वीकृति होना तात्पर्यित है और जिसका किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा या पूर्वोक्त प्रकार के ऐसे किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना तात्पर्यित है, तब न्यायालय यह उपधारित करेगा कि,—

(i) वह दस्तावेज असली है ;

(ii) उन परिस्थितियों के बारे में, जिनके अधीन वह लिया गया था, कोई भी कथन, जिनका उसको हस्ताक्षरित करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाना तात्पर्यित है, सत्य है ; और

(iii) ऐसा साक्ष्य, कथन या संस्वीकृति सम्यक् रूप से ली गई थी ।

राजपत्रों, समाचारपत्रों और अन्य दस्तावेजों के बारे में उपधारणा ।

80. न्यायालय प्रत्येक ऐसे दस्तावेज का असली होना उपधारित करेगा, जिसका राजपत्र होना, या समाचारपत्र या जर्नल होना तात्पर्यित है और प्रत्येक ऐसे दस्तावेज का, जिसका ऐसा दस्तावेज होना तात्पर्यित है, जिसका किसी व्यक्ति द्वारा रखा जाना किसी विधि द्वारा निदेशित है, यदि ऐसा दस्तावेज सारतः उस प्ररूप में रखा गया है, जो विधि द्वारा अपेक्षित है, और उचित अभिरक्षा में से प्रस्तुत किया गया है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा और धारा 92 के प्रयोजनों के लिए, कोई दस्तावेज उचित अभिरक्षा में रखा गया कहा जाता है, यदि वह उस स्थान में रखा गया है, जिसमें उस व्यक्ति द्वारा उसका ध्यान रखा जाता है, जिसके पास ऐसा दस्तावेज रखा जाना अपेक्षित है ; किंतु कोई अभिरक्षा अनुचित नहीं है, यदि इसका वैध उत्पन्न होना साबित होता है, या किसी विशेष मामले की परिस्थितियां ऐसी हैं, जो उस उत्पत्ति को प्रायिक बनाती हैं ।

इलैक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख में राजपत्रों के बारे में उपधारणा ।

81. न्यायालय, ऐसे प्रत्येक इलैक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख का असली होना उपधारित करेगा, जिसका राजपत्र होना तात्पर्यित है, या जिसका ऐसा इलैक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख होना तात्पर्यित है, जिसका किसी व्यक्ति द्वारा रखा जाना किसी विधि द्वारा निर्दिष्ट है, यदि ऐसा इलैक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख सारतः उस रूप में रखा गया है, जो विधि द्वारा अपेक्षित है और उचित अभिरक्षा से प्रस्तुत किया गया हो ।

स्पष्टीकरण—इस धारा और धारा 93 के प्रयोजनों के लिए, कोई इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख उचित अभिरक्षा में रखा गया कहा जाता है, यदि वह उस स्थान में रखा है, जिसमें उस व्यक्ति द्वारा उसका ध्यान रखा जाता है, जिसके पास ऐसा दस्तावेज रखा जाना अपेक्षित है ; किंतु कोई अभिरक्षा अनुचित नहीं है, यदि इसका वैध उत्पन्न होना साबित होता हो, या किसी विशेष मामले की परिस्थितियां ऐसी हैं, जो ऐसी उत्पत्ति को प्रायिक बनाती हैं ।

सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों के बारे में उपधारणा ।

82. न्यायालय यह उपधारित करेगा कि वे मानचित्र या रेखांक, जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए तात्पर्यित हैं, वैसे ही बनाए गए थे और वे शुद्ध हैं, किन्तु किसी मामले के प्रयोजनों के लिए बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों के बारे में यह साबित करना होगा कि वे सही हैं ।

83. न्यायालय, प्रत्येक ऐसी पुस्तक का, जिसका किसी देश की सरकार के प्राधिकार के अधीन मुद्रित या प्रकाशित होना और जिसमें उस देश की कोई विधि अन्तर्विष्ट होना तात्पर्यित है, तथा प्रत्येक ऐसी पुस्तक का, जिसमें ऐसे देश के न्यायालयों के विनिश्चयों की रिपोर्टें अन्तर्विष्ट होना तात्पर्यित है, असली होना उपधारित करेगा ।

विधियों के संग्रह और विनिश्चयों की रिपोर्टों के बारे में उपधारणा ।

84. न्यायालय यह उपधारित करेगा कि प्रत्येक ऐसा दस्तावेज, जिसका मुख्तारनामा होना और नोटरी पब्लिक या किसी न्यायालय, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, भारतीय कौंसल या उप-कौंसल या केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि के समक्ष निष्पादित होना और उसके द्वारा अधिप्रमाणीकृत होना तात्पर्यित है, ऐसे निष्पादित और अधिप्रमाणीकृत किया गया था ।

मुख्तारनामों के बारे में उपधारणा ।

85. न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि प्रत्येक इलैक्ट्रानिक अभिलेख, जो पक्षकारों के इलैक्ट्रानिक या डिजिटल हस्ताक्षर को अन्तर्विष्ट करने वाला ऐसा करार होना तात्पर्यित है, इस प्रकार पक्षकारों के इलैक्ट्रानिक या डिजिटल हस्ताक्षर के साथ दिया गया था ।

इलैक्ट्रानिक करारों के बारे में उपधारणा ।

86. (1) किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों में, जिनमें सुरक्षित इलैक्ट्रानिक अभिलेख अंतर्वलित है, जब तक इसके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, न्यायालय यह उपधारित करेगा कि सुरक्षित इलैक्ट्रानिक अभिलेख को, किसी ऐसे विनिर्दिष्ट समय से, जिससे सुरक्षित प्रास्थिति संबंधित है, परिवर्तित नहीं किया गया है ।

इलैक्ट्रानिक अभिलेखों और इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षरों के बारे में उपधारणा ।

(2) किसी ऐसी कार्यवाही में, जिसमें सुरक्षित इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर अन्तर्वलित है, जब तक इसके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, न्यायालय यह उपधारित करेगा कि,—

(क) उपयोगकर्ता द्वारा सुरक्षित इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर, इलैक्ट्रानिक अभिलेख को चिह्नित या अनुमोदित करने के आशय से किया गया है;

(ख) सुरक्षित इलैक्ट्रानिक अभिलेख या सुरक्षित इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर की दशा में के सिवाय, इस धारा की कोई बात इलैक्ट्रानिक अभिलेख या इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर की अधिप्रमाणिकता और समग्रता से संबंधित किसी उपधारणा का सृजन नहीं करेगी ।

87. जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है, न्यायालय, यह उपधारित करेगा कि यदि उपयोगकर्ता द्वारा प्रमाणपत्र को स्वीकार किया गया था तो इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर प्रमाणपत्र में सूचीबद्ध सूचना सही है, सिवाय उस सूचना के जो उपयोगकर्ता की सूचना के रूप में विनिर्दिष्ट है जिसे सत्यापित नहीं किया गया है ।

इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर प्रमाणपत्रों के बारे में उपधारणा ।

88. (1) न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि भारत के बाहर ऐसे किसी देश के न्यायिक अभिलेख की प्रमाणित प्रति तात्पर्यित होने वाला कोई दस्तावेज असली और शुद्ध है, यदि वह दस्तावेज किसी ऐसी रीति से प्रमाणित होना तात्पर्यित हो जिसका न्यायिक अभिलेखों की प्रतियों के प्रमाणन के लिए उस देश में साधारणतः काम में लाई जाने वाली रीति होना ऐसे देश में या उसके लिए केन्द्रीय सरकार के किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित है ।

विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के बारे में उपधारणा ।

(2) ऐसा अधिकारी, जो भारत के बाहर ऐसे किसी राज्यक्षेत्र या स्थान के लिए, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 3 के खण्ड (43) में यथा परिभाषित राजनैतिक अभिकर्ता है, वह इस धारा के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार का उस देश में, और उस देश के लिए प्रतिनिधि समझा जाएगा, जिसमें वह राज्यक्षेत्र या स्थान समाविष्ट है ।

पुस्तकों,
मानचित्रों और
चार्टों के बारे में
उपधारणा ।

89. न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि कोई पुस्तक, जिसे वह लोक या साधारण हित सम्बन्धी विषयों की जानकारी के लिए देखे और कोई प्रकाशित मानचित्र या चार्ट का कथन सुसंगत तथ्य है, और जो उसके निरीक्षणार्थ प्रस्तुत किया गया है, उस व्यक्ति द्वारा तथा उस समय और उस स्थान पर लिखा गया था और प्रकाशित किया गया था जिसके द्वारा या जिस समय या स्थान पर उसका लिखा जाना या प्रकाशित होना तात्पर्यित है ।

इलैक्ट्रानिक
संदेशों के बारे में
उपधारणा ।

90. न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि आरंभकर्ता द्वारा ऐसे प्रेषिती को किसी इलैक्ट्रानिक मेल सर्वर के माध्यम से अग्रेषित कोई इलैक्ट्रानिक संदेश, जिसे ऐसे संदेश का संबोधित किया जाना तात्पर्यित है, उस संदेश के समरूप है, जो पारेषण के लिए उसके कंप्यूटर में भरा गया था; किंतु न्यायालय, उस व्यक्ति के बारे में, जिसके द्वारा ऐसा संदेश भेजा गया था, कोई उपधारणा नहीं करेगा ।

प्रस्तुत नहीं किए
गए दस्तावेजों के
सम्यक् निष्पादन,
आदि के बारे में
उपधारणा ।

91. न्यायालय यह उपधारित करेगा कि प्रत्येक ऐसा दस्तावेज, जिसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी और जो प्रस्तुत करने की सूचना के पश्चात् प्रस्तुत नहीं किया गया है, विधि द्वारा अपेक्षित रीति में अनुप्रमाणित, स्टाम्पित और निष्पादित किया गया था ।

तीस वर्ष पुराने
दस्तावेजों के बारे
में उपधारणा ।

92. जहां कोई दस्तावेज, जिसका तीस वर्ष पुराना होना तात्पर्यित है या साबित किया गया है, ऐसी किसी अभिरक्षा में से, जिसे न्यायालय उस विशिष्ट मामले में उचित समझता है, प्रस्तुत किया गया है, वहां न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर और उसका प्रत्येक अन्य भाग, जिसका किसी विशिष्ट व्यक्ति के हस्तलेख में होना तात्पर्यित है, उस व्यक्ति के हस्तलेख में है, और निष्पादित या अनुप्रमाणित दस्तावेज होने की दशा में यह उपधारित कर सकेगा कि वह उन व्यक्तियों द्वारा सम्यक् रूप में निष्पादित और अनुप्रमाणित किया गया था, जिनके द्वारा उसका निष्पादित और अनुप्रमाणित होना तात्पर्यित है ।

स्पष्टीकरण—धारा 80 का स्पष्टीकरण इस धारा को भी लागू होगा ।

दृष्टांत

(क) **क** भू-संपत्ति पर दीर्घकाल से कब्जा रखता आया है । यह उस भूमि सम्बन्धी विलेख, जिनसे उस भूमि पर उसका हक दर्शित है, अपनी अभिरक्षा में से प्रस्तुत करता है । यह अभिरक्षा उचित होगी ।

(ख) **क** उस भू-संपत्ति से सम्बद्ध विलेख, जिनका वह बन्धकदार है, प्रस्तुत करता है । बंधककर्ता संपत्ति पर कब्जा रखता है । यह अभिरक्षा उचित होगी ।

(ग) **ख** का संबंधी **क**, **ख** के कब्जे वाली भूमि से संबंधित विलेख प्रस्तुत करता है, जिन्हें **ख** ने उसके पास सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जमा किया था । यह अभिरक्षा उचित होगी ।

पांच वर्ष पुराने
इलैक्ट्रानिक
अभिलेखों के बारे
में उपधारणा ।

93. जहां कोई इलैक्ट्रानिक अभिलेख, जिसका पांच वर्ष पुराना होना तात्पर्यित है या साबित किया गया है, ऐसी किसी अभिरक्षा से जिसे न्यायालय उस विशिष्ट मामले में उचित समझता है, प्रस्तुत किया गया है, वहां न्यायालय, यह उपधारित कर सकेगा कि ऐसा इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर, जिसका किसी विशिष्ट व्यक्ति का इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर होना तात्पर्यित है, उसके द्वारा या उसकी ओर से इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किया गया था ।

स्पष्टीकरण—धारा 81 का स्पष्टीकरण इस धारा को भी लागू होगा ।

अध्याय 6

दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में

94. जब किसी संविदा के या अनुदान के या संपत्ति के किसी अन्य व्ययन के निबन्धन किसी दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध कर लिए गए हों, और उन सब दशाओं में, जिनमें विधि द्वारा अपेक्षित है कि कोई बात दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध की जाए, ऐसी संविदा, अनुदान या संपत्ति के अन्य व्ययन के निबन्धनों के या ऐसी बात के साबित किए जाने के लिए स्वयं उस दस्तावेज के या उन दशाओं में, जिसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य है, उसकी अन्तर्वस्तु के द्वितीयक साक्ष्य के सिवाय, कोई भी साक्ष्य नहीं दिया जाएगा।

दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध संविदाओं, अनुदानों और संपत्ति के अन्य व्ययनों के निबन्धनों का साक्ष्य।

अपवाद 1—जब विधि द्वारा किसी लोक अधिकारी की नियुक्ति लिखित रूप में अपेक्षित है और जब यह दर्शित किया जाता है कि किसी विशिष्ट व्यक्ति ने ऐसे अधिकारी के नाते कार्य किया है, तब उस लेख का, जिसके द्वारा वह नियुक्त किया गया था, साबित किया जाना आवश्यक नहीं है।

अपवाद 2—जिन वसीयतों का संप्रमाण मिला है, वे संप्रमाण द्वारा साबित की जा सकेंगी।

स्पष्टीकरण 1—यह धारा उन दशाओं में, जिनमें निर्दिष्ट संविदाएं, अनुदान या संपत्ति के व्ययन एक ही दस्तावेज में अन्तर्विष्ट हैं और उन दशाओं में, जिनमें वे एक से अधिक दस्तावेजों में अन्तर्विष्ट हैं, समान रूप से लागू हैं।

स्पष्टीकरण 2—जहां एक से अधिक मूल हैं, वहां केवल एक मूल साबित करना आवश्यक है।

स्पष्टीकरण 3—इस धारा में निर्दिष्ट तथ्यों से भिन्न किसी तथ्य का किसी भी दस्तावेज में कथन, उसी तथ्य के बारे में मौखिक साक्ष्य की ग्राह्यता को निवारित नहीं करेगा।

दृष्टांत

(क) यदि कोई संविदा कई पत्रों में अन्तर्विष्ट है, तो वे सभी पत्र, जिनमें वह अन्तर्विष्ट है, साबित करने होंगे।

(ख) यदि कोई संविदा किसी विनिमयपत्र में अन्तर्विष्ट है, तो वह विनिमयपत्र साबित करना होगा।

(ग) यदि विनिमयपत्र तीन सेट में लिखित है, तो केवल एक को साबित करना आवश्यक है।

(घ) **ख** से कतिपय निबन्धनों पर **क** नील के परिदान के लिए लिखित संविदा करता है। संविदा इस तथ्य का वर्णन करती है कि **ख** ने **क** को किसी अन्य अवसर पर मौखिक रूप से संविदाकृत अन्य नील का मूल्य चुकाया था। मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है कि अन्य नील के लिए कोई संदाय नहीं किया गया। यह साक्ष्य ग्राह्य है।

(ङ) **ख** द्वारा दिए गए धन की रसीद **ख** को **क** देता है। संदाय करने का मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है। यह साक्ष्य ग्राह्य है।

95. जब किसी ऐसी संविदा, अनुदान या संपत्ति के अन्य व्ययन के निबन्धनों को, या किसी बात को, जिसके बारे में विधि द्वारा अपेक्षित है कि वह दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध की जाए, धारा 94 के अनुसार साबित किया जा चुका है, तब किसी ऐसी लिखत के पक्षकारों या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच के किसी मौखिक करार या कथन का

मौखिक करार के साक्ष्य का अपवर्जन।

कोई भी साक्ष्य उसके निबन्धनों का खण्डन करने या उनमें फेरफार करने या जोड़ने या उनमें से घटाने के प्रयोजन के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा :

परन्तु ऐसा कोई तथ्य साबित किया जा सकेगा, जो किसी दस्तावेज को अविधिमान्य बना दे या जो किसी व्यक्ति को तत्सम्बन्धी किसी डिक्री या आदेश का हकदार बना दे, यथा कपट, अभिवास, अवैधता, सम्यक् निष्पादन का अभाव, किसी संविदाकारी पक्षकार में सामर्थ्य का अभाव, प्रतिफल का अभाव या निष्फलता या विधि की या तथ्य की भूल :

परन्तु यह और कि किसी विषय के बारे में, जिसके बारे में दस्तावेज मौन है और जो उसके निबन्धनों से असंगत नहीं है, किसी पृथक् मौखिक करार का अस्तित्व साबित किया जा सकेगा । इस पर विचार करते समय यह परन्तुक लागू होता है या नहीं, न्यायालय दस्तावेज की औपचारिकता की मात्रा को ध्यान में रखेगा :

परन्तु यह भी कि ऐसी किसी संविदा, अनुदान या संपत्ति के व्ययन के अधीन कोई बाध्यता संलग्न होने की पुरोभाव्य शर्त गठित करने वाले किसी पृथक् मौखिक करार का अस्तित्व साबित किया जा सकेगा :

परन्तु यह भी कि ऐसी किसी संविदा, अनुदान या संपत्ति के व्ययन को विखंडित या उपांतरित करने के लिए किसी सुभिन्न पश्चातवर्ती मौखिक करार का अस्तित्व उन दशाओं के सिवाय साबित किया जा सकेगा, जिनमें विधि द्वारा अपेक्षित है कि ऐसी संविदा, अनुदान या संपत्ति का व्ययन लिखित हो या जिनमें दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के बारे में तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार उसका रजिस्ट्रीकरण किया जा चुका है :

परन्तु यह भी कि कोई प्रथा या रूढ़ि, जिसके द्वारा किसी संविदा में अभिव्यक्त रूप से वर्णित न होने वाली घटनाएं उस प्रकार की संविदाओं से प्रायः उपाबद्ध रहती हैं, साबित की जा सकेगी :

परन्तु यह भी कि ऐसी घटना को उपाबद्ध करना संविदा के अभिव्यक्त निबन्धनों के विरुद्ध या उनसे असंगत नहीं होगा :

परन्तु यह भी कि कोई तथ्य, जो यह दर्शित करता है कि किसी दस्तावेज की भाषा विद्यमान तथ्यों से किस रीति में संबंधित है, साबित किया जा सकेगा ।

दृष्टांत

(क) बीमा की एक पालिसी उस माल के लिए जो “कोलकाता से विशाखापट्टनम जाने वाले पोतों में” की गई है । माल किसी विशिष्ट पोत से भेजा जाता है, जो पोत नष्ट हो जाता है । यह तथ्य कि वह विशिष्ट पोत उस पालिसी से मौखिक रूप से अपवादित था, साबित नहीं किया जा सकता ।

(ख) **ख** को 1 मार्च, 2023 को एक हजार रुपए देने का पक्का लिखित करार **क** करता है । यह तथ्य कि उसी समय एक मौखिक करार हुआ था कि यह धन 31 मार्च, 2023 तक नहीं दिया जाएगा, साबित नहीं किया जा सकता ।

(ग) “रामपुर चाय सम्पदा” नामक एक सम्पदा किसी विलेख द्वारा बेची जाती है, जिसमें विक्रीत संपत्ति का मानचित्र अन्तर्विष्ट है । यह तथ्य कि मानचित्र में न दिखाई गई भूमि सदैव सम्पदा का भागरूप मानी जाती रही थी और उस विलेख द्वारा उसका अन्तरित होना अभिप्रेत था, साबित नहीं किया जा सकता ।

(घ) **क** कतिपय खानों को, जो **ख** की संपत्ति हैं, कतिपय निबन्धनों पर काम में लाने का **ख** से लिखित करार करता है । उनके मूल्य के बारे में **ख** के मिथ्या निरूपण

द्वारा क ऐसा करने के लिए उत्प्रेरित हुआ था । यह तथ्य साबित किया जा सकेगा ।

(ड) ख पर क किसी संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद संस्थित करता है और यह प्रार्थना भी करता है कि संविदा का सुधार उसके एक उपबन्ध के बारे में किया जाए क्योंकि वह उपबन्ध उसमें भूल से अन्तःस्थापित किया गया था । क साबित कर सकेगा कि ऐसी भूल की गई थी जिससे संविदा के सुधार करने का हक उसे विधि द्वारा मिलता है ।

(च) क पत्र द्वारा ख का माल आदेशित करता है जिसमें संदाय करने के समय के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है और परिदान पर माल को स्वीकार करता है । ख मूल्य के लिए क पर वाद लाता है । क दर्शित कर सकेगा कि माल ऐसी अवधि के लिए उधार पर दिया गया था जिसका अभी तक अवसान नहीं हुआ है ।

(छ) ख को क एक घोड़ा बेचता है और मौखिक वारण्टी देता है कि वह अच्छा है । ख को क इन शब्दों को लिखकर एक कागज देता है--“क से तीस हजार रुपए में एक घोड़ा खरीदा” । ख मौखिक वारंटी साबित कर सकेगा ।

(ज) ख का लॉज क भाड़े पर लेता है और एक कार्ड देता है जिसमें लिखा है, “कमरे, दस हजार रुपए प्रतिमास” । क यह मौखिक करार साबित कर सकेगा कि इन निबन्धनों के अन्तर्गत भागतः भोजन भी था । ख का लॉज क एक वर्ष के लिए भाड़े पर लेता है और उनके बीच अधिवक्ता द्वारा तैयार किया हुआ एक स्टाम्पित करार किया जाता है । वह करार भोजन देने के विषय में मौन है । क साबित नहीं कर सकेगा कि मौखिक तौर पर उस निबन्धन के अन्तर्गत भोजन देना भी था ।

(झ) ख से देय ऋण के लिए धन की रसीद भेज कर ऋण चुकाने का क आवेदन करता है । ख रसीद रख लेता है और धन नहीं भेजता । उस रकम के लिए वाद में क इसे साबित कर सकेगा ।

(ञ) क और ख लिखित में संविदा करते हैं जो कतिपय अनिश्चित घटना के घटित होने पर प्रभावशील होनी है । वह लेख ख के पास छोड़ दिया जाता है जो उसके आधार पर क पर वाद लाता है । क उन परिस्थितियों को दर्शित कर सकेगा जिनके अधीन वह परिदत्त किया गया था ।

96. जब किसी दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा देखते ही संदिग्ध या त्रुटिपूर्ण है, तब उन तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा, जो उनका अर्थ दर्शित कर दे या उसकी त्रुटियों की पूर्ति कर दे ।

दृष्टांत

(क) ख को क “एक लाख रुपए या एक लाख पचास हजार रुपए” में एक घोड़ा बेचने का लिखित करार करता है । यह दर्शित करने के लिए कि कौन सा मूल्य दिया जाना था साक्ष्य नहीं दिया जा सकता ।

(ख) किसी विलेख में रिक्त स्थान है । उन तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता जो यह दर्शित करते हैं कि उनकी किस प्रकार पूर्ति अभिप्रेत थी ।

97. जब दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा स्वयं स्पष्ट हो और जब वह विद्यमान तथ्यों को ठीक-ठीक लागू होती हो, तब यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा कि वह ऐसे तथ्यों को लागू होने के लिए अभिप्रेत नहीं थी ।

दृष्टांत

ख को क “रामपुर में एक सौ बीघे वाली मेरी सम्पदा” विलेख द्वारा बेचता है । क

संदिग्ध दस्तावेज को स्पष्ट करने या उसका संशोधन करने के साक्ष्य का अपवर्जन।

विद्यमान तथ्यों को दस्तावेज के लागू होने के विरुद्ध साक्ष्य का अपवर्जन ।

के पास रामपुर में एक सौ बीघे वाली एक सम्पदा है। इस तथ्य का साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा कि विक्रय किए जाने के लिए अभिप्रेत सम्पदा किसी भिन्न स्थान पर स्थित थी और भिन्न माप की थी।

विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन दस्तावेज के बारे में साक्ष्य।

98. जब दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा स्वयं स्पष्ट हो, किंतु विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन हो, तो यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा कि वह एक विशिष्ट भाव में प्रयुक्त की गई थी।

दृष्टांत

क, विलेख द्वारा ख को “मेरा कोलकाता का घर” बेचता है। क का कोलकाता में कोई घर नहीं था किन्तु यह प्रतीत होता है कि हावड़ा में उसका एक घर था जो विलेख के निष्पादन के समय से ख के कब्जे में था। इन तथ्यों को यह दर्शित करने के लिए साबित किया जा सकेगा कि विलेख का संबंध हावड़ा के घर से था।

उस भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य, जो कई व्यक्तियों में से केवल एक को लागू हो सकती है।

99. जब तथ्य ऐसे हैं कि प्रयुक्त भाषा कई व्यक्तियों या चीजों में से किसी एक को लागू होने के लिए अभिप्रेत हो सकती थी, और एक से अधिक को लागू होने के लिए अभिप्रेत नहीं हो सकती थी, तब उन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा, जो यह दर्शित करते हैं कि उन व्यक्तियों या चीजों में से किस को लागू होने के लिए वह आशयित थी।

दृष्टांत

(क) क एक हजार रुपए में “मेरा सफेद घोड़ा” ख को बेचने का करार करता है। क के पास दो सफेद घोड़े हैं। उन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा जो यह दर्शित करते हैं कि उनमें से कौन सा घोड़ा अभिप्रेत था।

(ख) ख के साथ क रामगढ़ जाने के लिए करार करता है। यह दर्शित करने वाले तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा कि राजस्थान का रामगढ़ अभिप्रेत था या उत्तराखंड का रामगढ़।

तथ्यों के दो संवर्गों में से जिनमें से किसी एक को भी वह भाषा पूरी की पूरी ठीक-ठीक लागू नहीं होती, उसमें से एक को भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य।

100. जब प्रयुक्त भाषा भागतः विद्यमान तथ्यों के एक संवर्ग को और भागतः विद्यमान तथ्यों के अन्य संवर्ग को लागू होती है, किन्तु वह पूरी की पूरी दोनों में से किसी एक को भी ठीक-ठीक लागू नहीं होती, तब यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा कि वह दोनों में से किस को लागू होने के लिए अभिप्रेत थी।

दृष्टांत

ख को “भ में स्थित म के अधिभोग में मेरी भूमि” बेचने का क करार करता है। क के पास भ में स्थित भूमि है, किन्तु वह म के कब्जे में नहीं है और उसके पास म के कब्जे वाली भूमि है, किन्तु वह भ में स्थित नहीं है। यह दर्शित करने वाले तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा कि उसका अभिप्राय कौन सी भूमि बेचने का था।

अपठनीय लिपि, आदि के अर्थ के बारे में साक्ष्य।

101. ऐसी लिपि, जो अपठनीय या सामान्यतः बोधगम्य न हो, विदेशी, अप्रचलित, तकनीकी, स्थानिक और क्षेत्रीय शब्द प्रयोगों का, संक्षेपाक्षरों का और विशिष्ट भाव में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा।

दृष्टांत

एक मूर्तिकार, क “अपनी सभी प्रतिमाएं” ख को बेचने का करार करता है। क के पास मॉडल और प्रतिमा बनाने के औजार भी हैं। यह दर्शित कराने के लिए कि वह किसे बेचने का अभिप्राय रखता था, साक्ष्य दिया जा सकेगा।

102. वे व्यक्ति, जो किसी दस्तावेज के पक्षकार या उनके हित प्रतिनिधि नहीं हैं, ऐसे किन्हीं भी तथ्यों का साक्ष्य दे सकेंगे, जो दस्तावेज के निबन्धनों में फेर-फार करने वाले किसी समकालीन करार को दर्शित करने की प्रवृत्ति रखते हैं ।

दृष्टांत

क और ख लिखित संविदा करते हैं कि क को कुछ कपास ख बेचेगा जिसके लिए कपास के परिदान किए जाने पर संदाय किया जाएगा । उसी समय वे एक मौखिक करार करते हैं कि क को तीन मास का प्रत्यय दिया जाएगा । क और ख के बीच यह तथ्य दर्शित नहीं किया जा सकता था किन्तु यदि यह ग के हित पर प्रभाव डालता है, तो यह ग द्वारा दर्शित किया जा सकेगा ।

103. इस अध्याय की कोई भी बात, वसीयत का अर्थ लगाने के बारे में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के किन्हीं भी उपबन्धों पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी ।

1925 का 39

दस्तावेज के निबन्धनों में फेर-फार करने वाले करार का साक्ष्य कौन दे सकेगा ।

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के वसीयत सम्बन्धी उपबन्धों की व्याप्ति ।

भाग 4

साक्ष्य का प्रस्तुत किया जाना और उसका प्रभाव

अध्याय 7

सबूत के भार के विषय में

104. जो कोई, न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे, जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर है, जिन्हें वह दृढ़कथन करता है, तो उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है और जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिए आबद्ध है, तब यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है ।

दृष्टांत

(क) क न्यायालय से चाहता है कि वह ख को उस अपराध के लिए दण्डित करने का निर्णय दे जिसके बारे में क कहता है कि वह ख ने किया है । क को यह साबित करना होगा कि ख ने वह अपराध किया है ।

(ख) क न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय उन तथ्यों के कारण जिनके सत्य होने का वह दृढ़कथन करता है और ख इंकार करता है, यह निर्णय दे कि वह ख के कब्जे में की अमुक भूमि का हकदार है । क को उन तथ्यों का अस्तित्व साबित करना होगा ।

105. किसी वाद या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा, यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई भी साक्ष्य न दिया जाए ।

दृष्टांत

(क) ख पर उस भूमि के लिए क वाद लाता है जो ख के कब्जे में है और जिसके बारे में क दृढ़कथन करता है कि वह ख के पिता ग को वसीयत द्वारा क के लिए दी गई थी । यदि किसी भी ओर से कोई साक्ष्य नहीं दिया जाए, तो ख इसका हकदार होगा कि वह अपना कब्जा रखे रहे । अतः सबूत का भार क पर है ।

(ख) ख पर एक बन्धपत्र पर देय धन के लिए क वाद लाता है । उस बन्धपत्र का निष्पादन स्वीकृत है किन्तु ख कहता है कि वह कपट द्वारा अभिप्राप्त किया गया था, जिस बात का क इंकार करता है । यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई साक्ष्य नहीं

सबूत का भार ।

सबूत का भार किस पर होता है ।

दिया जाए, तो **क** सफल होगा क्योंकि बन्धपत्र विवादग्रस्त नहीं है और कपट साबित नहीं किया गया। अतः सबूत का भार **ख** पर है।

विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार।

106. किसी विशिष्ट तथ्य के सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय से यह कहता है कि उसके अस्तित्व में विश्वास करे, जब तक कि किसी विधि द्वारा यह उपबन्धित न हो कि उस तथ्य के सबूत का भार किसी विशिष्ट व्यक्ति पर होगा।

दृष्टांत

ख को **क** चोरी के लिए अभियोजन करता है और न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय यह विश्वास करे कि **ख** ने चोरी की स्वीकृति **ग** से की। **क** को यह स्वीकृति साबित करनी होगी। **ख** न्यायालय से चाहता है कि वह यह विश्वास करे कि प्रश्नगत समय पर वह अन्यत्र था। उसे यह बात साबित करनी होगी।

साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए साबित किए जाने वाले तथ्य को साबित करने का भार।

107. ऐसे तथ्य को साबित करने का भार जिसका साबित किया जाना किसी व्यक्ति को किसी अन्य तथ्य का साक्ष्य देने को समर्थ करने के लिए आवश्यक है, उस व्यक्ति पर है जो ऐसा साक्ष्य देना चाहता है।

दृष्टांत

(क) **ख** द्वारा किए गए मृत्युकालिक कथन को **क** साबित करना चाहता है। **क** को **ख** की मृत्यु साबित करनी होगी।

(ख) **क** किसी खोए हुए दस्तावेज की अन्तर्वस्तु को द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित करना चाहता है। **क** को यह साबित करना होगा कि दस्तावेज खो गया है।

यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अन्तर्गत आता है।

108. जब कोई व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त है, तब उन परिस्थितियों के अस्तित्व को साबित करने का भार, जो उस मामले को भारतीय न्याय संहिता, 2023 के साधारण अपवादों में से किसी के अन्तर्गत या उक्त संहिता के किसी अन्य भाग में, या उस अपराध की परिभाषा करने वाली किसी विधि में, अन्तर्विष्ट किसी विशेष अपवाद या परन्तुक के अन्तर्गत कर देती है, उस व्यक्ति पर है और न्यायालय ऐसी परिस्थितियों के अभाव की उपधारणा करेगा।

2023 का 45

दृष्टांत

(क) हत्या का अभियुक्त **क**, यह अभिकथन करता है कि वह चित्त-विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति को नहीं जानता था। सबूत का भार **क** पर है।

(ख) हत्या का अभियुक्त **क**, यह अभिकथन करता है कि वह गम्भीर और अचानक प्रकोपन के कारण आत्मनियंत्रण की शक्ति से वंचित हो गया था। सबूत का भार **क** पर है।

(ग) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 117 उपबन्ध करती है कि जो कोई, उस दशा के सिवाय, जिसके लिए धारा 122 की उपधारा (2) में उपबंध है, स्वेच्छया घोर उपहति करेगा, वह अमुक दण्डों से दण्डनीय होगा। धारा 117 के अधीन **क** पर स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने का आरोप है। इस मामले को धारा 122 की उपधारा (2) के अधीन लाने वाली परिस्थितियों को साबित करने का भार **क** पर है।

2023 का 45

विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार।

109. जब कोई तथ्य विशेषतः किसी व्यक्ति को ज्ञात है, तब उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर है।

दृष्टांत

(क) जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को उस आशय से भिन्न किसी आशय से करता

है, जिसे उस कार्य का स्वरूप और परिस्थितियाँ इंगित करती हैं, तब उस आशय को साबित करने का भार उस पर है।

(ख) ख पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है। यह साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था उस पर है।

110. जब प्रश्न यह है कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया है, और यह दर्शित किया गया है कि वह तीस वर्ष के भीतर जीवित था, तब यह साबित करने का भार कि वह मर गया है उस व्यक्ति पर है, जो उसे अभिपुष्ट करता है।

111. जब प्रश्न यह है कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया है, और यह साबित किया गया है कि उसके बारे में सात वर्ष से उन्होंने कुछ नहीं सुना है, जिन्होंने उसके बारे में यदि वह जीवित होता तो स्वभावतः सुना होता, तब यह साबित करने का भार कि वह जीवित है उस व्यक्ति पर चला जाता है, जो उसे अभिपुष्ट करता है।

112. जब प्रश्न यह है कि क्या कोई व्यक्ति भागीदार, भू-स्वामी और किराएदार या मालिक और अभिकर्ता है, तथा यह दर्शित कर दिया गया है कि वे इस रूप में कार्य करते रहे हैं, तब यह साबित करने का भार कि क्रमशः इन सम्बन्धों में वे परस्पर अवस्थित नहीं हैं या अवस्थित नहीं रह गए हैं, उस व्यक्ति पर है, जो उसे अभिपुष्ट करता है।

113. जब प्रश्न यह है कि क्या कोई व्यक्ति ऐसी किसी चीज का स्वामी है जिस पर उसका कब्जा होना दर्शित किया गया है, तब यह साबित करने का भार कि वह स्वामी नहीं है, उस व्यक्ति पर है, जो अभिपुष्ट करता है कि वह स्वामी नहीं है।

114. जहां उन पक्षकारों के बीच के संव्यवहार के सद्भाव के बारे में प्रश्न है, जिनमें वे एक-दूसरे के प्रति सक्रिय विश्वास की स्थिति में हैं, वहां उस संव्यवहार के सद्भाव को साबित करने का भार उस पक्षकार पर है जो सक्रिय विश्वास की स्थिति में है।

दृष्टांत

(क) मुवक्किल द्वारा अधिवक्ता के पक्ष में किए गए विक्रय का सद्भाव मुवक्किल द्वारा लाए गए वाद में प्रश्नगत है। संव्यवहार का सद्भाव साबित करने का भार अधिवक्ता पर है।

(ख) पुत्र द्वारा, जो कि हाल ही में वयस्क हुआ है, पिता को किए गए किसी विक्रय का सद्भाव पुत्र द्वारा लाए गए वाद में प्रश्नगत है। संव्यवहार के सद्भाव को साबित करने का भार पिता पर है।

115. (1) जहां कोई व्यक्ति, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट ऐसे किसी अपराध के किए जाने का अभियुक्त है,—

(क) ऐसे किसी क्षेत्र में, जिसे उपद्रव को दबाने के लिए और लोक व्यवस्था की बहाली और उसे बनाए रखने के लिए उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के अधीन विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया गया है; या

उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका तीस वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है।

यह साबित करने का भार कि वह व्यक्ति, जिसके बारे में सात वर्ष से कुछ सुना नहीं गया है, जीवित है।

भागीदारों, भू-स्वामी और किराएदार, मालिक और अभिकर्ता के मामलों में सबूत का भार।

स्वामित्व के बारे में सबूत का भार।

उन संव्यवहारों में सद्भाव का साबित किया जाना जहां एक पक्षकार का संबंध सक्रिय विश्वास का है।

कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा।

(ख) ऐसे किसी क्षेत्र में, जिसमें एक मास से अधिक की अवधि के लिए लोक शांति में व्यापक विघ्न रहा है,

और यह दर्शित किया जाता है कि ऐसा व्यक्ति ऐसे क्षेत्र में किसी स्थान पर ऐसे समय पर था जब ऐसे किसी सशस्त्र बल या बलों के, जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का भार सौंपा गया है, ऐसे सदस्यों पर जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, आक्रमण करने के लिए या उनका प्रतिरोध करने के लिए उस स्थान पर या उस स्थान से अग्न्यायुधों या विस्फोटकों का प्रयोग किया गया था, वहां जब तक प्रतिकूल दर्शित नहीं किया जाता है यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपराध निम्नलिखित हैं, अर्थात् :—

(क) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 147, धारा 148, धारा 149 या धारा 150 के अधीन कोई अपराध ; 2023 का 45

(ख) आपराधिक षड्यंत्र या भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 149 या धारा 150 के अधीन कोई अपराध करने का प्रयत्न या उसका दुष्प्रेरण। 2023 का 45

विवाहित स्थिति के दौरान जन्म होना धर्मजत्व का निश्चायक सबूत है।

116. यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का जन्म उसकी माता और किसी पुरुष के बीच विधिमान्य विवाह के कायम रहते हुए, या उसका विघटन होने के पश्चात् माता के अविवाहित रहते हुए दो सौ अस्सी दिन के भीतर हुआ था, इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि वह उस पुरुष का धर्मज शिशु है, जब तक यह दर्शित न किया जा सके कि विवाह के पक्षकारों की परस्पर पहुंच ऐसे किसी समय नहीं थी कि जब उसका गर्भाधान किया जा सकता था।

किसी विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा।

117. जब प्रश्न यह है कि किसी महिला द्वारा आत्महत्या करना उसके पति या उसके पति के किसी नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित किया गया है और यह दर्शित किया गया है कि उसने अपने विवाह की तारीख से सात वर्ष की अवधि के भीतर आत्महत्या की थी और यह कि उसके पति या उसके पति के ऐसे नातेदार ने उसके प्रति क्रूरता की थी, तो न्यायालय मामले की सभी अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह उपधारणा कर सकेगा कि ऐसी आत्महत्या उसके पति या उसके पति के ऐसे नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित की गई थी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “क्रूरता” का वही अर्थ है, जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 86 में उसका है।

2023 का 45

दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा।

118. जब प्रश्न यह है कि क्या किसी व्यक्ति ने किसी महिला की दहेज मृत्यु कारित की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के तुरन्त पहले ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मांग के लिए, या उसके संबंध में उस महिला के साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया था तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “दहेज मृत्यु” का वही अर्थ है जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 80 में उसका है।

2023 का 45

न्यायालय कतिपय तथ्यों का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा।

119. (1) न्यायालय ऐसे किसी तथ्य का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा जिसका घटित होना उस विशिष्ट मामले के तथ्यों के संबंध में प्राकृतिक घटनाओं, मानवीय आचरण तथा लोक और प्राइवेट कारबार के साधारण अनुक्रम को ध्यान में रखते हुए वह सम्भाव्य समझता है।

दृष्टांत

न्यायालय उपधारित कर सकेगा कि—

(क) चुराए हुए माल पर, जिस मनुष्य का चोरी के शीघ्र उपरान्त कब्जा है, जब तक कि वह अपने कब्जे का कारण न बता सके, या तो वह चोर है या उसने माल को चुराया हुआ जानते हुए प्राप्त किया है ;

(ख) सह-अपराधी विश्वसनीयता के अयोग्य है, जब तक तात्त्विक विशिष्टियों में उसकी सम्पुष्टि नहीं होती ;

(ग) कोई स्वीकृत या पृष्ठांकित विनिमयपत्र समुचित प्रतिफल के लिए स्वीकृत या पृष्ठांकित किया गया था ;

(घ) ऐसी कोई चीज या चीजों की दशा अब भी अस्तित्व में है, जिसका उतनी कालावधि से जितनी में ऐसी चीजें या चीजों की दशाएं प्रायः विद्यमान नहीं रह जाती हैं, लघुतर कालावधि में अस्तित्व में होना दर्शित किया गया है ;

(ङ) न्यायिक और पदीय कार्य नियमित रूप से संपादित किए गए हैं ;

(च) विशिष्ट मामलों में कारबार के साधारण अनुक्रम का अनुसरण किया गया है ;

(छ) यदि वह साक्ष्य जो प्रस्तुत किया जा सकता था और प्रस्तुत नहीं किया गया है, प्रस्तुत किया जाता, तो उस व्यक्ति के प्रतिकूल होता, जिसने उसे रोक रखा है ;

(ज) यदि कोई मनुष्य ऐसे किसी प्रश्न का उत्तर देने से इंकार करता है, जिसका उत्तर देने के लिए वह विधि द्वारा विवश नहीं है, तो उत्तर, यदि वह दिया जाता, उसके प्रतिकूल होता ;

(झ) जब किसी बाध्यता का सृजन करने वाला दस्तावेज बाध्यताधारी के हाथ में है, तब उस बाध्यता का उन्मोचन हो चुका है ।

(2) न्यायालय यह विचार करने में कि क्या ऐसे सूत्र उसके समक्ष के विशिष्ट मामले को लागू होते हैं या नहीं, निम्नलिखित प्रकार के तथ्यों का भी ध्यान रखेगा,—

(i) **दृष्टांत (क)** के बारे में — किसी दुकानदार के पास उसके गल्ले में कोई चिह्नित रुपया उसके चुराए जाने के शीघ्र पश्चात् है, और वह उसके कब्जे का कारण विनिर्दिष्टतः नहीं बता सकता, किन्तु अपने कारबार के अनुक्रम में वह रुपया लगातार प्राप्त कर रहा है;

(ii) **दृष्टांत (ख)** के बारे में — एक अत्यन्त ऊंचे शील का व्यक्ति, **क** किसी मशीनरी को ठीक-ठीक लगाने में किसी उपेक्षापूर्वक कार्य द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए विचारित है । वैसा ही अच्छे शील का व्यक्ति **ख**, जिसने मशीनरी लगाने के उस काम में भाग लिया था, ब्यौरेवार वर्णन करता है कि क्या-क्या किया गया था, और **क** की और स्वयं अपनी असावधानी स्वीकृत और स्पष्ट करता है;

(iii) **दृष्टांत (ख)** के बारे में — कोई अपराध कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है । अपराधियों में से तीन **क**, **ख** और **ग** घटनास्थल पर पकड़े जाते हैं और एक-दूसरे से अलग रखे जाते हैं । अपराध का विवरण उनमें से प्रत्येक ऐसा देता है जो **घ** को फंसाता है और ये विवरण एक-दूसरे को किसी ऐसी रीति में सम्पुष्ट करते हैं, जिससे उनमें यह अति अनधिसम्भाव्य हो जाता है कि उन्होंने इसके पूर्व मिलकर

कोई योजना बनाई थी ;

(iv) दृष्टांत (ग) के बारे में — किसी विनियमपत्र का लेखीवाल, क व्यापारी था । प्रतिग्रहीता ख पूर्णतः क के असर के अधीन एक युवक और नासमझ व्यक्ति था;

(v) दृष्टांत (घ) के बारे में — यह साबित किया गया है कि कोई नदी अमुक मार्ग में पांच वर्ष पूर्व बहती थी, किन्तु यह ज्ञात है कि उस समय से ऐसी बाढ़ें आई हैं जो उसके मार्ग को परिवर्तित कर सकती थीं;

(vi) दृष्टांत (ङ) के बारे में — कोई न्यायिक कार्य, जिसकी नियमितता प्रश्नगत है, असाधारण परिस्थितियों में किया गया था;

(vii) दृष्टांत (च) के बारे में — प्रश्न यह है कि क्या कोई पत्र प्राप्त हुआ था । उसका डाक में डाला जाना दर्शित किया गया है, किन्तु डाक के सामान्य अनुक्रम में उपद्रवों के कारण विघ्न पड़ा था;

(viii) दृष्टांत (छ) के बारे में — कोई मनुष्य किसी ऐसे दस्तावेज को प्रस्तुत करने से इंकार करता है जिसका असर किसी अल्प महत्व की ऐसी संविदा पर पड़ता है, जिसके आधार पर उसके विरुद्ध वाद लाया गया है, किन्तु जो उसके कुटुम्ब की भावनाओं और ख्याति को भी क्षति पहुंचा सकती है;

(ix) दृष्टांत (ज) के बारे में — कोई मनुष्य किसी प्रश्न का उत्तर देने से इंकार करता है जिसका उत्तर देने के लिए वह विधि द्वारा विवश नहीं है, किन्तु उसका उत्तर उसे उस विषय से असंबंधित विषयों में हानि पहुंचा सकता है, जिसके संबंध में वह पूछा गया है;

(x) दृष्टांत (झ) के बारे में - कोई बन्धपत्र बाध्यताधारी के कब्जे में है, किन्तु मामले की परिस्थितियां ऐसी हैं कि हो सकता है कि उसने उसे चुराया हो ।

बलात्संग के लिए
कतिपय
अभियोजन में
सम्मति के न
होने की
उपधारणा ।

120. भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64 की उपधारा (2) के अधीन बलात्संग के लिए किसी अभियोजन में, जहां अभियुक्त द्वारा मैथुन किया जाना साबित हो जाता है और प्रश्न यह है कि क्या वह उस महिला की, जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उससे बलात्संग किया गया है, सम्मति के बिना किया गया था और ऐसी महिला न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में यह कथन करती है कि उसने सम्मति नहीं दी थी, वहां न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी ।

2023 का 45

स्पष्टीकरण—इस धारा में, “मैथुन” से भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 63 में वर्णित कोई कार्य अभिप्रेत होगा ।

2023 का 45

अध्याय 8

विबन्ध

विबन्ध ।

121. जब एक व्यक्ति ने अपनी घोषणा, कार्य या लोप द्वारा अन्य व्यक्ति को विश्वास साशय कराया है या कर लेने दिया है कि कोई बात सत्य है और ऐसे विश्वास पर कार्य कराया या करने दिया है, तब न तो उसे और न उसके प्रतिनिधि को अपने और ऐसे व्यक्ति के, या उसके प्रतिनिधि के बीच किसी वाद या कार्यवाही में उस वाद की सत्यता को इंकार करने दिया जाएगा ।

दृष्टांत

क साशय और मिथ्या रूप से ख को यह विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है कि अमुक भूमि क की है, और उसके द्वारा ख को उसे क्रय करने और उसका मूल्य चुकाने

के लिए उत्प्रेरित करता है। तत्पश्चात् भूमि क की संपत्ति हो जाती है, और क इस आधार पर कि विक्रय के समय उसका उसमें हक नहीं था विक्रय अपास्त करने की वांछा करता है। उसे अपने हक का अभाव साबित नहीं करने दिया जाएगा।

122. अचल संपत्ति के किसी भी किराएदार को या ऐसे किराएदार से व्युत्पन्न अधिकार से दावा करने वाले व्यक्ति को, ऐसी किराएदारी के चालू रहते हुए या उसके पश्चात् किसी भी समय, इसका इंकार नहीं करने दिया जाएगा कि ऐसे किराएदार के भू-स्वामी का ऐसी अचल संपत्ति पर, उस किराएदारी के आरम्भ पर हक था तथा किसी भी व्यक्ति को, जो किसी अचल संपत्ति पर उस पर कब्जाधारी व्यक्ति की अनुज्ञप्ति द्वारा आया है, इसका इंकार नहीं करने दिया जाएगा कि ऐसे व्यक्ति को उस समय, जब ऐसी अनुज्ञप्ति दी गई थी, ऐसे कब्जे का हक था।

किराएदार का और कब्जाधारी व्यक्ति के अनुज्ञप्तिधारी का विबन्ध।

123. किसी विनियम-पत्र के प्रतिग्रहीता को इसका इंकार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी कि लेखीवाल को ऐसा विनियमपत्र लिखने या उसे पृष्ठांकित करने का प्राधिकार था, और न किसी उपनिहिती या अनुज्ञप्तिधारी को इसका इंकार करने दिया जाएगा कि उपनिधाता या अनुज्ञापक को उस समय, जब ऐसा उपनिधान या अनुज्ञप्ति आरम्भ हुई, ऐसे उपनिधान करने या अनुज्ञप्ति अनुदान करने का प्राधिकार था।

विनियम-पत्र के प्रतिग्रहीता, उपनिहिती या अनुज्ञप्तिधारी का विबन्ध।

स्पष्टीकरण 1—किसी विनियमपत्र का प्रतिग्रहीता इसका इंकार कर सकेगा कि विनियमपत्र वास्तव में उस व्यक्ति द्वारा लिखा गया था जिसके द्वारा लिखा गया वह तात्पर्यित है।

स्पष्टीकरण 2—यदि कोई उपनिहिती, उपनिहित माल, उपनिधाता से अन्य किसी व्यक्ति को परिदत्त करता है, तो वह साबित कर सकेगा कि ऐसे व्यक्ति का उस पर उपनिधाता के विरुद्ध अधिकार था।

अध्याय 9

साक्षियों के विषय में

124. सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होंगे, जब तक कि न्यायालय का यह विचार न हो कि अल्पवयस्क, अत्यधिक वृद्धावस्था, शरीर के या मन के रोग या इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से वे उनसे किए गए प्रश्नों को समझने से या उन प्रश्नों के युक्तिसंगत उत्तर देने से निवारित हैं।

कौन साक्ष्य दे सकेगा।

स्पष्टीकरण—कोई विकृतचित्त व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए अक्षम नहीं है, जब तक वह अपनी चित्त-विकृति के कारण उससे किए गए प्रश्नों को समझने से या उनके युक्तिसंगत उत्तर देने से निवारित न हो।

125. ऐसा कोई साक्षी, जो बोलने में असमर्थ है, ऐसी किसी अन्य रीति में, जिसमें वह उसे बोधगम्य बना सकता है जैसे कि लिखकर या संकेत चिहनों द्वारा, अपना साक्ष्य दे सकेगा; किंतु ऐसा लेखन और संकेत चिह्न खुले न्यायालय में लिखे और किए जाने चाहिए तथा इस प्रकार दिया गया साक्ष्य मौखिक साक्ष्य माना जाएगा :

साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ होना।

परंतु यदि साक्षी मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ है तो न्यायालय कथन अभिलिखित करने में किसी द्वािभाषिण या विशेष शिक्षक की सहायता लेगा, और ऐसे कथन की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी।

126. (1) सभी सिविल कार्यवाहियों में वाद के पक्षकार और वाद के किसी पक्षकार का पति या पत्नी सक्षम साक्षी होंगे।

कतिपय मामलों में पति और पत्नी की साक्षी के रूप में सक्षमता।

(2) किसी व्यक्ति के विरुद्ध दांडिक कार्यवाहियों में, ऐसे व्यक्ति का क्रमशः पति या पत्नी सक्षम साक्षी होगा।

न्यायाधीश और
मजिस्ट्रेट ।

127. कोई भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट, न्यायालय में ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के नाते अपने स्वयं के आचरण के बारे में, या ऐसी किसी बात के बारे में, जिसका ज्ञान उसे ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के नाते न्यायालय में हुआ, किन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ऐसे किसी भी न्यायालय के विशेष आदेश के सिवाय, जिसके वह अधीनस्थ है, विवश नहीं किया जाएगा, किन्तु अन्य बातों के बारे में, जो उसकी उपस्थिति में उस समय घटित हुई थीं, जब वह ऐसे कार्य कर रहा था उसकी परीक्षा की जा सकेगी ।

दृष्टांत

(क) सेशन न्यायालय के समक्ष अपने विचारण में **क** कहता है कि मजिस्ट्रेट **ख** द्वारा अभिसाक्ष्य अनुचित रूप से लिया गया था । इसके बारे में प्रश्नों का उत्तर देने के लिए **क** को किसी वरिष्ठ न्यायालय के विशेष आदेश के सिवाय, विवश नहीं किया जा सकता ।

(ख) मजिस्ट्रेट **ख** के समक्ष मिथ्या साक्ष्य देने का **क** सेशन न्यायालय के समक्ष अभियुक्त है । वरिष्ठ न्यायालय के विशेष आदेश के सिवाय, **ख** से यह नहीं पूछा जा सकता कि **क** ने क्या कहा था ।

(ग) **क** सेशन न्यायालय के समक्ष इसलिए अभियुक्त है कि उसने सेशन न्यायाधीश **ख** के समक्ष विचारित होते समय किसी पुलिस अधिकारी की हत्या करने का प्रयत्न किया । **ख** की यह परीक्षा की जा सकेगी कि क्या घटित हुआ था ।

विवाहित स्थिति
के दौरान की गई
संसूचनाएं ।

128. कोई भी व्यक्ति, जो विवाहित है या जो विवाहित रह चुका है, किसी संसूचना को, जो किसी व्यक्ति द्वारा, जिससे वह विवाहित है या रह चुका है, विवाहित स्थिति के दौरान में उसे दी गई थी, प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, और न ही उसे किसी ऐसी संसूचना को प्रकट करने की अनुमति दी जाएगी, जब तक वह व्यक्ति, जिसने वह संसूचना दी है या उसका हितप्रतिनिधि सम्मत न हो, सिवाय उन वादों में, जो विवाहित व्यक्तियों के बीच हों, या उन कार्यवाहियों में, जिनमें एक विवाहित व्यक्ति दूसरे के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के लिए अभियोजित है ।

राज्य के
कार्यकलापों के
बारे में साक्ष्य ।

129. कोई भी व्यक्ति राज्य के किन्हीं भी कार्यकलापों से संबंधित अप्रकाशित शासकीय अभिलेखों से व्युत्पन्न कोई भी साक्ष्य देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, सिवाय संबद्ध विभाग के प्रमुख अधिकारी की अनुमति के, जो ऐसी अनुमति देगा या उसे विधायित करेगा, जैसा करना वह ठीक समझे ।

शासकीय
संसूचनाएं ।

130. कोई भी लोक अधिकारी उसे शासकीय विश्वास में दी हुई संसूचनाओं को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, जब वह समझता है कि उस प्रकटन से लोक हित की हानि होगी ।

अपराधों के करने
के बारे में
सूचना ।

131. कोई भी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी यह कहने के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि किसी अपराध के किए जाने के बारे में उसे कोई सूचना कब मिली और किसी भी राजस्व अधिकारी को यह कहने के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि उसे लोक राजस्व के विरुद्ध किसी अपराध के किए जाने के बारे में कोई सूचना कब मिली ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में “राजस्व अधिकारी” से लोक राजस्व की किसी शाखा के कारबार में या उसके बारे में नियोजित अधिकारी अभिप्रेत है ।

वृत्तिक संसूचनाएं ।

132. (1) कोई भी अधिवक्ता अपने मुवक्किल की अभिव्यक्त सम्मति के सिवाय, ऐसी किसी संसूचना को प्रकट करने के लिए, जो उसके ऐसे अधिवक्ता की हैसियत में सेवा के अनुक्रम में और उसके प्रयोजन के लिए उसके मुवक्किल द्वारा, या उसकी ओर से उसे दी गई है या किसी दस्तावेज की, जिससे वह अपनी वृत्तिक सेवा के अनुक्रम में

और उसके प्रयोजन के लिए परिचित हो गया है, अन्तर्वस्तु या दशा कथित करने को या किसी सलाह को, जो ऐसी सेवा के अनुक्रम में और उसके प्रयोजन के लिए उसने अपने मुवक्किल को दी है, प्रकट करने के लिए किसी भी समय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परन्तु इस धारा की कोई भी बात निम्नलिखित बात को प्रकटीकरण से संरक्षण नहीं देगी—

(क) किसी भी अवैध प्रयोजन को अग्रसर करने में दी गई कोई भी ऐसी संसूचना ;

(ख) ऐसा कोई भी तथ्य जो किसी अधिवक्ता ने अपनी ऐसी हैसियत में सेवा के अनुक्रम में अवलोकन किया हो, और जिससे दर्शित हो कि उसकी सेवा के प्रारम्भ के पश्चात् कोई अपराध या कपट किया गया है ।

(2) यह तत्त्वहीन है कि उपधारा (1) के परंतुक में निर्दिष्ट ऐसे अधिवक्ता का ध्यान ऐसे तथ्य के प्रति उसके मुवक्किल के द्वारा या उसकी ओर से आकर्षित किया गया था या नहीं ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में कथित बाध्यता वृत्तिक सेवा के समाप्त हो जाने के पश्चात् भी बनी रहती है ।

दृष्टांत

(क) मुवक्किल **क**, अधिवक्ता **ख** से कहता है, “मैंने कूटरचना की है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी प्रतिरक्षा करें” । यह संसूचना प्रकटन से संरक्षित है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की प्रतिरक्षा करना आपराधिक प्रयोजन नहीं है, जिसका दोषी होना ज्ञात हो ।

(ख) मुवक्किल **क**, अधिवक्ता **ख** से कहता है, “मैं संपत्ति पर कब्जा कूटरचित विलेख के उपयोग द्वारा अभिप्राप्त करना चाहता हूँ और इस आधार पर वाद लाने की मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ” । यह संसूचना आपराधिक प्रयोजन को अग्रसर करने में की गई होने से प्रकटन से संरक्षित नहीं है ।

(ग) **क** पर गबन का आरोप लगाए जाने पर वह अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए अधिवक्ता **ख** को रखता है । कार्यवाहियों के अनुक्रम में **ख** देखता है कि **क** की लेखाबही में यह प्रविष्टि की गई है कि **क** द्वारा उतनी रकम देनी है, जितनी के बारे में अभिकथित है कि उसका गबन किया गया है, जो प्रविष्टि उसकी वृत्तिक सेवा के आरम्भ के समय उस बही में नहीं थी । यह **ख** द्वारा अपनी सेवा के अनुक्रम में अवलोकित ऐसा तथ्य होने के कारण, जिससे दर्शित होता है कि कपट उस कार्यवाही के प्रारम्भ होने के पश्चात् किया गया है, प्रकटन से संरक्षित नहीं है ।

(3) इस धारा के उपबंध अधिवक्ताओं के निर्वचनकर्ताओं और लिपिकों या कर्मचारियों को लागू होंगे ।

133. यदि किसी वाद का कोई पक्षकार स्वप्रेरणा से ही या अन्यथा उसमें साक्ष्य देता है तो यह नहीं समझा जाएगा कि उसने ऐसे प्रकटन के लिए, जैसा धारा 132 में वर्णित है, सम्मति दे दी है, और यदि किसी वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार ऐसे किसी अधिवक्ता को साक्षी के रूप में बुलाता है, तो यह कि उसने ऐसे प्रकटन के लिए अपनी सम्मति दे दी है, केवल तभी समझा जाएगा, जब वह ऐसे अधिवक्ता से उन बातों के बारे में प्रश्न करे, जिनके प्रकटन के लिए वह ऐसे प्रश्नों के अभाव में स्वतंत्र नहीं होता ।

स्वेच्छया साक्ष्य देने से विशेषाधिकार का अभित्यक्त नहीं होना ।

विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचना ।

134. कोई भी व्यक्ति किसी गोपनीय संसूचना को, जो उसके और उसके विधि सलाहकार के बीच हुई है, न्यायालय को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह अपने को साक्षी के तौर पर प्रस्तुत न कर दे; ऐसे प्रस्तुत करने की दशा में किन्हीं भी ऐसी संसूचनाओं को जो उसने दी हैं, जिन्हें उस किसी साक्ष्य को स्पष्ट करने के लिए जानना, न्यायालय को आवश्यक प्रतीत हो, प्रकट करने के लिए विवश किया जा सकेगा किन्तु किन्हीं भी अन्य संसूचनाओं को नहीं ।

जो साक्षी पक्षकार नहीं है उसके हक विलेखों को प्रस्तुत किया जाना ।

135. कोई भी साक्षी, जो वाद का पक्षकार नहीं है, किसी संपत्ति सम्बन्धी अपने हक विलेखों को, या किसी ऐसी दस्तावेज को, जिसके बल पर वह गिरवीदार या बन्धकदार के रूप में कोई संपत्ति धारण करता है, या किसी दस्तावेज को, जिसका प्रस्तुतीकरण उसे अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखता है, प्रस्तुत करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसने ऐसे विलेखों के प्रस्तुतीकरण की वांछा रखने वाले व्यक्ति के साथ, या ऐसे किसी व्यक्ति के साथ जिससे व्युत्पन्न अधिकार से वह व्यक्ति दावा करता है, उन्हें प्रस्तुत करने का लिखित करार न कर लिया हो ।

ऐसे दस्तावेजों या इलैक्ट्रॉनिक अभिलेखों का प्रस्तुत किया जाना, जिन्हें कोई दूसरा व्यक्ति, जिसका उन पर कब्जा है, प्रस्तुत करने से इंकार कर सकता था ।

136. कोई भी व्यक्ति, अपने कब्जे में के ऐसे दस्तावेजों या अपने नियंत्रण वाले इलैक्ट्रॉनिक अभिलेखों को प्रस्तुत करने के लिए जिनको प्रस्तुत करने के लिए कोई अन्य व्यक्ति, यदि वे उसके कब्जे या नियंत्रण में होते, प्रस्तुत करने से इंकार करने का हकदार होता, विवश नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसा अन्तिम वर्णित व्यक्ति उन्हें प्रस्तुत करने के लिए सहमति नहीं देता ।

इस आधार पर कि उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा, साक्षी उत्तर देने से क्षम्य नहीं होगा ।

137. कोई साक्षी किसी वाद या किसी सिविल या दाण्डिक कार्यवाही में विवादयक विषय से सुसंगत किसी विषय के बारे में किए गए किसी प्रश्न का उत्तर देने से इस आधार पर क्षम्य नहीं होगा कि ऐसे प्रश्न का उत्तर ऐसे साक्षी को अपराध में फंसाएगा या उसकी प्रवृत्ति प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अपराध में फंसाने की होगी या वह ऐसे साक्षी को किसी प्रकार की शास्ति या जब्ती के लिए अनावृत करेगा या इसकी प्रवृत्ति प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अनावृत करने की होगी :

परन्तु ऐसा कोई भी उत्तर, जिसे देने के लिए कोई साक्षी विवश किया जाएगा, वह गिरफ्तारी या अभियोजन के अध्यधीन नहीं होगा और न ऐसे उत्तर द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अभियोजन के सिवाय वह उसके विरुद्ध किसी दाण्डिक कार्यवाही में साबित किया जाएगा ।

सह-अपराधी ।

138. सह-अपराधी, किसी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा, और कोई दोषसिद्धि इसलिए अवैध नहीं है यदि वह किसी सह-अपराधी के सम्पुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर की गई है ।

साक्षियों की संख्या ।

139. किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होगी ।

अध्याय 10

साक्षियों की परीक्षा के विषय में

साक्षियों को प्रस्तुत करने और उनकी परीक्षा का क्रम ।

140. साक्षियों को प्रस्तुत करने और उनकी परीक्षा का क्रम, क्रमशः सिविल और दण्ड प्रक्रिया से तत्समय संबंधित विधि और पद्धति द्वारा, तथा ऐसी किसी विधि के अभाव में न्यायालय के विवेक द्वारा विनियमित होगा ।

141. (1) जब दोनों में से कोई पक्षकार किसी तथ्य का साक्ष्य देने की प्रस्थापना करता है, तब न्यायाधीश साक्ष्य देने की प्रस्थापना करने वाले पक्षकार से पूछ सकेगा कि अभिकथित तथ्य, यदि वह साबित हो जाए, किस प्रकार सुसंगत होगा और यदि न्यायाधीश यह समझता है कि वह तथ्य यदि साबित हो गया तो सुसंगत होगा, तो वह उस साक्ष्य को ग्रहण करेगा, अन्यथा नहीं।

(2) यदि वह तथ्य, जिसका साबित करना प्रस्थापित है, ऐसा है जिसका साक्ष्य किसी अन्य तथ्य के साबित होने पर ही ग्राह्य होता है, तो ऐसा अन्तिम वर्णित तथ्य प्रथम वर्णित तथ्य का साक्ष्य दिए जाने के पूर्व साबित करना होगा, जब तक कि पक्षकार ऐसे तथ्य को साबित करने का वचन न दे और न्यायालय ऐसे वचन से संतुष्ट न हो जाए।

(3) यदि एक अभिकथित तथ्य की सुसंगति अन्य अभिकथित तथ्य के प्रथम साबित होने पर निर्भर हो, तो न्यायाधीश अपने विवेकानुसार या तो दूसरे तथ्य के साबित होने के पूर्व प्रथम तथ्य का साक्ष्य दिया जाना अनुज्ञात कर सकेगा, या प्रथम तथ्य का साक्ष्य दिए जाने के पूर्व द्वितीय तथ्य का साक्ष्य दिए जाने की अपेक्षा कर सकेगा।

दृष्टांत

(क) यह प्रस्थापना की गई है कि किसी व्यक्ति के, जिसका मृत होना अभिकथित है, सुसंगत तथ्य के बारे में कथन को, जो कि धारा 26 के अधीन सुसंगत है, साबित किया जाए। इससे पूर्व कि उस कथन का साक्ष्य दिया जाए उस कथन को साबित करने की प्रस्थापना करने वाले व्यक्ति को यह तथ्य साबित करना होगा कि वह व्यक्ति मर गया है।

(ख) यह प्रस्थापना की गई है कि किसी ऐसे दस्तावेज की अन्तर्वस्तु को, जिसका खो गया होना कथित है, प्रतिलिपि द्वारा साबित किया जाए। यह तथ्य कि मूल खो गया है प्रतिलिपि प्रस्तुत करने की प्रस्थापना करने वाले व्यक्ति को वह प्रतिलिपि प्रस्तुत करने से पूर्व साबित करना होगा।

(ग) क चुराई हुई संपत्ति को यह जानते हुए कि वह चुराई हुई है, प्राप्त करने का अभियुक्त है। यह साबित करने की प्रस्थापना की गई है कि उसने उस संपत्ति के कब्जे का इंकार किया। इस इंकार की सुसंगति संपत्ति की पहचान पर निर्भर है। न्यायालय अपने विवेकानुसार या तो कब्जे के इंकार के साबित होने से पूर्व संपत्ति की पहचान की जानी अपेक्षित कर सकेगा, या संपत्ति की पहचान किए जाने के पूर्व कब्जे के इंकार को साबित किए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(घ) किसी तथ्य क के, जिसका किसी विवादक तथ्य का हेतुक या परिणाम होना कथित है, साबित करने की प्रस्थापना की गई है। कई मध्यान्तरिक तथ्य ख, ग और घ हैं, जिनका, इससे पूर्व कि तथ्य क उस विवादक तथ्य का हेतुक या परिणाम माना जा सके, अस्तित्व में होना दर्शित किया जाना आवश्यक है। न्यायालय या तो ख, ग या घ के साबित किए जाने के पूर्व क के साबित किए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा, या क का साबित किया जाना अनुज्ञात करने के पूर्व ख, ग और घ का साबित किया जाना अपेक्षित कर सकेगा।

142. (1) किसी साक्षी की उस पक्षकार द्वारा परीक्षा, जो उसे बुलाता है, उसकी मुख्य परीक्षा कहलाएगी।

(2) किसी साक्षी की प्रतिपक्षी द्वारा की गई परीक्षा उसकी प्रतिपरीक्षा कहलाएगी।

(3) किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा के पश्चात् उसकी उस पक्षकार द्वारा परीक्षा, जिसने उसे बुलाया था, उसकी पुनःपरीक्षा कहलाएगी।

न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा।

साक्षियों की परीक्षा।

परीक्षाओं का क्रम ।

143. (1) साक्षियों से प्रथमतः मुख्यपरीक्षा होगी, तत्पश्चात् (यदि प्रतिपक्षी ऐसा चाहे तो) प्रतिपरीक्षा होगी, तत्पश्चात् (यदि उसे बुलाने वाला पक्षकार ऐसा चाहे तो) पुनःपरीक्षा होगी ।

(2) मुख्यपरीक्षा और प्रतिपरीक्षा, सुसंगत तथ्यों से संबंधित होनी चाहिए, किन्तु प्रतिपरीक्षा का उन तथ्यों तक सीमित रहना आवश्यक नहीं है, जिनका साक्षी ने अपनी मुख्यपरीक्षा में परिसाक्ष्य दिया है ।

(3) पुनःपरीक्षा उन बातों के स्पष्टीकरण के प्रति निदेशित होगी, जो प्रतिपरीक्षा में निर्दिष्ट हुए हों, और यदि पुनःपरीक्षा में न्यायालय की अनुमति से कोई नई बात प्रविष्ट की गई है, तो प्रतिपक्षी उस बात के बारे में अतिरिक्त प्रतिपरीक्षा कर सकेगा ।

किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए बुलाए गए व्यक्ति की प्रतिपरीक्षा ।

144. किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए समनित व्यक्ति केवल इस तथ्य के कारण कि वह उसे प्रस्तुत करता है साक्षी नहीं हो जाता जब तक कि वह साक्षी के तौर पर बुलाया नहीं जाता, उसकी प्रतिपरीक्षा नहीं की जा सकती ।

शील का साक्ष्य देने वाले साक्षी ।

145. शील का साक्ष्य देने वाले साक्षियों की प्रतिपरीक्षा और पुनःपरीक्षा की जा सकेगी ।

सूचक प्रश्न ।

146. (1) कोई प्रश्न, जो उस उत्तर को सुझाता है, जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है या पाने की आशा करता है, सूचक प्रश्न कहा जाता है ।

(2) सूचक प्रश्न, मुख्यपरीक्षा में या पुनःपरीक्षा में, यदि विरोधी पक्षकार द्वारा आक्षेप किया जाता है, न्यायालय की अनुमति के बिना, नहीं पूछे जाने चाहिए ।

(3) न्यायालय उन बातों के बारे में, जो पुनःस्थापना के रूप में या निर्विवाद हैं या जो उसकी राय में पहले से ही पर्याप्त रूप से साबित हो चुकी हैं, सूचक प्रश्नों के लिए अनुमति देगा ।

(4) सूचक प्रश्न प्रतिपरीक्षा में पूछे जा सकेंगे ।

लेखबद्ध विषयों के बारे में साक्ष्य ।

147. किसी साक्षी से, जब वह परीक्षाधीन है, यह पूछा जा सकेगा कि क्या कोई संविदा, अनुदान या संपत्ति का अन्य व्ययन, जिसके बारे में वह साक्ष्य दे रहा है, किसी दस्तावेज में अन्तर्विष्ट नहीं था, और यदि वह कहता है कि वह था, या यदि वह किसी ऐसे दस्तावेज की अन्तर्वस्तु के बारे में कोई कथन करने ही वाला है, जिसे न्यायालय की राय में, प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तो प्रतिपक्षी आक्षेप कर सकेगा कि ऐसा साक्ष्य तब तक नहीं दिया जाए जब तक ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता, या जब तक वे तथ्य साबित नहीं कर दिए जाते, जो उस पक्षकार को, जिसने साक्षी को बुलाया है, उसका द्वितीयक साक्ष्य देने का हक देते हैं ।

स्पष्टीकरण—कोई साक्षी उन कथनों का, जो दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु के बारे में अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए थे, मौखिक साक्ष्य दे सकेगा, यदि ऐसे कथन स्वयमेव सुसंगत तथ्य हैं ।

दृष्टांत

प्रश्न यह है कि क्या क ने ख पर हमला किया । ग अभिसाक्ष्य देता है कि उसने क को घ से यह कहते सुना है कि “ख ने मुझे एक पत्र लिखा था जिसमें मुझ पर चोरी का अभियोग लगाया था और मैं उससे बदला लूंगा” । यह कथन हमले के लिए क का आशय दर्शित करने वाला होने के नाते सुसंगत है और उसका साक्ष्य दिया जा सकेगा, चाहे पत्र के बारे में कोई अन्य साक्ष्य न भी दिया गया हो ।

148. किसी साक्षी की, उन पूर्व कथनों के बारे में, जो उसने लिखित रूप में किए हैं या जो लेखबद्ध किए गए हैं और जो प्रश्नगत बातों से सुसंगत हैं, ऐसे लेख उसे दिखाए बिना, या ऐसे लेख साबित हुए बिना, प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी ; किन्तु, यदि उस लेख द्वारा उसका खण्डन करने का आशय है तो उस लेख को साबित किए जा सकने के पूर्व उसका ध्यान उस लेख के उन भागों की ओर आकर्षित करना होगा जिनका उपयोग उसका खण्डन करने के प्रयोजन से किया जाना है ।

पूर्व लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षा ।

149. जब किसी साक्षी से प्रतिपरीक्षा की जाती है, तब उससे इसमें इसके पूर्व निर्दिष्ट प्रश्नों के अतिरिक्त ऐसे कोई भी प्रश्न पूछे जा सकेंगे, जिनकी प्रवृत्ति—

प्रतिपरीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न।

(क) उसकी सत्यवादिता परखने की है ; या

(ख) यह पता चलाने की है कि वह कौन है और जीवन में उसकी स्थिति क्या है ; या

(ग) उसके शील को दोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने की है, चाहे ऐसे प्रश्नों का उत्तर उसे प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखता हो, या उसे किसी शास्ति या जब्ती के लिए अनावृत्त करता हो या प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अनावृत्त करने की प्रवृत्ति रखता हो :

2023 का 45

परन्तु भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 69, धारा 70 या धारा 71 के अधीन किसी अपराध के लिए या ऐसे किसी अपराध के किए जाने का प्रयत्न करने के लिए किसी अभियोजन में, जहां सम्मति का प्रश्न विवाद है वहां पीड़िता की प्रतिपरीक्षा में उसके साधारण व्यभिचार या ऐसी पीड़िता के किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव के बारे में ऐसी सम्मति या सम्मति के स्वरूप के लिए साक्ष्य देना या प्रश्नों को पूछने की अनुमति नहीं होगी ।

150. यदि ऐसा कोई प्रश्न उस वाद या कार्यवाही से सुसंगत किसी बात से संबंधित है, तो धारा 137 के उपबन्ध उसको लागू होंगे ।

साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाए ।

151. (1) यदि ऐसा कोई प्रश्न ऐसी बात से संबंधित है, जो उस बात या कार्यवाही से वहां तक के सिवाय, जहां तक कि वह साक्षी के शील को दोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता पर प्रभाव डालती है, सुसंगत नहीं है, तो न्यायालय विनिश्चित करेगा कि साक्षी को उत्तर देने के लिए विवश किया जाए या नहीं और यदि वह ठीक समझे, तो साक्षी को सचेत कर सकेगा कि वह उसका उत्तर देने के लिए आबद्ध नहीं है ।

न्यायालय विनिश्चित करेगा कि कब प्रश्न पूछा जाएगा और साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा ।

(2) अपने विवेक का प्रयोग करने में, न्यायालय निम्नलिखित विचारों को ध्यान में रखेगा, अर्थात् :—

(क) ऐसे प्रश्न उचित हैं, यदि वे ऐसी प्रकृति के हैं कि उनके द्वारा व्यक्त किए गए लांछन की सत्यता उस विषय में, जिसका वह साक्षी परिसाक्ष्य देता है, साक्षी की विश्वसनीयता के बारे में न्यायालय की राय पर गम्भीर प्रभाव डालेगी;

(ख) ऐसे प्रश्न अनुचित हैं, यदि उनके द्वारा व्यक्त किया गया लांछन ऐसी बातों के संबंध में है जो समय में उतनी अतीत हैं या जो इस प्रकार की हैं कि लांछन की सत्यता उस विषय में, जिसका वह साक्षी परिसाक्ष्य देता है, साक्षी की विश्वसनीयता के बारे में न्यायालय की राय पर प्रभाव नहीं डालेगी या बहुत थोड़ी मात्रा में प्रभाव डालेगी;

(ग) ऐसे प्रश्न अनुचित हैं, यदि साक्षी के शील के विरुद्ध किए गए लांछन के महत्व और उसके साक्ष्य के महत्व के बीच भारी विषमता है;

(घ) न्यायालय, यदि वह ठीक समझे, साक्षी के उत्तर देने से इंकार करने पर यह अनुमान लगा सकेगा कि उत्तर यदि दिया जाता, तो प्रतिकूल होता ।

युक्तियुक्त
आधारों के बिना
प्रश्न नहीं पूछा
जाएगा।

152. कोई भी ऐसा प्रश्न, जैसा धारा 151 में निर्दिष्ट है, नहीं पूछा जाना चाहिए, जब तक कि पूछने वाले व्यक्ति के पास यह सोचने के लिए युक्तियुक्त आधार न हों कि ऐसा लांछन, जो वह व्यक्त करता है, सुआधारित है ।

दृष्टांत

(क) किसी अधिवक्ता को किसी दूसरे अधिवक्ता द्वारा अनुदेश दिया गया है कि एक महत्वपूर्ण साक्षी डकैत है । उस साक्षी से यह पूछने के लिए कि क्या वह डकैत है, यह युक्तियुक्त आधार है ।

(ख) किसी अधिवक्ता को न्यायालय में किसी व्यक्ति द्वारा जानकारी दी जाती है कि एक महत्वपूर्ण साक्षी डकैत है । अधिवक्ता द्वारा प्रश्न किए जाने पर जानकारी देने वाला अपने कथन के लिए समाधानप्रद कारण बताता है । उस साक्षी से यह पूछने के लिए कि क्या वह डकैत है, यह युक्तियुक्त आधार है ।

(ग) किसी साक्षी से, जिसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, यादच्छिक यह पूछा जाता है कि क्या वह डकैत है । यहां इस प्रश्न के लिए कोई युक्तियुक्त आधार नहीं है ।

(घ) कोई साक्षी, जिसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, अपने जीवन के ढंग और जीविका के साधनों के बारे में पूछे जाने पर असमाधानप्रद उत्तर देता है । उससे यह पूछने का कि क्या वह डकैत है यह युक्तियुक्त आधार हो सकता है ।

युक्तियुक्त
आधारों के बिना
प्रश्न पूछे जाने की
दशा में न्यायालय
की प्रक्रिया ।

153. यदि न्यायालय की यह राय हो कि ऐसा कोई प्रश्न युक्तियुक्त आधारों के बिना पूछा गया था, तो यदि वह किसी अधिवक्ता द्वारा पूछा गया था, तो वह मामले की परिस्थितियों की उच्च न्यायालय को या अन्य प्राधिकारी को, जिसके अधीन अधिवक्ता अपनी वृत्ति के पालन में है, रिपोर्ट कर सकेगा ।

अशिष्ट और
कलंकात्मक
प्रश्न ।

154. न्यायालय किन्हीं प्रश्नों का या पूछताछों का, जिन्हें वह अशिष्ट या कलंकात्मक समझता है, चाहे ऐसे प्रश्न या पूछताछ न्यायालय के समक्ष प्रश्नों को कुछ प्रभावित करने की प्रवृत्ति रखते हों, निषेध कर सकेगा, जब तक कि वे विवादक तथ्यों के या उन विषयों के संबंध में न हों, जिनका ज्ञात होना यह अवधारित करने के लिए आवश्यक है कि विवादक तथ्य विद्यमान थे या नहीं ।

अपमानित या
क्षुब्ध करने के
लिए आशयित
प्रश्न ।

155. न्यायालय ऐसे प्रश्न का निषेध करेगा, जो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आशयित है, या जो यद्यपि स्वयं में उचित है, तथापि न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि वह अनावश्यक रूप से आपत्तिजनक है ।

सत्यवादिता
परखने के प्रश्नों
के उत्तरों का
खण्डन करने के
लिए साक्ष्य का
अपवर्जन ।

156. किसी साक्षी से ऐसा कोई प्रश्न पूछा गया है, जो जांच से केवल वहीं तक सुसंगत है जहां तक कि वह उसके शील को क्षति पहुंचा कर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने की प्रवृत्ति रखता है, और उसने उसका उत्तर दे दिया हो, तब उसका खण्डन करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया जाएगा; किन्तु यदि वह मिथ्या उत्तर देता है, तो तत्पश्चात् उस पर मिथ्या साक्ष्य देने का आरोप लगाया जा सकेगा ।

अपवाद 1—यदि किसी साक्षी से पूछा जाए कि क्या वह पूर्व में किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध हुआ था और वह उसे इंकार करे, तो उसकी पूर्व दोषसिद्धि का साक्ष्य दिया जा सकेगा ।

अपवाद 2—यदि किसी साक्षी से उसकी निष्पक्षता पर दोषारोपण करने की प्रवृत्ति रखने वाला कोई प्रश्न पूछा जाए और वह सुझाए हुए तथ्यों को इंकार करते हुए उसका उत्तर देता है, तो उसका खण्डन किया जा सकेगा ।

दृष्टांत

(क) किसी अंडरराइटर के विरुद्ध एक दावे का प्रतिरोध कपट के आधार पर किया जाता है। दावेदार से पूछा जाता है कि क्या उसने पिछले किसी संव्यवहार में कपटपूर्ण दावा नहीं किया था। वह इससे इंकार करता है। यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य प्रस्थापित किया जाता है कि उसने ऐसा दावा सचमुच किया था। यह साक्ष्य अग्राह्य है।

(ख) किसी साक्षी से पूछा जाता है कि क्या वह किसी ओहदे से बेईमानी के लिए पदच्युत नहीं किया गया था। वह इससे इंकार करता है। यह दर्शित करने के लिए कि वह बेईमानी के लिए पदच्युत किया गया था साक्ष्य प्रस्थापित किया जाता है। यह साक्ष्य ग्राह्य नहीं है।

(ग) क अभिपुष्ट करता है कि उसने अमुक दिन ख को गोवा में देखा। क से पूछा जाता है कि क्या वह स्वयं उस दिन वाराणसी में नहीं था। वह इससे इंकार करता है। यह दर्शित करने के लिए कि क उस दिन वाराणसी में था साक्ष्य प्रस्थापित किया जाता है। यह साक्ष्य ग्राह्य है, इस नाते नहीं कि वह क का एक तथ्य के बारे में खण्डन करता है जो उसकी विश्वसनीयता पर प्रभाव डालता है, बल्कि इस नाते कि वह इस अभिकथित तथ्य का खण्डन करता है कि ख प्रश्नगत दिन गोवा में देखा गया था। इनमें से प्रत्येक मामले में साक्षी पर, यदि उसका इंकार करना मिथ्या था, मिथ्या साक्ष्य देने का आरोप लगाया जा सकेगा।

(घ) क से पूछा जाता है कि क्या उसके कुटुम्ब और ख के, जिसके विरुद्ध वह साक्ष्य देता है, कुटुम्ब में कुल बैर नहीं रहा था। वह इसे इंकार करता है। उसका खण्डन इस आधार पर किया जा सकेगा कि यह प्रश्न उसकी निष्पक्षता पर दोषारोपण करने की प्रवृत्ति रखता है।

157. (1) न्यायालय उस व्यक्ति को, जो साक्षी को बुलाता है, उस साक्षी से कोई ऐसे प्रश्न करने की अपने विवेकानुसार अनुमति दे सकेगा, जो प्रतिपक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में किए जा सकते हैं।

पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न।

(2) इस धारा की कोई बात, उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार अनुमति दिए गए व्यक्ति को ऐसे साक्ष्य के किसी भाग का अवलंब लेने के हक से वंचित नहीं करेगी।

158. किसी साक्षी की विश्वसनीयता पर प्रतिपक्षी द्वारा, या न्यायालय की सम्मति से उस पक्षकार द्वारा, जिसने उसे बुलाया है, निम्नलिखित प्रकारों से अधिक्षेप किया जा सकेगा—

साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप।

(क) उन व्यक्तियों के साक्ष्य द्वारा, जो यह परिसाक्ष्य देते हैं कि साक्षी के बारे में अपने ज्ञान के आधार पर, वे उसे विश्वसनीयता का अपात्र समझते हैं ;

(ख) इस सबूत द्वारा कि साक्षी को रिश्वत दी गई है या उसने रिश्वत की प्रस्थापना स्वीकार कर ली है या उसे अपना साक्ष्य देने के लिए कोई अन्य भ्रष्ट उत्प्रेरणा मिली है ;

(ग) उसके साक्ष्य के किसी ऐसे भाग से असंगत पिछले कथनों के सबूत द्वारा, जिसका खण्डन किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण—कोई साक्षी जो किसी अन्य साक्षी को विश्वसनीयता के लिए अपात्र घोषित करता है, उससे की गई मुख्य परीक्षा में उसके विश्वास के कारणों को चाहे न बताए, किन्तु प्रतिपरीक्षा में उससे उनके कारणों को पूछा जा सकेगा, और उन उत्तरों का, जिन्हें वह देता है, खण्डन नहीं किया जा सकता, तथापि यदि वे मिथ्या हैं, तो तत्पश्चात् उस पर मिथ्या साक्ष्य देने का आरोप लगाया जा सकेगा।

दृष्टांत

(क) **ख** को बेचे गए और परिदान किए गए माल के मूल्य के लिए **ख** पर **क** वाद लाता है। **ग** कहता है कि उसने **ख** को माल का परिदान किया। यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य प्रस्थापित किया जाता है कि किसी पूर्व अवसर पर उसने कहा था कि उसने उस माल का परिदान **ख** को नहीं किया था। यह साक्ष्य ग्राह्य है।

(ख) **क**, **ख** की हत्या का अभियुक्त है। **ग** कहता है कि **ख** ने मरते समय यह घोषित किया था कि **क** ने **ख** को यह घाव दिया था, जिससे वह मर गया। यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य प्रस्थापित किया जाता है कि किसी पूर्व अवसर पर **ग** ने कहा था कि **ख** ने मृत्यु के समय यह घोषित नहीं किया कि **क** ने **ख** को वह घाव दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हुई। यह साक्ष्य ग्राह्य है।

सुसंगत तथ्य के साक्ष्य की सम्पुष्टि करने की प्रवृत्ति रखने वाले प्रश्न ग्राह्य होंगे।

159. जब कोई साक्षी, जिसकी सम्पुष्टि करना आशयित हो, किसी सुसंगत तथ्य का साक्ष्य देता है, तब उससे ऐसी अन्य किन्हीं भी परिस्थितियों के बारे में प्रश्न किया जा सकेगा, जिन्हें उसने उस समय या स्थान पर, या उसके निकट अवलोकित किया, जिस पर ऐसा सुसंगत तथ्य घटित हुआ, यदि न्यायालय की यह राय हो कि ऐसी परिस्थितियां, यदि वे साबित हो जाएं, साक्षी के उस सुसंगत तथ्य के बारे में, जिसका वह साक्ष्य देता है, परिसाक्ष्य को सम्पुष्ट करेगी।

दृष्टांत

क किसी सह-अपराधी को किसी लूट का वृत्तान्त देता है, जिसमें उसने भाग लिया था, वह लूट से असंबद्ध विभिन्न घटनाओं का वर्णन करता है जो उस स्थान को और जहां कि वह लूट की गई थी, जाते हुए और वहां से आते हुए मार्ग में घटित हुई थी। इन तथ्यों का स्वतंत्र साक्ष्य स्वयं उस लूट के बारे में उसके साक्ष्य को सम्पुष्ट करने के लिए दिया जा सकेगा।

उसी तथ्य के बारे में पश्चात्कर्ती अभिसाक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए साक्षी के पूर्वतन कथन साबित किए जा सकेंगे।

160. किसी साक्षी के परिसाक्ष्य की सम्पुष्टि करने के लिए ऐसे साक्षी द्वारा उसी तथ्य से संबंधित, उस समय पर या उसके लगभग जब वह तथ्य घटित हुआ था, किया हुआ, या उस तथ्य का अन्वेषण करने के लिए विधि द्वारा सक्षम किसी प्राधिकारी के समक्ष किया हुआ कोई पूर्वतन कथन साबित किया जा सकेगा।

साबित कथन के बारे में, जो कथन धारा 26 या धारा 27 के अधीन सुसंगत हैं, कौन सी बातें साबित की जा सकेंगी।

161. जब कभी कोई कथन, जो धारा 26 या धारा 27 के अधीन सुसंगत है, साबित कर दिया जाए, तब चाहे उसके खण्डन के लिए या संपुष्टि के लिए या जिसके द्वारा वह किया गया था उस व्यक्ति की विश्वसनीयता को दोषारोपण या अभिपुष्ट करने के लिए वे सभी बातें साबित की जा सकेंगी, जो यदि वह व्यक्ति साक्षी के रूप में बुलाया गया होता और उसने प्रतिपरीक्षा में सुझाई हुई बात की सत्यता से इंकार किया होता, तो साबित की जा सकेंगी।

स्मृति ताजी करना।

162. (1) कोई साक्षी, जब वह परीक्षा के अधीन है, किसी ऐसे लेख को देख करके, जो कि स्वयं उसने उस संव्यवहार के समय जिसके संबंध में उससे प्रश्न किया जा रहा है, या इतने शीघ्र पश्चात् हो कि न्यायालय इसे संभाव्य समझता हो कि वह संव्यवहार उस समय उसकी स्मृति में ताजा था, अपनी स्मृति को ताजा कर सकेगा :

परंतु साक्षी किसी ऐसे लेख को भी देख सकेगा जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया है और उस साक्षी द्वारा उपर्युक्त समय के भीतर पढ़ा गया है, यदि वह उस लेख का, उस समय जबकि उसने उसे पढ़ा था, सही होना जानता था।

(2) जब कभी कोई साक्षी अपनी स्मृति किसी दस्तावेज को देखने से ताजी कर सकता है, तब वह न्यायालय की अनुज्ञा से, ऐसे दस्तावेज की प्रतिलिपि को देख सकेगा :

परन्तु यह तब जबकि न्यायालय का समाधान हो गया है कि मूल को प्रस्तुत नहीं करने का पर्याप्त कारण है :

परन्तु यह और कि विशेषज्ञ अपनी स्मृति वृत्तिक पुस्तकों को देख कर ताजी कर सकेगा ।

163. कोई साक्षी किसी ऐसे दस्तावेज में वर्णित तथ्यों का भी, जैसा धारा 162 में वर्णित है, चाहे उसे स्वयं उन तथ्यों का विनिर्दिष्ट स्मरण न हो, परिसाक्ष्य दे सकेगा, यदि वह आश्वस्त है कि वे तथ्य उस दस्तावेज में ठीक-ठीक अभिलिखित थे ।

दृष्टांत

कोई लेखाकार कारबार के अनुक्रम में नियमित रूप से रखी जाने वाली बहियों में उसके द्वारा अभिलिखित तथ्यों का परिसाक्ष्य दे सकेगा, यदि वह जानता है कि बहियां ठीक-ठीक रखी गई थीं, यद्यपि वह प्रविष्ट किए गए विशिष्ट संव्यवहारों को भूल गया हो ।

164. पूर्ववर्ती अन्तिम दो धाराओं के उपबन्धों के अधीन निर्दिष्ट किए गए किसी लेख को प्रस्तुत किया जाएगा और प्रतिपक्षी को दिखाया जाएगा, यदि वह उसकी अपेक्षा करे ; ऐसा पक्षकार, यदि वह चाहे तो उस साक्षी से उसके बारे में प्रतिपरीक्षा कर सकेगा ।

165. (1) किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए समन किए गए साक्षी, यदि वह उसके कब्जे में या अधिकार के अधीन हो, ऐसे किसी आक्षेप के होने पर भी, जो उसे प्रस्तुत करने या उसकी ग्राह्यता के बारे में हो, उसे न्यायालय में लाएगा :

परन्तु ऐसे किसी आक्षेप की विधिमान्यता न्यायालय द्वारा विनिश्चित की जाएगी ।

(2) न्यायालय, यदि यह ठीक समझे, तो उस दस्तावेज का निरीक्षण कर सकेगा, यदि वह राज्य की बातों से संबंधित नहीं है, या स्वयं को उसकी ग्राह्यता अवधारित करने में समर्थ बनाने के लिए अन्य साक्ष्य ले सकेगा ।

(3) यदि ऐसे प्रयोजन के लिए किसी दस्तावेज का अनुवाद कराना आवश्यक हो तो न्यायालय, यदि यह ठीक समझे, तो अनुवादक को निदेश दे सकेगा कि वह उसकी अन्तर्वस्तु को गुप्त रखे, सिवाय जबकि दस्तावेज को साक्ष्य में दिया जाना हो ; और यदि अनुवादक ऐसे निदेश की अवज्ञा करे, तो यह धारित किया जाएगा कि उसने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 198 के अधीन अपराध किया है :

परन्तु कोई न्यायालय, मंत्रियों और भारत के राष्ट्रपति के बीच हुई किसी संसूचना को इसके समक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं करेगा ।

166. जब कोई पक्षकार, किसी दस्तावेज को जिसे प्रस्तुत करने का उसने दूसरे पक्षकार को सूचना दी है, मंगाता है और ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है और उस पक्षकार द्वारा, जिसने उसके प्रस्तुत करने की मांग की थी, निरीक्षित हो जाता है, तब यदि उसे प्रस्तुत करने वाला पक्षकार उससे ऐसा करने की अपेक्षा करता है, तो वह उसे साक्ष्य के रूप में देने के लिए आबद्ध होगा ।

167. जब कोई पक्षकार ऐसे किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने से इन्कार कर देता है, जिसे प्रस्तुत करने की उसे सूचना मिल चुकी है, तब वह तत्पश्चात् उस दस्तावेज को दूसरे पक्षकार की सम्मति के या न्यायालय के आदेश के बिना साक्ष्य के रूप में उपयोग में नहीं ला सकेगा ।

धारा 162 में वर्णित दस्तावेज में कथित तथ्यों के लिए परिसाक्ष्य ।

स्मृति ताजी करने के लिए प्रयुक्त लेख के बारे में प्रतिपक्षी का अधिकार ।

दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना ।

मंगाए गए और सूचना पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेज का साक्ष्य के रूप में दिया जाना ।

सूचना पाने पर जिस दस्तावेज के प्रस्तुत करने से इन्कार कर दिया गया है उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाना ।

दृष्टांत

ख पर किसी करार के आधार पर **क** वाद लाता है और वह **ख** को उसे प्रस्तुत करने की सूचना देता है। विचारण में **क** उस दस्तावेज की मांग करता है और **ख** उसे प्रस्तुत करने से इंकार करता है। **क** उसकी अन्तर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य देता है। **क** द्वारा दिए हुए द्वितीयक साक्ष्य का खण्डन करने के लिए या यह दर्शित करने के लिए कि वह करार स्टाम्पित नहीं है, **ख** दस्तावेज को ही प्रस्तुत करना चाहता है। वह ऐसा नहीं कर सकता।

प्रश्न करने या प्रस्तुत करने का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति।

168. न्यायाधीश सुसंगत तथ्यों का पता चलाने के लिए या उनका सबूत अभिप्राप्त करने के लिए, किसी भी रूप में किसी भी समय किसी भी साक्षी या पक्षकारों से किसी भी तथ्य के बारे में कोई भी प्रश्न, जो वह आवश्यक समझे, पूछ सकेगा, तथा किसी भी दस्तावेज या चीज को प्रस्तुत करने का आदेश दे सकेगा; और न तो पक्षकार और न उनके प्रतिनिधि हकदार होंगे कि वह किसी भी ऐसे प्रश्न या आदेश के प्रति कोई भी आक्षेप करें, न ऐसे किसी भी प्रश्न के प्रत्युत्तर में दिए गए किसी भी उत्तर पर किसी भी साक्षी की न्यायालय की अनुमति के बिना प्रतिपरीक्षा करने के हकदार होंगे :

परन्तु निर्णय, उन तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, जो इस अधिनियम द्वारा सुसंगत घोषित किए गए हैं और जो सम्यक् रूप से साबित किए गए हैं :

परन्तु यह और कि न तो यह धारा न्यायाधीश को, किसी साक्षी को किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए या किसी ऐसे दस्तावेज को प्रस्तुत करने को विवश करने के लिए प्राधिकृत करेगी, जिसका उत्तर देने से या जिसे प्रस्तुत करने से, यदि प्रतिपक्षी द्वारा वह प्रश्न पूछा गया होता या वह दस्तावेज मंगाया गया होता, तो ऐसा साक्षी धारा 127 से धारा 136, दोनों सहित, के अधीन उत्तर देने या प्रस्तुत करने से इंकार करने का हकदार होता; और न न्यायाधीश कोई ऐसा प्रश्न पूछेगा जिसका पूछना किसी अन्य व्यक्ति के लिए धारा 151 या धारा 152 के अधीन अनुचित होता; और न वह इसमें इसके पूर्व अपवादित दशाओं के सिवाय, किसी भी दस्तावेज के प्राथमिक साक्ष्य का दिया जाना अभिमुक्त करेगा।

अध्याय 11

साक्ष्य की अनुचित स्वीकृति और अस्वीकृति के विषय में

साक्ष्य की अनुचित स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए नया विचारण नहीं होगा।

169. साक्ष्य की अनुचित स्वीकृति या अस्वीकृति स्वयमेव किसी भी मामले में नए विचारण के लिए या किसी विनिश्चय के उलट जाने के लिए आधार नहीं होगा, यदि उस न्यायालय को, जिसके समक्ष ऐसा आक्षेप उठाया गया है, यह प्रतीत हो कि आक्षेपित और स्वीकृत उस साक्ष्य के बिना भी विनिश्चय को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य था या यह कि यदि अस्वीकृत साक्ष्य लिया भी गया होता तो उससे विनिश्चय में फेरफार नहीं होना चाहिए था।

अध्याय 12

निरसन और व्यावृत्ति

निरसन और व्यावृत्ति।

170. (1) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का निरसन किया जाता है।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, यदि उस तारीख से तत्काल पूर्व, जिसको यह

1872 का 1

अधिनियम प्रवृत्त होता है, कोई आवेदन, विचारण, जांच, अन्वेषण, कार्यवाही या अपील लंबित है, तो ऐसा आवेदन, विचारण, जांच, अन्वेषण, कार्यवाही या अपील, ऐसे प्रारंभ के ठीक पूर्व यथा प्रवृत्त भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के उपबंधों के अधीन व्यवहार किया जाएगा, मानो यह अधिनियम प्रवृत्त नहीं हुआ है ।

अनुसूची

[धारा 63(4)(ग) देखिए]

प्रमाणपत्र

भाग क

(पक्षकार द्वारा भरा जाना है)

मैं,..... (नाम), पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी....., जो का निवासी में नियोजित हूँ, सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान और शुद्ध अन्तःकरण से कथन करता/करती हूँ और निम्नानुसार प्रस्तुत करता/करती हूँ कि :--

मैंने निम्नलिखित डिवाइस/डिजिटल अभिलेख स्रोत से लिए गए डिजिटल अभिलेख का इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख/आउटपुट प्रस्तुत किया है (चिह्न लगाएँ) :

कम्प्यूटर/संग्रहण मीडिया ☐ डीवीआर ☐ मोबाइल ☐ फ्लैश ड्राइव ☐

सीडी/डीवीडी ☐ सर्वर ☐ क्लाउड ☐ अन्य ☐

अन्य :

बनावट और मॉडल : रंग :

क्रम संख्या :

आईएमईआई/यूआईएन/यूआईडी/एमएसी/क्लाउड आईडी (जैसा लागू हो)

और डिवाइस/डिजिटल अभिलेख..... (विनिर्दिष्ट करें) के विषय में कोई अन्य सुसंगत सूचना, यदि कोई हो ।

डिजिटल डिवाइस या डिजिटल अभिलेख स्रोत नियमित क्रियाकलाप करने के प्रयोजनों के लिए नियमित रूप से सूचना का सृजन करने, संग्रह करने या प्रोसेस करने के लिए विधिपूर्ण नियंत्रण के अधीन था और इस अवधि के दौरान कंप्यूटर या संसूचना डिवाइस उचित रूप से कार्य कर रही थी तथा कारबार के साधारण अनुक्रम के दौरान सुसंगत सूचना को कंप्यूटर में नियमित रूप से फीड किया गया था । यदि किसी भी समय कंप्यूटर/डिजिटल डिवाइस उचित रूप से कार्य नहीं कर रही थी या प्रचालन में नहीं थी, तब इससे इलैक्ट्रॉनिक/डिजिटल अभिलेख या उसकी शुद्धता प्रभावित नहीं हुई है । डिजिटल डिवाइस या डिजिटल अभिलेख का स्रोत मेरे द्वारा :—

स्वामित्वाधीन ☐ अनुरक्षित ☐ प्रबंधित ☐ प्रचालित (जो लागू हो उसका चयन करें) है ।

मैं, कथन करता/करती हूँ कि इलैक्ट्रॉनिक/डिजिटल अभिलेख/अभिलेख का निम्नलिखित एल्गोरिथ्म के माध्यम से अभिप्राप्त हैश मान है ।

☐ एसएचए1 :

☐ एसएचए256 :

☐ एमडी5 :

☐ अन्य (विधिक रूप से स्वीकार्य मानक)

(प्रमाणपत्र के साथ हैश रिपोर्ट संलग्न करें)

(नाम और हस्ताक्षर)

तारीख (दिन/मास/वर्ष) :

समय (आईएसटी) : (24 घंटे के प्ररूप में)

स्थान :

भाग ख
(विशेषज्ञ द्वारा भरा जाना है)

मैं,..... (नाम), पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी....., जो..... का निवासी में नियोजित हूं, सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान और शुद्ध अन्तःकरण से कथन करता/करती हूं और निम्नानुसार प्रस्तुत करता/करती हूं कि :—

प्रस्तुत किए गए डिजिटल अभिलेख के इलेक्ट्रॉनिकी अभिलेख/आउटपुट, निम्नलिखित डिवाइस/डिजिटल अभिलेख स्रोत से अभिप्राप्त किए गए हैं (चिह्न लगाएं) :

कम्प्यूटर/संग्रहण मीडिया ☐ डीवीआर ☐ मोबाइल ☐ फ्लैश ड्राइव ☐
सीडी/डीवीडी ☐ सर्वर ☐ क्लाउड ☐ अन्य ☐

अन्य :

बनावट और मॉडल : रंग :

क्रम संख्या :

आईएमईआई/यूआईएन/यूआईडी/एमएसी/क्लाउड आईडी (जैसा लागू हो)

और डिवाइस/डिजिटल अभिलेख..... (विनिर्दिष्ट करें) के विषय में कोई अन्य सुसंगत सूचना, यदि कोई हो।

मैं, कथन करता/करती हूं कि इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल अभिलेख का निम्नलिखित एल्गोरिथ्म के माध्यम से अभिप्राप्त हैश मान है :—

☐ एसएचए1 :

☐ एसएचए256 :

☐ एमडी5 :

☐ अन्य (विधिक रूप से स्वीकार्य मानक)

(प्रमाणपत्र के साथ हैश रिपोर्ट संलग्न करें)

(नाम, पदनाम और हस्ताक्षर)

तारीख (दिन/मास/वर्ष) :

समय (आईएसटी) : (24 घंटे के प्ररूप में)

स्थान :

डॉ राजीव मणि,
सचिव, भारत सरकार।